राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या २

मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

विकास खण्ड

१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में एन० ई० बी० और डेवेलपमेंट ब्लॉक कहां कहां खोले गये तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां कहां खोलने की योजना है ?

(ख) डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील वाइज़ ब्लॉक्स कहां कहां पर चल रहे हैं ?

(ग) उपरोक्त ब्लॉक किन किन आधारों पर खोले जाते हैं ?

उपविकास मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) सूची मेज पर रख दी गई है।

(ख) कुछ स्थानों पर खोले जा चुके हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, बाकी जगह खोलना विचाराधीन हैं।

(ग) मालपुरा, टोडारायसिंह, टोंक।

(घ) उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां खेती उत्पादन के अधिक साधन हों और वहां के रहने वालों का अधिक सहयोग प्राप्त हो। इस विषय में जिला विकास समिति के सुझावों पर भी विचार किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, कहा गया कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है; मैंने तलाश भी कर लिया पर नहीं मिली। यहां हो तो दे दी जाय।

श्री सम्पतराम : मैं तो श्योर हूँ कि सूची दे दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कहां कहां खोले गये हैं ? बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक सूची माननीय सदस्य को दे दें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इसे पढ़ दूं ? सूची लम्बी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची बाद में दे दें पर बैठते ही विनायक ऐसा करते हैं कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और रखी नहीं गई।

श्री सम्पतराम : जब आप जैसा दुल्हा हो तो विनायक भी इसी प्रकार का होना चाहिये। Should I read it ?

Page No.2

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह लिखा है कि उनको प्राथमिकता दी जायगी जहां जहां आवश्यकता है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में मालपुरा में एन. ई. ब्लॉक भी है और डेवलपमेंट ब्लॉक भी चालू है। उणियारा तहसील दूणी में आता है, उनको पहले ५ वर्षों में नहीं सम्भाला तो क्या अब भी नहीं सम्भालेंगे ?

श्री सम्पतराम : आपके यहां ५.४ प्रतिशत ग्रामीण जनता को इससे फायदा पहुंचा है, जब कि दूसरी जगह ४३ प्रतिशत जनता को ही फायदा पहुंचा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : That is true, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उणियारा और दूणी तहसील के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : सौतेले व्यवहार का प्रश्न नहीं, जहां-जहां के लिये रिकमन्डेशन्स आईं वहां किया गया। आज या पीछे कभी न कभी उणियारा का प्रश्न भी आ जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पहले भी जब मैंने निवेदन किया था तो फरमाया था कि उणियारा में पहले खोल दिया जायगा, तो मैं कहता हूं अगर मेरे जीतने की वजह से वहां नहीं खोला जाय तो आप कह दें तो मैं बैठ जाऊं। अगर आप कह दें कि बराबर हिस्सा सबको दिया जायगा तो इसको भी इसका बराबर हिस्सा मिलना चाहिये।

दो माननीय सदस्य (हां पक्ष की ओर बैठे बैठे ही) : हमारे यहां भी नहीं खुला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : ऐसा ख्याल नहीं है, आपके अलावा दूसरे भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे यहां भी नहीं खुला है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

अम्बर परिश्रमालय एवं अम्बर चरखों से आय

२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस समय कुल कितने अम्बर परिश्रमालय महिलाओं व पुरुषों के लिये चल रहे हैं ?

(२) इनमें कितने अम्बर चर्खे चल रहे हैं ? अब तक की अम्बर चरखे की औसत आमदनी क्या है ? अम्बर का लक्ष्य कितना था तथा उसमें से कितना पूरा हो गया और कितना बाकी रहा ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान में इस समय कुल २४६ अम्बर परिश्रमालय चल रहे हैं। इन परिश्रमालयों में बहिनों व भाइयों दोनों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

(२) नवम्बर, १६५७ तक घरों में ११,६८५ चरखे चल रहे हैं। राजस्थान में अम्बर चरखे पर औसत आमदनी ८ घण्टे कार्य करने पर ८ आने से १२ आने तक की है, १६५७–५८ में १५,००० अम्बर चरखे चलाने का लक्ष्य था जिसमें से ११,६८५ चरखे चल रहे हैं। अवशेष लक्ष्य चार मास में पूरा हो जायेगा।

(३) सरकार को इसके प्रयोग से भविष्य के लिये अच्छी आशा है क्योंकि एक चरखे

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पर दो व्यक्तियों को काम मिलता है, जो बेरोजगारों को सहायता तथा वस्त्र समस्या के हल का पोषक है।

डॉ० चंद्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग ३ इसमें नहीं आया है। यद्यपि वह मेरे प्रश्न में यह था—क्या बहिनों के लिये अलग से कोई परिश्रमालय नहीं चलते हैं ?

श्री रिखबचंद : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह मानती है कि अम्बर के द्वारा रोजी और रोटी का प्रश्न कितना हल हो रहा है और कितनी आशा है कि चार साल में पूरा कर लेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चार मास में पूरा करने का यत्न किया जावेगा। ११,६८५ चरखे चल रहे हैं और शेष चार मास में खोल दिये जावेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या परिश्रमालय खोलने से रोजी और रोटी का प्रश्न हल हो गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोशिश तो हल करने की की जाती है। पूरा हल हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता है; क्यों कि आपको मालूम है कि परिश्रमालय खोल दिये गये है और वे काम कर रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : उन पर टोटल एक्सपेन्डीचर कितना है, क्या आप यह बता सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फीगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : एक चरखे को प्रिपेयर करने में कितने एक्सपेन्सेज लगते हैं, यह बता सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : करीबन ७५—८० रुपये की लागत होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जिनको चरखे दिये जाते हैं वे एक वर्ष में १००० गुंडियां कात कर वापिस दें तब ही चरखे पर्मानेन्टली दिये जाते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) **:** अम्बर चरखे का यह नियम है कि ८ घन्टे तक काम करने पर इतना काम निकलना चाहिए और यह भी देखा गया है कि ८ घन्टे तक काम करने पर इतनी नाप की गुंडियां निकलनी चाहिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मन्त्री महोदय ने बताया कि ८ आना और १२ आना कमाई प्रतिदिन होती है। ८ घन्टे कात कर उतनी ही गुंडियां देनी पड़ती हैं तो फिर कितनी कमाई होती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : औसतन ८ आना से १२ आना तक आमदनी बताई गई है; २) रुपये तक भी आमदनी हुई है।

श्री श्रीभानसिंह : ८ से १२ आने की नेट इनकम है या ग्रोस इनकम ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कम से कम इनकम है। यह तो पारिश्रमिक है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि अम्बर चरखे का प्रोग्राम फेल हुआ है, सक्सेज़फुल नहीं हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजस्थान में ऐसा अनुभव नहीं हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या राजस्थान सरकार का अनुभव केन्द्रीय सरकार से भिन्न है ? क्यों कि केन्द्रीय सरकार ने यह बताया है कि अम्बर चरखे का प्रयोग और उपयोग उतना नहीं हुआ है और यह कम होता जा रहा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर नहीं आया है ।

एक माननीय सदस्य : नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है ।

तहसील हैडक्वार्टर दूनी का स्थानान्तरण

३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) ; क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील हैड क्वार्टर दूनी से देवली ले जाया जा रहा है ?

(२) अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि देवली को जो पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में थी अब टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिला दिया गया है ?

(४) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से पहले पब्लिक ओपीनियन ली गई थी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, यह सही है । तहसील दूनी का हैड क्वार्टर देवली विज्ञप्ति संख्या ३ (१) राजस्व (घ) । ५६ दिनांक २७.१२.५७ के आधार पर किया जा चुका है ।

(२) ३०.१२.५७ से देवली ले जाने की आज्ञा हो चुकी है । हैडक्वार्टर निम्न आधारों पर तब्दील किया गया है :

१. तहसील दूनी का हैडक्वार्टर, टोंक-देवली रोड से २॥ मील दूर था और वर्षा ऋतु में जनता व राज्य सरकार को बड़ी तकलीफ होती थी ।

२. दूनी में शफाखाना, पुलिस स्टेशन आदि के स्थापित करने के लिए केवल जागीरदार का गढ़ ही प्राप्य था जो कि खंडहर तथा जीर्णावस्था में था तथा दूसरी जगह व्यवस्था हो नहीं सकती थी ।

३. दूनी का जलवायु देवली की अपेक्षा स्वास्थ्यप्रद नहीं है ।

४. देवली केन्द्र है । प्राचीन ख्याति रखता है ।

५. देवली जयपुर-कोटा रोड पर स्थित है और व्यापारिक केन्द्र है ।

६. मेडिकल सहायता प्राप्त है क्योंकि वहां पर बहुत सी ऐसी दुकानें पहले से ही हैं ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां, अनौपचारिक तौर पर ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि मेडीकल सहायता की वजह से तब्दील कर दिया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पधारे हैं जो मेडीकल सहायता के लिए उनके लिए या तहसील के स्टाफ के लिए मकान नहीं मिला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई कारण दिये हैं, आप एक ही सुनकर रह गये ।

श्री लक्ष्मीचंद : इसमें पब्लिक ओपिनियन लेने की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

Page No.5

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह इसलिए हटाया गया कि बरसात में दूनी नहीं पहुंच सकते थे, तो मैं यह निवेदन करता हूं कि देवली में भी टोंक से बहुत से आते हैं तो फिर कैसे पहुंचते होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी नहीं कहा कि बरसात के कारण हटा दिया गया। मैंने तो कई कारण दिये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फिर सोलिड कारण कौन से थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपनी राय पहले कायम कर लीजिये।

श्री लक्ष्मीचंद : पब्लिक की सहूलियत को देखकर किया जाता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पब्लिक की सहूलियत देखकर ही किया जाता है।

श्री लक्ष्मीचंद : तो इसमें पब्लिक की ओपिनियन ली गई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सब की जानकारी में था और बातों को देखकर किया गया।

श्री लक्ष्मीचंद : पब्लिक की जानकारी फिर कैसे ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पब्लिक की जानकारी में था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पब्लिक की सुविधा समझते हैं तो मसलन नगर वहां से ४० मील दूर है तो फिर यह असुविधा क्यों है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको कोई असुविधा पहुंचे यह दूसरी बात है। आम लोगों की सहूलियत को देखकर किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या रावराजा साहब इस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से चुन कर आये हैं इसलिए वहां से हैडक्वार्टर हटा दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रावराजा साहब का तो खास तौर पर ध्यान रखा जाता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य-क्रम

४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में हायर सेकन्ड्री स्कूल्स कहां कहां हैं ?

(२) क्या उनका पाठ्य-क्रम निर्धारित हो गया है ?

(३) टोंक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्कूल कहां कहां पर हैं ?

(४) क्या उद्योग विषय के सुचारू रूप से पढ़ाये जाने की व्यवस्था है ? अगर हां, तो किस किस स्कूल में ?

(५) क्या यह सही है कि स्कूलों में हर एक विषय के अध्यापक अपर्याप्त मात्रा में हैं और क्या वे यूनिवर्सिटी के निममों के अनुसार क्वालिफाइड हैं ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) :

(१) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(२) जी हां।

(३) लांबा हरिसिंह में।

(४) उद्योग विषय तमाम हायर सेकन्ड्री स्कूलों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था है।

(५) जी नहीं, यह सही नहीं हैं। स्कूलों में हर विषय के अध्यापक दिये हुये हैं और यूनिवर्सिटी नियम के अनुसार हैं। यदि किसी स्कूल से कोई अध्यापक छोड़ कर चला जाता है तो सूचना मिलने पर वहां दूसरे अध्यापक भेजने का प्रबन्ध कर दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सम्पूर्ण हाई स्कूलों को हायर सैकन्डरी स्कूलों में कब तक बदल दिया जावेगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ५–६ साल लगेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : पांच-छः साल कहते हैं, तो क्या आपने इसको डिवाइड कर लिया है कि इतनी स्कूलों को एक साल में हायर सेकन्डरी में तब्दील कर लिया जावेगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी हां, ऐसा ही खयाल है।

श्री श्रीभानसिंह : इस साल कितनी स्कूलों को किया जावेगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ये आंकडे हमने नहीं बांधे हैं।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : पांच–छः साल लग जावेंगे तो ५ और १, ६ लगेंगे या ५ और ६ साल, ११ साल लगेंगे ?

एक माननीय सदस्य : यह आप ही हिसाब लगालें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर

५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल में कितने प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

(२) स्कूल पर वार्षिक व्यय कितना है ? स्कूल के लिए मकान कितने रुपयों में खरीदा गया तथा क्या वह स्कूल के अधिकार में आ चुका है ?

(३) उक्त स्कूल को खोलने की सरकार ने इतनी जल्दी क्यों की ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(१) १८।

(२) स्कूल का स्वीकृत वार्षिक व्यय ५८,५०० रुपया है।

स्कूल के लिए मकान तीन लाख रुपये में खरीदने का तय पाया गया है। मकान का आधा हिस्सा तो स्कूल के अधिकार में आ चुका है और बाकी के आधे मकान के बारे में कार्यवाही चालू है।

(३) किसी प्रकार की जल्दी नहीं की गई। आर० ए० एस प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जाता

Page No.7

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

था । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इनके प्रशिक्षण के लिये राजस्थान में ही समुचित प्रबन्ध किया जावे और इसके लिए जोधपुर में स्कूल खोला जावे । इस सम्बन्ध में सोच विचार सन् १९५६ से चल रहा था और स्कूल को जुलाई, १९५७ से चालू करने का निश्चय किया गया, किन्तु स्कूल के लिए प्रस्तावित मकान को भारत सरकार के अपने उपयोग में लेने के निश्चय के कारण यह जुलाई में चालू न हो सका । अतः दूसरे मकान के लिये बातचीत करनी पड़ी और स्कूल १४ नवम्बर, १९५७ से चालू किया गया ।

डॉ० चंद्रकला :-क्या क्षेत्रिय परिषद् में यह तय हो चुका है कि पूरे टाइम के एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल हों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी नहीं ।

श्री पी. के. चौधरी : ५,०० में खर्चा कैसे चलता है ?

डॉ० चन्द्रकला : ५८,५०० रुपया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

सन् १९५६ में भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा समाजकल्याण योजना पर किया गया व्यय

६. **श्री हजारीलाल** (केकरी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६ में भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा समाज कल्याण योजना पर कुल कितने रुपये व्यय किये गये ? उसकी अलग अलग विगत बतायें ।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त राज्य ने १२ विधवाओं को सिलाई की मशीनें देने का निश्चय किया था और वे मशीनें ३१ मार्च, सन् १९५७ से पूर्व वितरण करने हेतु खरीदी गई थीं ? क्या वे उन्हें दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) सन् १९५६–५७ में भूतपूर्व अजमेर राज्य में समाज कल्याण योजना में कुल २,३१,४६३ रु० की धन-राशि व्यय की गई, जिसकी अलग अलग विगत की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) अजमेर राज्य में १२ विधवाओं को सिलाई की मशीनें देने का निश्चय दलित वर्ग संघ सलाहकार उपसमिति, अजमेर द्वारा किया गया था जिसके अन्तर्गत मशीनें ३१ मार्च, १९५७ से पूर्व खरीदी गई थीं ।

नहीं, मशीनें उन्हें नहीं दी गई । क्योंकि इनके वितरण का निर्णय, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, दलित वर्ग सलाहकार उपसमिति द्वारा किया गया था न कि सरकार द्वारा । अतः राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था जिसकी कार्यवाही कर दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पशु-गणना

७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के बाद पशु-गणना हो चुकी है ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) अगर हां, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ गाय, भैंस, बैल, ऊंट, घोड़े, हाथी, खच्चर, भेड़े, बकरियें कितनी कितनी हैं और इनके चरने के लिये कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जमीनें रखी गई हैं ?

(३) प्रति गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, बकरी व भेड के लिये कितनी कितनी जमीन चरागाह के लिये रखना अनिवार्य है ?

(४) क्या इनके विकास के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) १९५६ में हो चुकी है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) गाय, बैल, सांड, भैंस, भैंसा, बछड़ा के लिए आधा बीघा चरागाह (भूमि उपलब्ध होने पर) छोड़ी जाती है। घोड़ा, हाथी, बकरीं, भेड़ के लिए चरागाह छोड़ने का कायदा नहीं है, ये जानवर भी चरागाह में चर सकते हैं ।

(५) की विलेज पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कैटल ब्रीडिंग की योजनायें सरकार ने बनाई हैं जिन पर लगभग १ करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने सूची में यह चरागाह की जमीन एकड़ में जो लिखी है यह आम है या आधा बीघा के हिसाब से रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि आधा बीघा रखने का हिसाब है और यह उसी हिसाब से रखी गई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस सूची में आपने यह लिखा है कि राजस्थान में हाथियों की गणना नहीं की। क्या राजस्थान में एक भी हाथी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाथी वाले तो हाथी रखेंगे ही ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हां, हाथी वाले तो हाथी रखेंगे ही, मगर मैं तो यह निवेदन करता हूं कि क्या राजस्थान में हाथी ही नहीं हैं ?

श्री मदनसिंह : आपने यह घोड़े और बकरी का हिसाब कैसे लगाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अपने जवाब में पहले ही कह दिया कि बकरी और भेड के लिए चरागाह निकालना मुमकिन नहीं है और जैसे हाथी के लिए कहा वैसे ही घोड़े के लिए है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी पुष्कर मेले पर हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह ऐलान किया था कि घोड़े बांधने के लिए कुछ प्रबंध किया जायगा। जब घोड़ों के बांधने के लिए प्रबंध किया जायगा तो जमीन का और चरागाह का भी बंदोबस्त किया जायगा। आगे यह निर्धारित कर दिया गया कि घोड़े के लिए इतना अनिवार्य है, हाथी के लिए इतना। तो आप बतायें कि इन चीजों को भी रखना अनिवार्य है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अपने जवाब में बताया कि विलेज पोल्ट्री डवेलपमेन्ट कैटल ब्रीडिंग के लिए एक स्कीम है और इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी मालूम करनी है तो आप कृपया एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछें।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार घोड़े की उपयोगिता हाथी के बराबर ही मानती है ? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि घोड़े के लिए भी वही जवाब है जो कि हाथी के लिए है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जो घोड़े रखने वाले हैं वे खुद कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह गाय, बैल, भैंस वगैरह के लिए आधा बीघा चरागाह के लिए छोड़ी जाती है तो बकरी, भेड़ वगैरह के लिए क्यों नहीं छोड़ी जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चरागाह का मतलब है कामन ग्रेजिंग ग्राउन्ड।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो मैंने यही तो कहा कि भैंस और गाय के लिए कोमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड है और वही चरागाह घोड़ा, बकरी वगैरह के लिए है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि वह भी चर सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कॉमन ग्राउन्ड में घोड़े वगैरह चर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा ही नहीं कि घोड़े कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड के अन्दर चर सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने जवाब दिया है कि घोड़ा, हाथी, बकरी, भेड़ के लिए चरागाह छोड़ने का कायदा नहीं है, ये जानवर भी चरागाह में चर सकते हैं। तो इसका मतलब गाय, बैल, भैंस वगैरह जिस चरागाह में चरते हैं उसमें घोड़े भी चर सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, हां, कॉमन ग्रेज़िंग ग्राउन्ड में चर सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : Then it is all right.

जयपुर शहर में थड़ियों का हटाया जाना

८. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार जयपुर शहर में यातायात की व्यवस्था तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए थड़ियों को हटवाने का विचार कर रही है ?

(२) जिन थड़ियों को पक्की दुकानें बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है, उनका कार्य भी क्यों रुका रह गया है ?

(३) परकोटे में बनने वाली दूकानों के लिए अभी तक केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति न मिलने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां।

(२) स्वीकृति केवल ६३ दूकानों की ही प्राप्त हुई है। ये दूकानें प्रोसेशनल गेट व अजमेरी गेट के बीच में बनाई जावेंगी। इस जमीन के एक्वायर करने की कार्यवाही चल रही है। जो कुटुम्ब इस जमीन पर आबाद

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं उनको दूसरी जगह बसाने का प्रश्न भी करीब करीब तय हो गया है। जैसे ही ये कुटुम्ब दूसरी जगह पर अपने कच्चे घर बनाकर बस जायेंगे और जमीन का कब्जा मिल जायेगा वैसे ही दुकानें बनाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(३) अभी तक स्वीकृति देने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : यह केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मिलने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां केन्द्रीय सरकार को अपनी कुछ तकलीफें होंगी और हमें तो उन्होंने यही कहा कि मामला विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए कब लिखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हम तो बराबर केन्द्रीय सरकार से मिलते हैं...

श्री लक्ष्मीचन्द : कौनसी तारीख को लिखा गया आपकी तरफ से ?

डॉ० चन्द्रकला : इन थड़ियों को हटाकर दूसरी दुकानें कब तक तैयार करा दी जायेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है न कि जमीन के एक्वज़ीशन की कार्यवाही शुरू हो गई है और केवल कब्जा लेकर दुकानें बनाने का कार्य शुरू होने वाला है। इस जमीन में जो कुटुम्ब रह रहे हैं वह दूसरी जगह अपने मकान बनाकर रहने लग जायेंगे, तो दो एक महीने की इसमें देरी लगेगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह कार्य दो एक महीने में पूरा हो जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोशिश तो यही है।

जयपुर स्थित ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण

६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर में ऐतिहासिक महत्व के कितने और कौन कौन से स्थान हैं ?

(२) ऐसे स्थानों के संरक्षण एवं मरम्मत के लिये सरकार क्या करती है ?

(३) हवा महल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार उसकी सफाई व मरम्मत आदि पर कोई ध्यान क्यों नहीं देती ?

उप मंत्री पुरातत्व विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) वरदजीकी डूंगरी पर यज्ञशाला।

(२) श्री धामाजी के मकान के पीछे की छतरियां।

(३) यन्त्रशाला।

(४) नाहरगढ़ का किला।

(५) हवा महल।

(६) गैटोर की छतरियां।

(२) ऐसे स्थानों के संरक्षण एवं मरम्मत के लिए सरकार समय समय पर आवश्यकतानुसार पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य करती है।

(३) पुरातत्व विभाग ने इस ओर मरम्मत के लिए पी० डब्ल्यू० डी० विभाग

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को स्वीकृति दे दी है और कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरगासूली इन ऐतिहासिक स्थानों में नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लिस्ट में नहीं है, इसलिए ऐतिहासिक स्थानों में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : उस पर जो नीली पट्टी पर लिखा है क्या वह यह नहीं बताता कि यह ऐतिहासिक स्थानों में से है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर यह सरगासूली यन्त्रशाला में आती है तो फिर तो सरगासूली ऐतिहासिक स्थानों में आ जायेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो एडवर्टाइज़मेन्ट, सरगासूली पर सुपरमैन साईकिल का लगा हुआ है वह किसकी पर्मिशन से हुआ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग प्रश्न है और यह मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि हवा महल जैसी जगह जिसको कि देखने सब जगह से आते हैं उसको ठीक ठाक, साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जाये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार ने यह महसूस किया तब ही तो यह धन-राशि मंजूर की है।

टिड्डियों द्वारा पहुंचाई गई हानि

१०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में टिड्डी (लोकस्ट) से सोजत सब-डिवीजन और देसूरी तहसील में कितना कितना नुकसान हुआ ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सोजत सब-डिवीजन और देसूरी तहसील में टिड्डी को मारने की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो उस पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

(ग) क्या सरकार ने उस वर्ष के लिए रेन्ट में रेमिशन दिया है ? यदि हां, तो सोजत में कितना और देसूरी में कितना ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सोजत सब-डिवीजन में सन् १९५३-५४ में टिड्डियां आई थीं पर वे शीघ्र ही नष्ट कर दी गईं तथा उनसे जो कुछ फसलों को हानि हुई वह शीघ्र ही वर्षा हो जाने के कारण ठीक हो गई। देसूरी तहसील में कोई हानि नहीं हुई।

(ख) जनता के सहयोग से ही टिड्डियां नष्ट की गई थीं, सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की ओर से सोजत सब-डिविजन में फसल के खराब होने के कारण रेन्ट में रेमिशन दिया है ?

श्री तनसिंह : यह प्रश्न के (ग) का उत्तर आपने दिया है कि प्रश्न हीं नहीं उठता। प्रश्न कैसे नहीं उठता, मेरी समझ में नहीं आया आपने यह कैसे कह दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है। मैं जानकारी कर के बता दूंगा।

Page No.12

श्री बेनाराम गहलोत : तो सरकार ने कैसे रिपोर्ट की कि टिड्डियां आई और शीघ्र ही नष्ट की गईं, क्या इसमें खर्चा नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : हवाई जहाज भारत सरकार की होंगी।

श्री बेनाराम गहलोत : और सरकार के पास यह रिपोर्ट कब आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो रिपोर्ट उसी वक्त आ गई थी जिस समय कि टिड्डियों द्वारा नुकसान हुआ। इसके बारे में सूचना कलेक्टर की तरफ से भी आई थी।

श्री बेनाराम गहलोत : लेकिन जब कि देसूरी में नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर रेमिशन कैसे दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस साल नहीं दिया गया।

श्री तनसिंह: आपने प्रश्न के (ग) भाग को तो टाल ही दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है न कि देसूरी में कोई रेमिशन नहीं दिया गया। उस साल में कोई हानि नहीं हुई।

श्री बेनाराम : जब नुकसान नहीं हुआ तो रेमिशन कैसे दिया ?

श्री तेजाराम : नुकसान होने के कारण रेमिशन मिला है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने यह स्वीकार नहीं किया है कि किसी को रेमिशन दिया गया हो। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी हासिल करूंगा। जहां तक टिड्डियों के कारण नुकसान होने का सवाल है उसके लिये मेरा निवेदन है कि टिड्डियों की वजह से कोई हानि नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न का 'ग' भाग स्पष्ट है कि क्या सरकार ने उस वर्ष के लिये रेन्ट में रेमिशन दिया है ? यदि हां, तो सोजत में और देसूरी में कितना ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टिड्डियों की वजह से नुकसान हुआ हो और उसके लिये कोई रेमिशन दिया गया हो, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री महोदय इस प्रश्न को पुन: देखें, मुझे ऐसा याद पड़ता है जब मैं ५३-५४ में रेवेन्यु मिनिस्टर था उस समय के फेक्ट्स में और आज जो फैक्ट्स बताये गये हैं उसमें कुछ विरोधाभास दिखलाई पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : रेवेन्यु मिनिस्टर चाहे कोई भी रहे हों उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस रेकार्ड के आधार पर उत्तर दिया गया है वे रेकार्ड तो मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : We will take it on the next turn of the Revenue Minister.

श्री श्रीभानसिंह : If this wrong information has been submitted by the Secretariat after all the officers must be called to account for it. What is this ? They give wrong answer and then it is said in the Assembly and then there is no specific reply. The Officers must be called to account for this. We are here for the information.

श्री अध्यक्ष : The Chief Minister wants to clarify that there might be some difference and see what the facts are. Why are you in hurry ?

Page No.13

श्री श्रीभानसिंह : The question was tabled 15 days ago.

श्री अध्यक्ष : I have said, we will take it; next.

हाई स्कूल, केकड़ी (अजमेर)

११. श्री हजारीलाल (केकड़ी): क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केकड़ी नगर स्थित हाई स्कूल सेकन्डरी हाई स्कूल बना दी गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक वहां स्टाफ नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिशनोई) : (क) जी हां, जुलाई १९५५ में।

(ख) दो अध्यापक तथा २ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तो पहले ही भेज दिये गये थे और अब दिनांक ५-२-५८ को १२ अध्यापक तथा तीन ऑफिस के कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं जो शीघ्र ही पहुंच जावेंगे ।

श्री तनसिंह : इतने दिनों तक स्टाफ नहीं भेजने का क्या कारण था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पोस्ट क्रिएट होने में कुछ समय लग गया ।

श्री तनसिंह : सेकन्डरी स्कूल बन जाने के कितने अर्से के बाद पोस्ट क्रिएट हो जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अजमेर से आया था यह स्कूल ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले के लिए स्वीकृत छात्र-वृत्ति

१२. श्री बेनाराम गहलोत, (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १९५६–५७ और १९५७–५८ में पाली जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी राशि छात्र-वृत्ति के लिए स्वीकृत की गई थी ?

(२) किस किस को उक्त छात्र-वृत्ति दी गई?

(३) क्या कोई रकम लेप्स भी हुई ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (१) पाली जिले में सन् १९५६–५७ में १२७४० रु० की धन-राशि स्वीकृत की गई थी और १९५७–५८ की धन-राशि में से माह मार्च व अप्रेल, ५७ के लिये २,१४४ रु० की धन-राशि स्वीकृत की गई है ।

(२) उक्त छात्र-वृत्ति पिछड़ी जातियों के छात्रों को दी गई थी । जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) कुल स्वीकृत रकम १२,७४० रु० में से १२,३०० रु० उठाये जा चुके हैं । शेष ४४ रु० की रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, अतः मंगाई जा रही है । इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी रकम लेप्स हुई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

बीघोड़ी की वसूली

१३. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कलेक्टर, पाली ने इस साल रबी की फसल में रोली तथा दावा की वजह से नुकसान होने के कारण

(श्री बेनीराम गहलोत)

एक हुक्म तहसीलदारों के नाम निकाला है कि बीघोड़ी नुकसान छोड़कर वसूल की जाय ?

(ख) यदि हां, तो हुक्म कौनसी तारीख को निकाला गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि इस हुक्म की तामील तहसीलदार, खारची व जिले के अन्य तहसीलदारों ने नहीं की ?

(घ) तहसीलदार, खारची ने इस हुक्म को सर्किल के पटवारियों के पास कौन सी तारीख को भेजा ?

(ङ) क्या यह सही है कि ग्राम आडवा और देवली में पूरी बीघोड़ी लेने के लिए तहसीलदार, नायब-तहसीलदार व रीडर ने तीन दिन तक लोगों को खूब तंग किया ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(क) यह सत्य है ।

(ख) हुक्म तारीख ३१।५।५७ को हुआ जो पत्र द्वारा १३।६।५७ को भेजा गया ।

(ग व घ) तामील पूर्ण रूप से की गई है, तारीख १ व २ जून को आम तातील होने के कारण ३।६।५७ को तहसीलदार ने कलेक्ट करके समस्त पटवारियान के पास भेज दिया था ।

(ङ) यह सही नहीं है ।

कुटीर उद्योग विकास

१४. **श्री हजारीलाल** (केकड़ी) : क्या मंत्री, उद्योग व खजिन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विकास योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योग के विकास हेतु कर्ज देने के नियम हैं ? यदि हैं, तो उसका वितरण कौन करता है ?

(ख) किन किन उद्योग में उद्योग विभाग द्वारा कर्ज दिया जाता है ? सूची देने का कष्ट करें ।

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां, दो हजार रुपये से ऊपर की राशि राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित कमेटी करती है । इस काम के लिये ऋण अध्यक्ष, उद्योग विभाग द्वारा वितरित किये जाते हैं । इसके अलावा बुनकर सहकारी समितियों को हाथ कर्घा विकास योजना के अन्तर्गत शेअर केपीटल और वर्किंग केपिटल उद्योग विभाग द्वारा ऋण दिया जाता है ।

(ख) आटा, दाल, राइस, ऑइल इत्यादि (फूड इन्डस्ट्रीज़) के अलावा सभी उद्योगों के लिए उद्योग विभाग द्वारा कर्जा दिया जाता है । ऐसी कोई सूची नहीं ।

पचवारा (रामगढ़) की जनता को परचे वितरण

१५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रामगढ़ पचवारा की जनता ने सिवाय चक में हजार पेड़ आम के जागीरदारी शासन में लगाए थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन पर अपना कब्जा करना चाहती है या रामगढ़ की जनता को उस स्थान के परचे देने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो परचे कब तक दे दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) रामगढ़ की जनता ने जागीरदारी शासन में सिवाय चक में करीब ३१४ आम के पेड़ लगाये थे। अब भी कुछ पेड़ सिवाय चक में बिना इजाजत लगाये जा रहे हैं।

(ख) नहीं। सरकार द्वारा आम के पेड़ों पर कब्जा किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त जागीरदार रामगढ़ पचवारा ने कुछ आम के पेड़ों को अपनी निजी सम्पत्ति होना प्रकट किया है जिसकी जांच तहसील में हो रही है।

(ग) टिनेन्सी एक्ट में आम के या दीगर वृक्षों के परचे दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। दफा ८१ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, इस कानून के जारी होते समय, किसी वृक्ष का जो बिला मकबूजा जमीन पर खड़ा हुआ है अधिकारी है तो उस वृक्ष पर उसका अधिकार रहेगा; परन्तु यदि कोई वृक्ष कानून के विरुद्ध लगाया गया होगा तो उसका अधिकार लैंड होल्डर यानी सिवाय चक रकबों में सरकार मानी जायगी। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह पता है कि तहसील कर्मचारी आधा बांटा लेजाने के लिये लोगों को तंग करते हैं और हर साल आधा बांटा पहुंच जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस किसी को शिकायत हो कि काश्तकारों के साथ ज्यादती हो रही है तो उसके लिये अलग से शिकायत कर सकते हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अधिकारियों के पास काफी शिकायतें की गई हैं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : टिनेन्सी एक्ट की धारा ८१ के अन्दर प्रोविजन है कि अपील कर सकते हैं। तहसीलदार ने अगर इस दफा के खिलाफ कार्यवाही की हो तो उसकी अपील कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आपके सामने आयी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आई होगी तो उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई होगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या आपको यह याद है कि मैं स्वयं जनता को साथ लेकर आपसे इस बारे में मिला था और शिकायतें की थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, मुझे आप डिटेल्स में बतायेंगे तो उसकी जानकारी करूंगा।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि उनको धारा ८१ का पता नहीं होने से वे इस प्रकार की हरकतें करते हैं और हुक्म देते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गलत हुक्म देते हैं तो उसके लिये अपील करने का प्रोविजन है। यह तो जुडिशियरी का मामला है गवर्नमेन्ट के पास तो आने की आवश्यकता नहीं। इसके लिये सुप्रीम ओथोरिटी रेवेन्यु बोर्ड है उसमें अपील और दर अपील भी हो सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ये दरख्त जागीर रिजम्पशन एक्ट के पहले लगाये गये थे या बाद में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रामगढ़ की जनता ने जागीरदारी शासन में सिवाय चक में ये पेड़ लगाये थे। अगर इससे जागीरदार को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसके लिये कानून है, रेवेन्यु बोर्ड में अपील कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थायें

१६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जिनमें समाज कल्याण विभाग की ओर से संस्थायें चलाई जा रही हैं?

(ख) जिला जयपुर में टेलरिंग कक्षाएं कहां कहां चालू हैं तथा उनमें कितने कितने छात्र ट्रेनिंग पा रहे हैं।

(ग) क्या चाकसू में टेलरिंग कक्षा चालू है?

(घ) यदि हां, तो कब से तथा नवम्बर, '५७ तक की छात्र उपस्थिति का मन्थली स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रखें।

(ङ) इस संस्था का निरीक्षण सन्, ५७ में कब कब किस किस ने किया और उनकी क्या रिपोर्ट है?

(च) क्या निरीक्षण की यह रिपोर्ट है कि टेलरिंग केन्द्र में छात्र संख्या कम है तथा कक्षा सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं?

(छ) यदि हां, तो फिर क्यों कक्षा चालू कर रखी है?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जयपुर में निम्नलिखित स्थानों पर टेलरिंग कक्षाएं चालू हैं जिनमें ९८ छात्र ट्रेनिंग पा रहे हैं :

(१) जयपुर
(२) रींगस
(३) चाकसू
(४) सीकर
(५) खन्डेला
(६) महरमपुर
(७) नयाबास
(८) राज महल

(ग) हां।

(घ) दिनांक २९-११-५६ से उपस्थित (स्टेटमेंट मन्थली) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ङ) इस संस्था का निरीक्षण सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर ने दिनांक १-११-५७ व निरीक्षक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर ने दिनांक ६-५-५७ को किया।

(च) निरीक्षक महोदय ने एक बार निरीक्षण किया। उन्होंने इस आशय की रिपोर्ट दी कि प्रशिक्षिक के अप्रशिक्षित होने के कारण व उनमें कार्य कुशलता की कमी के कारण कक्षा सुचारु रूप से नहीं चल रही थी।

(छ) हां, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है निरीक्षक ने यह रिपोर्ट तो दी थी कि यहां छात्रों की संख्या कम है और कक्षा सुचारु रूप

(श्री भीखाभाई)

से नही चल रही है। लेकिन इस वक्त छात्रों के आजाने से कक्षा चालू कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, सदन बराबर यह महसूस करता रहा है कि माननीय उपमन्त्री जो जवाब देते हैं वह समझ में नहीं आता। वे पढ़ने में कुछ कठिनाई अनुभव करते हैं, अच्छा हो माननीय वित्त मन्त्री ही उनके प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री भैरोंसिंह : उनको भी तो सीखना है न उत्तर देना।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची के लिये कहा गया कि वह सदन की मेज पर रख दी गई है, पर वह सूची न मेरे पास आई न है।

श्री अध्यक्ष : सूची अब दे देना, माननीय मन्त्रीजी। और कोई प्रश्न पूछना है।

श्री भैरोंसिंह : सूची से सम्बन्धित प्रश्न हैं। पहले यह सूचित कर दिया जावे कि वह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है या नहीं?

श्री भीखाभाई : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : आपको वह सूची अब मिल जावेगी। इस पर प्रश्न पूछना चाहें तो नेक्स्ट टर्न पर पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह : सूची मिलने पर पूछ सकेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, टाइम पर सूची देख कर प्रश्न पूछ लें।

अध्यापक प्राइमरी व मिडिल स्कूल, जोधपुर डिवीज़न

१७. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जोधपुर डिवीज़न की प्राइमरी और मिडिल स्कूल के कितने मास्टर डिवीज़न के बाहर के रहने वाले हैं और वे कहां कहां पर हैं?

(ख) उपरोक्त डिवीज़न में ऐसे कितने मास्टर हैं जो अपने जिले से बाहर हैं और वे कहां कहां पर?

(ग) कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (क) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है, आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(ख) जिला सिरोही, जालोर तथा जैसलमेर की सूचना प्राप्त हो गई है, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। बाकी सूचना इकट्ठी की जा रही है, आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(ग) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री बेनाराम : सूचना आने में कितना समय लगेगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रश्न पढ़ियेगा। आपने सारा जोधपुर डिवीजन हिला दिया। (हंसी) इतनी सूचना इकट्ठी करने में समय लगना स्वाभाविक है।

श्री बेनाराम : प्रश्न काफी समय पहले पूछा जाता है। आप इतने समय में सूचना इकट्ठी कर सकते थे और प्रश्नों पर करते है कि नहीं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : छोटे और बड़े प्रश्नों में बराबर समय दिया जाता है । तो अब लम्बे प्रश्न में कुछ समय अधिक लगता ही है ।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न पूछने के बाद सूचना इकट्ठी की जाती है, यह क्यों ? अपने अपने विभाग की सूचना तो सरकार के विभाग के पास रहनी चाहिये और फिर एक महीने का समय मिलता है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की सूचना विभाग के पास नहीं रहती । कुछ सूचना होती है कुछ नहीं होती, जो नहीं होती उसे इकट्ठा करने में समय लगता है ।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स

१८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) जयपुर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की १० वर्ष की राजस्व की जमा व वसूल बाकी क्या है ?

(ख) उन्हालू सम्वत् २००५ से वर्तमान वर्ष २०१४ तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्तर्गत देहात की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस एवं उन्हालू २०११ तक सहायता की पृथक् पृथक् जमा वसूल बाकी क्या है ?

(ग) क्या सुपरिण्टेण्डेण्ट कोर्ट के पद पर पहले एस. डी. ओ. ग्रेड के व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे ? वर्तमान अधिकारी किस ग्रेड व पद का आदमी है ?

(घ) क्या यह सही है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जमा वसूल बाकी हैं तथा हिसाबात भी नामुकम्मिल हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सम्वत् २००९ से सम्वत् २०१२ तक की जमा वसूली निम्न प्रकार है:

जमा १८५६६९०), वसूल १३०७६०१), बाकी ५४,९०८९) । इससे पूर्व वर्षों का हिसाब किशनगढ़ सब-डिविजन का अपूर्ण है अतः उसे तैयार कराया जा रहा है ।

(ख) उन्हालू सम्वत् २००५ के वर्तमान सम्वत् २०१४ तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्तर्गत देहात की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस एवं उन्हालू सम्वत् २०११ तक सहायता की जमा वसूल शेष बाकी का विवरण इस प्रकार है:—

जमा ४८५९६), वसूल २४५७३), बाकी २४०२३)

सहायता–जमा ३२९४२), वसूल– बाकी ३२,९४२)

(ग) सन् १९५२ से पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का अलग पद था । बाद में यह कार्य जिला कलेक्टर के सुपुर्द हो गया । इस समय कोर्ट ऑफ वार्ड्स के असिस्टेन्ट के पद पर स्थाई इन्सपेक्टर जागीर अपने कार्य के अलावा कार्यवाहक मुकर्रर किया गया । इस व्यक्ति की निजी ग्रेड १५०।१०।२०० एवं वेतन इस वक्त २००) है । कोर्ट ऑफ वार्ड्स का कार्यवाहक अलाउन्स ४०) मासिक उनको मिलते हैं । अब उनको वहां से मुक्त कर दिया गया है ।

(घ) पुराने हिसाबात भूतपूर्व राजस्थान के समय के किशनगढ़ सब-डिविजन के अपूर्ण

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं। इसके लिये स्पेशल स्टाफ की नियुक्ति कराकर हिसाबात तैयार कराए जा चुके हैं और बाकी के हिसाबात स्पेशल स्टाफ तैयार कर रहा है । सरकार इस विषय में पूरी सचेत है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोर्ट ऑफ वार्ड्स का ताल्लुक रेवेन्यु बोर्ड से भी रक्खा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

ग्राम नीमाज में हाईस्कूल का खोला जाना

१६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील के ग्राम नीमाज में हाईस्कूल खोले जाने हेतु वहां की जनता चार साल से प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से जनता को दस हजार रुपये जमा कराने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या उक्त रकम जमा हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की ओर से वहां हाई स्कूल चालू किया जावेगा ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां, इस पर विचार किया गया था लेकिन दूसरे स्थान इससे अधिक उपयुक्त थे इसलिये वहां खोल दिये गये ।

(ख) जी हां, ३०।६।५७ को ।

(ग) जी नहीं, अभी जमा नहीं हुई है । ऐसा मालूम हुआ है कि जनता रुपया जमा कराने को तैयार है ।

श्री बेनाराम : तो क्या यह रुपया जमा कराने पर अगले साल से स्कूल खोल दी जावेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरदार हाई स्कूल, कोटपुतली

२०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरदार हाईस्कूल, कोटपुतली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कितने हैं ?

(ख) उनकी नियुक्ति कब कब किस किस पद पर की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ग) क्या यह सही है कि अध्यापक और छात्र पानी हाथ से निकाल कर पीते हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अलग अलग (ड्यूटी) काम नहीं दे रखा है ?

(ङ) यदि दे रखा है, तो किस को क्या क्या काम दे रखा है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (क) सात हैं ।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ङ) यह सूचना भी भाग (ख) के उत्तर में सदन की मेज पर रखी हुई सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

प्रश्न संख्या २१

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

गर्ल्स मिडिल स्कूल, कोटपुतली

२२ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गर्ल्स मिडिल स्कूल, कोटपुतली में कितनी अध्यापिकायें हैं और उनके क्या क्या कार्य व उत्तरदायित्व हैं ?

(ख) क्या अंग्रेजी, हिसाब व संस्कृत पढ़ाने के लिये वहां अध्यापिकायें नियुक्त हैं ?

(ग) यदि हां, तो उनके नाम व योग्यता क्या है ?

(घ) क्या यह सही है कि उपनिरिक्षिका द्वारा गत नवम्बर में निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसने क्या रिपोर्ट दी है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ६ अध्यापिकाएं हैं। उनके कार्य तथा उत्तरदायित्व की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) संस्कृत की अध्यापिका नहीं है जिसकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न भाग (क) के उत्तर में रखी गई तालिका में यह सूचना भी अंकित कर दी गई है।

(घ) जी हां, केवल माध्यमिक स्तर की छात्राओं को एक साथ पढ़ाने का सुझाव दिया गया था जिसके अनुसार कार्यवाही की गई।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : जो सूची आपने रक्खी है इसमें सातवी व आठवीं क्लास को दो जगह दिखाया गया है। क्लॉस डबल है या उन्हीं को दो जगह बैठ कर पढ़ाया जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दोनों को साथ पढ़ाया जाता है, यह कैसे ?

श्री रामकरणसिंह : आप सूची देखें आठवें पीरियड में श्रीमती रामकंवर शर्मा हैं जो अध्यापिका हैं, स्कूल में सातवीं-आठवीं क्लॉस को खेल कराती हैं, उसी आठवें पीरियड में गोविन्द कंवर उसी सातवीं-आठवीं क्लॉस को इंगलिश व गणित भी पढ़ाती हैं, तो उस एक घंटे में ये सारे काम होते हैं क्या ? यह कैसे ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप समझे नहीं, गोविन्द कंवर सातवीं-आठवीं को इंगलिश पढ़ाती हैं आठवें पीरियड में, यह मैं अपने उत्तर में कह रहा था।

श्री रामकरणसिंह : पर उसी पीरियड में उन्हीं क्लासों को रामकंवर शर्मा खेल भी करता है, यह कैसे ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह करना पड़ता है।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : पहले पीरियड में पहली क्लॉस को कोई जगह नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहली के बच्चे आधे घंटे लेट आते होंगे।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि बच्चों के लिये आने की वजह से स्कूल में पहला घंटा नहीं रखा जाता?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : छोटे बच्चों के लिये नहीं रखा जाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह नियम है? कहने के लिये तो कह दिया, पर क्या यह नियम है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : टाइम टेबल को जंचाने के लिए और सुविधा की दृष्टि से ऐसा रखना पड़ता है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : तो पहला घंटा न रख कर साढ़े दस बजे से स्कूल बताया जावे, क्या यह अच्छा नहीं रहेगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो शिक्षा शास्त्रियों के देखने की बात है। हमारे लेवल पर तो यह बात आती नहीं है। डिप्टी इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर वगैरह की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : अब आप इसको जंचाने की बात सोच रहे हैं या नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह हमारे स्तर की बात नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : पहली स्टेज पर ही यह एब्सर्डिटी दिख रही है, अच्छा है इसे करेक्ट कर लिया जावे।

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारी तरफ से तो इतना ही काम है कि अध्यापिकाओं में एक की कमी है सो वह भेज दी जावेगी।

श्री मदनसिंह : दो एक साथ पढ़ाते हैं उनके लिये भी विचार कुछ करने का है या नहीं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो केवल समझने की खामी है। दो को एक पढ़ाते हैं, एक की कमी है वह हम पूरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : बात यह नहीं है। सवाल यह है कि एक ही क्लास है, एक साथ दो टीचर इसे पढ़ाते है, इसके लिये आपने कुछ सोचा है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट तहसील में बेसिक स्कूल का खोलना

२५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) लालसोट तहसील में इस वर्ष बेसिक स्कूल क्यों नहीं खोले गये?

(२) क्या सरकार हाई स्कूल लालसोट को बहुद्देशीय (मल्टीपर्पज़) हाई स्कूल या कृषि कॉलेज में परिणित करने का विचार रखती है?

(३) यदि हां, तो कबतक?

उप शिक्षा मन्त्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इमारत व अन्य आवश्यक सुविधाऐं नहीं होने के कारण परिणित नहीं किया गया परन्तु जो निम्नलिखित ३ नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं उनमें जो नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है वह बेसिक आधार पर ही हैं।

(१) होडियाली, (२) राजौली (३) खोर-लालपुर।

(२) लालसोट हाई स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल भवन की सुविधा न होने के कारण नहीं किया गया। यह भवन अभी हाई स्कूल के आधार पर ही पूर्ण नहीं है। राजस्थान में सरकार ने २ कृषि कॉलेज उदयपुर व जोबनेर में खोले हैं अत: तीसरा कॉलेज खोलने की अभी कोई योजना नहीं है।

(३) सरकारी बहुद्देशीय स्कूल खोलने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह भवन कब बन जावेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बन रहा है, बन जावेगा।

गालड ग्राम (चूरू) स्थित कोठडी

२५. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या तहसील राजगढ़ जिला चूरू के गालड ग्राम में जागीर के समय की कोई कोठडी है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कोठडी को ग्राम वालों ने ही बनाया था और यह ग्राम के सार्वजनिक काम में आती थी ?

(ग) क्या अब इस कोठडी की जागीरदार की तरफ से (तहसील राजगढ़ में) किसी व्यक्ति विशेष के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है ?

(घ) यदि हां, तो क्या ग्राम वालों ने इसका विरोध किया है ?

(ङ) क्या यह सही है कि ग्राम वालों ने इसे सार्वजनिक संपत्ति रखने हेतु सरकार को आवेदन दिया है ?

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां है।

(ख) यह कोठडी न तो गांव वालों ने बनाई और न यह सार्वजनिक काम में आती थी। यह कोठडी ठिकाना की ओर से उन्हीं के लिये तामीर हुई थी।

(ग) हां।

(घ) हां।

(ङ) यह कोठडी जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी, जागीरदार ने भीवां व गणपत को फरोख्त कर दी इसलिए सम्भव नहीं है।

(च) सरकार को कोइ आपत्ति नहीं है यदि खरीददार बेचने को तैयार हो।

श्री मोहरसिंह : आपने इस कोठडी को जागीरदार की पर्सनल संपत्ति माना है, तो यह बतलाने की कृपा करें कि यह किस सन् में बनाई गई है और इस पर कितना खर्च हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्सनल प्रोपर्टी के बारे में जागीर-कमिश्नर कार्यवाही करते हैं। उसका फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में होता हैं। माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वहां पर कार्यवाही कर सकते हैं। सरकार का उसको पर्सनल प्रोपर्टी मानने या न मानने क ताल्लुक नहीं है।

हाई स्कूल, लालसोट के भवन का ठेका

२६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट):क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) हाई स्कूल, लालसोट की इमारत का ठेका कितने रुपयों में किसको दिया गया था ?

(२) अब तक इमारत क्यों नहीं बनी ?

(३) हाई स्कूल की इमारत खरीदने के लिये कितनी धन-राशि मन्जूर की गई थी ?

(४) लालसोट हाई स्कूल कितने कमरों में ठीक चल सकती है ?

(५) क्या अन्य कमरों के निर्माण की और जो कच्चे कमरे हैं उनको मरम्मत की इस वर्ष मांग की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(६) कच्चे कमरों पर छप्पर के स्थान पर टीन डलवा देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) किसी को नहीं दिया गया।

(२) इमारत बनाने का काम पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा चल रहा है। मार्च तक पूर्ण होने की आशा है।

(३) इमारत सरकारी है इसलिये खरीदने का प्रश्न नही उठता।

(४) चार कमरों की आवश्यकता है जिनके बनाने का कार्य पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा चालू है।

(५) इसके लिये १३०० रु० की स्वीकृति की गई है, आशा है शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगी।

(६) गर्मियों में टीन काफी तप जाती है इसलिए टीन डलवाना ठीक नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह कमरे कब से पड़े हैं अधूरे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें क्या है ? काम चल रहा है, मार्च तक हो जायगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : काम तो कतई बन्द है बहुत दिनों से !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सुना नहीं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : काम बिल्कुल अधूरा, है विद्यार्थियों को तकलीफ होती है पढ़ने में।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि मार्च तक पूरा हो जायगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसमें लिखा हुआ है कि काम चालू है मार्च तक हो जायगा।

श्री मदनसिंह : आप तो कह रहे हैं कि काम चालू है और वे कह रहे हैं कि काम कतई बन्द है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई :आप क्या यह समझते हैं कि हथौड़ा बजे तो ही काम चालू रहता है। उसके लिए टेन्डर बुला लिये गये हैं, उसका एस्टीमेट हो गया है। उसको भी हम चालू मानते हैं।

श्री मदनसिंह : इस बात को भी अगर आप चालू मानते हैं तो कई योजनाएं जो कागजों के अन्दर चालू हैं उनसे कैसे संतोष हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जमीन का लगान

२७. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील राजगढ़, जिला चूरू के कई ग्रामों में बारानी जमीन का लगान चाही के बराबर लगा देने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ग्राम डीगली, तहसील राजगढ़ के निवासियों ने तहसील में सरसरी दरख्वास्त १६५४ में प्रस्तुत की थी। तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा उसे उचित आदेश हेतु एस० डी० ओ० महोदय, राजगढ़ को प्रस्तुत करने पर एस० डी० ओ० महोदय ने यह आदेश दिया कि यह एक सरसरी दरख्वास्त है अतः प्रार्थियों को इस संबध में हस्ब जाब्ता चाराजोई करनी चाहिए। दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार द्वारा नियुक्त डाइरेक्टर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड

२८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) बीकानेर जिप्सम लि० में राजस्थान सरकार के कितने प्रतिशत हिस्से हैं व सरकार की ओर से कितने डाइरेक्टर्स हैं ?

(२) इन डाइरेक्टरों ने मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिये क्या-क्या सुझाव कब कब दिये ?

(३) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कानूनन मिलने वाली सुविधाओं को दिलाने के लिये भी बोर्ड की ओर से कोई प्रयास किए गए हैं ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) बीकानेर जिप्सम लि० में राजस्थान सरकार के ४५ प्रतिशत हिस्से हैं और सरकार की ओर से तीन डाइरेक्टर्स हैं।

(२) डाइरेक्टर्स मजदूरों की स्थिति के बारे मे समय समय पर बोर्ड में बातचीत करते रहते हैं। बोर्ड की मिनिट्स मैनेजिंग डाइरेक्टर्स के पास ही रखी जाती है इसलिए सुझावों के बारे में विस्तृत व्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(३) मैनेजिंग डाइरेक्टर्स इस प्रश्न से सीधे सम्बन्धित हैं और समय २ पर वे इसके बारे में भी कदम भी उठाते रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इन ४५ प्रतिशत शेयर्स में हर हिस्सा कितने रुपयों का है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो ऑर्डिनरी और प्रिफरेन्स शेयर्स दोनों ही हैं। इसके बारे में कि कितने ऑर्डीनरी शेयर्स हैं और कितने प्रिफरेन्स शेयर्स, यह मैं जानकारी प्राप्त करके फिर बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाइरेक्टर्स की कुल कितनी संख्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्या आपका मतलब बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स से है ? यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच की है कि किसी डाइरेक्टर ने मजदूरों की स्थिति सुधारने के बारे में कोई सुझाव रखा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो कुछ सुझाव आते हैं उन पर विचार किया जाता है वहां।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं हैं, मेरे प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने कोई जांच की है कि डाइरेक्टर्स ने इस प्रकार का सुझाव रखा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, जो कि उनके सुझाव थे उनके बारे में डिस्प्यूट चला। उसके बारे में ट्रिब्यूनल का एवार्ड हुआ है। ये सारी बातें वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : गवर्नमेंट के डाइरेक्टर्स ने वहां पर क्या इस संबंध में कोई सुझाव रखा था ? ट्रिब्यूनल में मामला क्यों गया, यह तो आगे का सवाल है, लेकिन जैसी सरकार की नीति है उसके अनुसार आपके डाइरेक्टर्स ने वहां कोई सुझाव रखा या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि आपने क्वेश्चन बड़ा वेग रखा है। क्या सुझाव रखा है, किसके बारे में रखा है, किसके संबंध में, यह कुछ नहीं मालूम होता। मजदूरों के बारे में, बहुत सी बातें हो सकती हैं। मजदूरों के बारे में, उनके दरम्यान में डिस्प्यूट की सैंकड़ों बातें हो सकती हैं। वह तनख्वाह बढ़ाये जाने के सिलसिले में भी हो सकती है और बहुत सी बातें हो सकती हैं। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं देते हैं, मैं क्या जवाब दे सकता हूं कि गवर्नमेंट डाइरेक्टर्स ने कोई सुझाव रखा है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे डिस्प्यूट के बारे में, जो डिस्प्यूट था, उसके बारे में जो चीज़ सामने रखी गई उससे सरकार परिचित थी या नहीं ? डिस्प्यूट की जो चीज़ उनके सामने रखी गई उससे डाइरेक्टर्स परिचित थे या नहीं और डाइरेक्टर्स ने सरकार को इस बात के संबंध में परिचित कराया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, डाइरेक्टर्स परिचित थे और डाइरेक्टर्स ने भी उस सम्मेलन के अन्दर बातचीत की। उसके बाद में मामला ट्रिब्यूनल में गया और वहां से एवार्ड हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकारी तौर से क्या सुझाव दिये गये अगर वे परिचित थे तो ! इस प्रकार से एक अर्द्ध सरकारी माइन का मामला ट्रिब्यूनल में जाय यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार ने क्या सुझाव दिया ? उसका क्या नतीजा रहा ? उस पर सरकारी नीति जानना चाहते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करके जवाब दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर्स अपने मिनिट्स के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं भेजते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो मिनिट्स होते हैं वे बराबर डाइरेक्टर्स के पास में आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के पास में आये या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : उन मिनिट्स में क्या कोई यह लिखित में आया है कि अपने डाइरेक्टर्स ने मजदूरों की स्थिति को सुधारने के बारे में कोई सुझाव रखा है ? उसके अन्दर उन्होंने जो सुझाव रखा है उसके बारे में मिनिटस में जरूर जिक्र किया होगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मिनिट्स इस वक्त में मेरे पास में नहीं हैं। मीटिंग्स के मिनिट्स हुआ करते हैं और हर वक्त आते हैं। वह अब डाइरेक्टर्स के पास में हैं इसलिए एकदम जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये और क्या विशेष पूछना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ४५ प्रतिशत शेयर इस इन्डस्ट्री के अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, इन पर कितना प्रतिशत मुनाफा राजस्थान सरकार को है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसका सेकन्ड पार्ट है उसका जवाब नहीं आया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस तरह का प्रश्न नहीं उठता है। इस विषय में जानकारी प्राप्त करके जवाब दे सकूंगा।

श्री मदनसिंह : इन डाइरेक्टर्स ने मजदूरों की स्थिति सुधारने के सिलसिले में क्या २ सुझाव दिये ?

श्री अध्यक्ष : इसमें मुनाफे का क्या सवाल है ?

श्री भैरोंसिंह : मजदूरों की स्थिति का है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि किस किस ने कौन कौन से सुझाव रखे हैं, यह उनको मालूम नहीं है क्योंकि मिनिट्स उनके पास में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मीटिंग्स के मिनिट्स उनके पास में नहीं आते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मिनिट्स आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या मिनिट्स इस वक्त आपके पास में नहीं हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकारी डाइरेक्टर्स में से कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर्स में भी हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ३ सरकारी डाइरेक्टर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर भी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैनेजिंग डाइरेक्टर तो एक ही है।

लम्बरदारों की नियुक्ति

२६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) लैंड रेवेन्यु एक्ट की धारा ३७ के अन्तर्गत लम्बरदार किन किन जिलों में मुकर्रर किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में इस एक्ट के अन्तर्गत किसी भी तहसील में में लम्बरदार मुकर्रर नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार कब तक वहां पर लम्बरदार मुकर्रर करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट की धारा ३७ के अन्तर्गत नियम दिनांक २५-१-५८ को प्रचलित किये जा चुके हैं। इसके आधार पर आवश्यकता हुई तो नियुक्तियां अब होंगी।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) वर्तमान में पृथक-पृथक जिलों में इन्टीग्रेटेड युनिट्स के कायदों के मुताबिक कार्य चल रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न यह है कि जालोर जिले में मुकर्रर हो गये या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत रूल्स बनने का यह मतलब नहीं है कि पहले जो काम कर रहे थे वे सब बर्खास्त हो गये और नये रखे जायेंगे। माननीय सदस्य कानूनी की जानकारी करलें। जो पहले से हैं वे काम करते रहेंगे। जहां जगह खाली होगी वहां एस० डी० ओ० या तहसीलदार रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही नहीं है कि दो वर्षों से लगातार हर जिले में नायब-तहसीलदार और तहसीलदारों ने पटवारियों और चौधरियों के सामने यह कहा था कि जो लोग चौधरी बनना चाहते हैं वे दरख्वास्त दें। एक तरफ पुराने लोग काम करते हैं और दूसरी तरफ नये लिये जाते हैं। मैं समझता हूं ५० हजार रुपये गांवों के लग चुके हैं और अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। लोग रकम जमा कराते है.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है या भाषण ?

अनेक माननीय सदस्य (एक साथ) : इसका उत्तर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर चुका हूं कि लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत रूल्स बन गये हैं उनके अनुसार जहां जरूरत होगी वहां नयी नियुक्ति की जायगी। किसी तहसीलदार या नायब-तहसीलदार ने गलतफहमी पैदा करके रुपये लिये हैं तो जानकारी देंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसकी ...श्यकता नहीं है कि दरख्वास्तें मांगी जांय ...जो नम्बरदार हैं वे काम करते रहेंगे। जहां जरूरत होगी नयी नियुक्ति वहां की जायगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौनसी तारीख को रूल्स बनाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २५-१-५८ को प्रचलित किये गये।

श्री लक्ष्मीचन्द : तहसीलों में भेजे गये या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रचलित करने का मतलब यह है कि गजट में भी भेज दिये गये।

गवर्नमेंट होस्टल, जयपुर

३०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गवर्नमेन्ट होस्टल, जयपुर में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

(२) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) गवर्नमेन्ट होस्टल में १५ कर्मचारी काम करते हैं।

(२) जी हां। साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : साप्ताहिक छुट्टी कब से दी जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने तारीख का पता नहीं लगाया, लेकिन जब से नियम लागू किये तब से दी जा रही होगी।

Page No.28

श्री मुरलीधर व्यास : यदि तब से नहीं दी जा रही है तो आपकी ओर से क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष :नेक्स्ट क्वेश्चन ।

विलेज सर्वेन्ट्स की नियुक्ति

३१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) लैंड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत विलेज सर्वेन्ट किन किन जिलों में मुकर्रर किये गये हैं?

(२) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में इस एक्ट के अन्तर्गत अभी तक किसी भी तहसील में विलेज सर्वेन्ट मुकर्रर नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और वहां पर सरकार कब तक विलेज सर्वेन्ट मुकर्रर करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) विलेज सर्वेन्ट्स की नियुक्तियां लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत नियम बनने पर नियमानुसार होंगी ।

(२) जी हां, नियम प्रचलित होते ही ।

श्री लक्ष्मीचन्द : लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत नियम नहीं हैं तो फिर प्रचलित कौन से हो गये ? पहले आपने फरमाया था कि नियम बन गये, अब आप फरमाते है कि नियम नहीं बने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों ही सही है । सिर्फ समझने का फर्क है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कहने का फर्क नहीं है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले मैंने कहा था कि लैंड रेवेन्यु एक्ट की तहत नंम्बरदारों के रूल्स बन गये हैं, विलेज सर्वेन्ट्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं, इन दोनों में फर्क है ।

प्रश्न संख्या ३२

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

अकाल सहायता

३३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष में अकाल सहायता के निमित्त राजस्थान में अब तक कुल कितनी रकम कहां, कहां, किस किस प्रकार से दी गई है ?

(ख) किन किन स्थानों में इस सम्बन्ध में राहत कार्य चल रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) फसल खरीफ सम्वत् २०१४ में नुक्सान होने के फलस्वरूप जो धनराशि जिस जिस प्रकार से दी गई है उसका स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) आज तक प्राप्त सूचना के आधार पर जिन जिन स्थानों पर राहत कार्य चल रहे हैं उसकी सूचना सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिलेवार आंकड़े बता दिये जांय तो क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष : बाद में देख लेना ।

राजस्थान का प्रशासनिक ढ़ाचा

३४. श्री पो. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleas d to state :

Is it correct that the 'Administrative Structure' of the new State of Rajasthan, including the sanctioned strength of each department was not decided by the Inter-State Ministers Committee as required under Item III of the Principles of Integration of Services framed in pursuance of Sections 115 and 116 of the States Reorganisation Act ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : You have not considered. Administrative structure is not same.

श्री अध्यक्ष : He says "yes."

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that in the principles it was laid down that this will have to be done by Inter-State Committee ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is why I have said 'yes.' I may explain the position, that actually speaking, it was found that due to merger of Ajmer, there would not be much change or increase in the Secretariat or in departments, because we considered Ajmer as district for organisation purpose. We have given staff necessary for a big size district.

श्री पी. के. चौधरी : Is it not correct that in the principles it was laid down that any amendment to these rules was to be made by the committee itself ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : But after merger there was no committee.

श्री पी. के. चौधरी : But this would have been taken prior to the merger.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : The point was not raised at that stage.

सेवाओं का एकीकरण

३५. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the work of integration of services in connection with the Reorganisation of States was not completed on 31-10-56 ? If so, what machinery or representative body has been set up to complete the work after the 'appointed day' ?

(b) Is it correct that all the proposals for the integration of gazetted officers as drawn up by the Services Integration Committee were not considered by the Officers' Committee and then they were not submitted to the Ministers' Committee for approval ?

(c) Is it correct that all the proposals for the appointment of Heads of Departments and their Deputies were not made by the Officers' Committee and were not

Page No.30

(श्री पी० के० चौधरी)

considered by the Ministers' Committee for final approval ?

(d) Is it correct that all the points of disagreement in the Services Integration Committee regarding integration of services and equation of posts were not referred to the Officers' Committee for its final orders ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (a) All items of work were not completed before 1. 11. 56. No specifie machinery was constituted to complete the residuary items.

(b) All the proposals received before the last meeting of the Inter-State Committees were considerd.

(c) All the proposals for the appointment of Heads of Departments and their Deputies were made by the Officers Committee and considered by the Ministers Committee.

(d) All points of disagreement brought to notice before the last meeting of the officers committee were considered.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that in the integration and equation of the Deputy Director Panchayats, Assistant Director Panchayats, Administrative Officer, Education Directorate, Superintendent of Taxes, Liaison Officer, Assistant Director of Education, Director of Education Director of Industries, Heads of Departments of colleges in Ajmer, there was disagreement in the Integration Committee ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I will require notice for that, because it is a long list and I cannot reply here.

श्री पी० के० चौधरी : Was there any disagreement ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : In so far as the question of equation and inter-seniority is concerned there was a dispute at that time. They were considered by the Heads of Departments and then they were put up before the Secretariat.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the States Reorganisation Act, lays down that all such points of disagreement should be referred to the Central Government ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This was brought to the notice of the central Government, Home Ministry. The difficulty had arisen in the case of integration because certain matters were not finalised before merger. These points were put up before the Home Ministry and later on this decision was taken that we would be deciding seniority as well as posting accordidg to the rules framed here; and then there is an appellate committee for this purpose. If there is

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

any objection by any officers, they can appeal to it.

श्री पी० के० चौधरी : Is the Chief Minister aware that the decision taken by the successor State on this point of disagreement later on has gone to the dis-advantage of the Ajmer employees ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : If any specific instances are brought to my notice, I will examine.

श्री पी० के० चौधरी : There are a number of cases in which it has gone to their disadvantage. Is the Chief Minister aware that according to (अश्रव्य) the States Reorganisation Act, no such steps could have been taken by the State Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : We have received a representation regarding this and we are already examining it.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Chief Minister be pleased to state whether ad-hoc committee has been formed which was supposed to be formed under the States Reorganisation Act; whether that Committee has been formed ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There is no such thing as ad-hoc committee.

श्री पी० के०चौधरी : Advisory Committee.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Advisory committee is there.

श्री पी० के० चौधरी : Who are the persennel of that committee ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I will not be able to tell the personnel at present, I require notice.

श्री पी० के० चौधरी : This is very surprising. It is an advisory committee formed by the central Government and the Chief Minister says that he does not know the personnel.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Because it is a committee formed by the Government of India, it is not necessary that I should know all the personnel.

श्री पी० के० चौधरी : Are the appeals forwarded to the Advisory Committee ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I don't know. If there are representations, they are bound to be forwarded.

अफीम के ठेकों का नीलाम

३६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जालोर जिले में अफीम के ठेके किस किस जगह पर हैं तथा गत वर्ष वे कितने कितने रुपयों में नीलाम किये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि इन ठेकों में से कुछ ऐसे हैं जिनका कमीशन ठेकेदारों को कम मिलता है और सरकार को आमदनी ज्यादा होती है ?

Page No.32

उप वित्त मन्त्री (श्री संपतराम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सच है कि ठेकेदारों को घाटा होता है उसे ब्लेक मार्केट से पूरा किया जाता है और सरकार की नीति से ब्लेक मार्केट को बढ़ावा मिलता है ?

श्री सम्पतराम : सरकार की ऐसी नीति नहीं है।

श्री मदनसिंह : ऐसी नीति सरकार की नहीं है लेकिन यदि ऐसा होता है तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं ?

श्री अध्यक्ष: जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर बतला दिया गया है। कन्क्ल्युज़न आप करते रहिये।

फर्स्ट ग्रेड नाकेदारान कस्टम विभाग

३७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने फर्स्टग्रेड नाकेदारान, कस्टम विभाग को ८०-४-१०० का ग्रेड दिये जाने का निर्णय दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को उसका भुगतान कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक किन किन का बकाया है और उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या जिनको भुगतान कर दिया गया है उनको लास्ट पे सर्टीफिकेट दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप वित्त मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां।

(२) काफी लोगों को एरियर दिया जा चुका है।

(३) जिन जिन के बकाया का अभी चुकारा नहीं हुआ है उसका क्या कारण है, इसकी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा। सारे मामलों में कार्यवाही जारी है।

(४) जिनको एरियर्स का पेमेन्ट हो चुका है उनको एल० पी० सी० भी जारी किये जा चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री सम्पतराम : जल्दी हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो आज्ञा निकाली थी ८०-४-१०० के ग्रेड की वह ५६ में निकाली थी उसमें देरी हो गई है इसलिये और आज्ञा देने की आवश्यकता है ?

श्री सम्पतराम : नहीं, बाद में आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह निर्णय कब ले लिया गया था ?

श्री सम्पतराम : १९५६ में ले लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : १९५६ के बाद कितने केसेज़ एरियर्स के सम्बन्ध में आगे भेजे गये थे ?

श्री सम्पतराम : आगे भेजने का सवाल नहीं है। बहुत से तय हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने केसेज़ तय हो गये हैं ?

श्री सम्पतराम : १०१।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने केसेज़ बाकी हैं ?

श्री सम्पतराम : २०६ ।

श्री भैरोंसिंह : केसेज़ तय न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सम्पतराम : उसके कई कारण हैं, एक तो १९५० से १९५५ तक देना है । दूसरे बहुत से ऐसे आदमी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में चले गये हैं, उनके बारे में जानकारी करनी पड़ी । डिसीज़न होने में देरी होने का कारण एक और है कि ए० जी० के यहां सैंक्शन लेने के लिए जाना भी है; इन्हीं कारणों से केसेज़ तय होने में देरी हुई ।

श्री भैरोंसिंह : जब १९५६ में डिसीज़न ले लिया गया था, उसके बाद में देरी क्यों हुई ?

श्री सम्पतराम : यह मैं बता चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

अस्थाई कर्मचारी बीमा विभाग

३८. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) इन्श्योरेन्स विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अभी तक अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों में ऐसे कितने हैं जिनको कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं ?

उप बीमा मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) इन्श्योरेन्स विभाग में अस्थाई कर्मचारियों की संख्या ६२ है ।

(ख) तीन ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि कुछ अस्थाई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें ओवर एज होने के कारण स्थाई नहीं किया जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सच है कि ऐसे कर्मचारियों को स्थाई कर दिया गया है जो ओवर एज थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसे कर्मचारियों के केसेज़, जो ओवर एज थे, डिपार्टमेंट की ओर से गवर्नमेंट को कन्फर्म करने के कागजात भेजे गये हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या जो कर्मचारी अस्थाई हैं और ओवर एज हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को केसेज़ रेफर किये गये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि तीन साल से ज्यादा काम करते हुए कर्मचारियों की संख्या तीन है तथा ओवर एज होने के कारण उनके कागजात गवर्नमेंट के पास कन्फर्मेशन के लिए भेजे गये हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जितने ओवर एज हैं उनके कागजात भेजे गये हैं या सब के भेजे गये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्टीग्रेशन रूल्स के अनुसार जो ६२ आदमी हैं, वे तीन साल तक अस्थाई रहेंगे । उसके बाद में उनके कागजात स्थाई करने के सिलसिले में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को भेज देता है और जब गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, तो वे स्थाई हो जाते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा अर्थ यह है कि जो कर्मचारी ओवर एज हैं और अस्थाई रूप में काम कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में डिसीज़न लिया है या नहीं ?

Page No.34

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा जवाब सीधा है, आप उसको समझने की कृपा करें। जो कर्मचारी टेम्परेरी हैं, वे जब तक तीन साल तक काम न कर लें, उन्हें स्थाई करने का सवाल नहीं उठता है। जिन्होंने तीन साल कम्प्लीट कर लिये हैं, उनके कागजात गवर्नमेंट के पास भेज दिये हैं। इसके बाद सवाल पूछना ठीक नहीं रहता।

(घन्टी)

१२. १५ म० प०

बाडमेर सरकारी अस्पताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर का एक स्थगन प्रस्ताव आया है, वह इस प्रकार है :

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके बाडमेर नगर में सरकारी होस्पिटल की दुर्व्यवस्था के प्रश्न पर नागरिकों द्वारा किये जा रहे सामूहिक अनशन एवं हड़ताल से उत्पन्न भीषण परिस्थिति पर विचार किया जावे।" यह प्रश्न इतना जरूरी नहीं है कि सदन की कार्यवाही रोकी जावे व इस पर विचार किया जावे लेकिन फिर भी इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए सरकार की ओर से कल इसके बारे में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

१२. १७ म० प०

अभिभाषण की प्रतियों का राजकीय दीर्घा में पूर्व वितरण सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

दो प्रिविलेज मोशन्स आये हैं, एक श्री श्रीभानसिंह का और दूसरा श्री भैरोंसिंह, डिविजन संख्या १४ का। वे इस प्रकार हैं:

1. "That a breach of privilege of this House occured yesterday on the 10 th February, 1958, by distributing copies of Address to the officiol gallary before being delivered in tho House."

२. "श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व अभिभाषण की प्रतियां अधिकारियों को उपलब्ध होने के कारण सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, अतः यह मामला सदन की विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जावे।"

ये प्रस्ताव बहुत देर से आये थे, इनके बारे में निर्णय कल दिया जायेगा।

१२. १६ म० प०

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव (श्री धमेन्द्र परिहार) : मैं गत सत्र में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है:

1. The Rajasthan Laws (Extension) Bill, 1957.

2. The Rajasthan Revenue Laws (Extension) Bill, 1957.

3. The Rajasthan General Clauses (Amendment) Bill, 1957.

4. The Rajasthan Jagir Lands Resumption (Validating) Bill, 1957.

5. The Rajasthan Premises (Control of Rent & Eviction) Amending and Extending Bill, 1957.

6. The Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (Sixth Amendment) Bill, 1957.

Page No.35

(श्री धर्मेन्द्र परिहार)

7. The Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings Validation Amendment Bill, 1957

8 The Rajasthan Jagirdars Debt Reduction (Amendment) Bill, 1957.

9. The Rajasthan Premises (Control of Rent & Eviction) Second Amendment Bill, 1957.

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है :

10. The Rajasthan Secondary Education Bill, 1957.

11. The Bombay Local Boards & Primary Education (Repealing) Bill, 1957.

12. The Fraser Bridge Toll Tax Validation Bill, 1957.

13. The Rajasthan Statutory Rules and Orders (Extension) Bill, 1957.

14. The Rajasthan Civil Courts (Amendment Bill, 1957.

15. The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill,,1957.

16. The Marwar Jagirdars Encumbered Estates (Repeal) Bill,1957.

17. The Rajasthan Sales Tax (Amending & Extending) Amendment Bill, 1957.

18. The Rajasthan Epidemic Diseases Bill, 1957.

19. The Rajasthan Excise (Amending & Extending) Bill, 1957.

20. The Rajasthan Review and Validation of Rent-Rates (Revival) Repeal Bill, 1957.

21. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1957.

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

(क) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने का) (सातवां संशोधन) अध्यादेश, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने का) (सातवां संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं १ सन् १९५८) इस अध्यादेश के प्रवर्तन के कारणों को विवरण सहित सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ख) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, १९५८

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० २, सन् १९५८) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(ग) राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) अध्यादेश, १९५८

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ३ सन् १९५८) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

सदन की मेज पर रखी जाने वाली मोटर विहिकल्स संबंधी विज्ञप्ति

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग । बी । विज्ञप्ति संख्या डी० ६७६६ । एफ० १६ । १४ । १३

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एच० बी० ५६ दिनांक १७ जून, १६५७ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१, के नियम ६६ (जे) में संशोधन किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर । अध्यक्ष महोदय, इस १७ जून, १६५७ की विज्ञप्ति को सदन में रूल १३३ के भाग तीन के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। रूल १३३ के भाग तीन में इस बात का उल्लेख है कि जो विज्ञप्ति निकले, वह जल्दी से जल्दी सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाय। १७ जून, १६५७ के बाद राजस्थान विधान सभा का नवम्बर में सेशन हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस विज्ञप्ति को उस सेशन में न रखा जाकर इस सेशन में क्यों रखा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब देरी में रखने से आपको क्या एतराज हो गया ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। सदन का अधिकार है ऐसे डॉक्युमेंट्स को अपने अधिकार में लेने का। ऐसे डॉक्युमेंट्स को समय पर न रखा जाना क्लिअर वर्ड्स में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मोशन को मूव कर दें, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं क्लेरीफिकेशन लेना चाहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी देने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : What you have to say about the objection ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में जानकारी करके फिर बता सकता हूं। यह ...

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : इसे कल के लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : This will be kept pending.

(करतल-ध्वनि)

श्री नाथूराम मिर्धा : इसे पेंडिंग रख दिया तो दूसरे में भी आपत्ति आयेगी।

श्री अध्यक्ष : उसमें आपत्ति नहीं आयेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपत्ति दोनों में साथ है। मैं कल समझ कर फिर रखूंगा।

सदन की मेज पर रखा गया नियोजन लेखा १६५५-५६ इत्यादि

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन लेखा १६५५-५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५७, भाग २ को सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर रखा गया वित्त लेखा १६५४-५५ इत्यादि

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त लेखा १६५४-५५ उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५५ सदन की मेज पर रखता हूं।

१२.२० म० प०

विधेयकों का पुरःस्थापन

(क) राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(ख) मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(ग) राजस्थान हके मालिकाना समापन विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान हके मालिकाना समापन विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(घ) राजस्थान पेन्शन विधेयक, १९५८

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पेन्शन विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूं।

(ङ) राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेंटेशन) संशोधन विधेयक, १९५८

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेंटेशन) संशोधन विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

(च) राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १९५८

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

(छ) मोटर विहिकल्स (बोम्बे अमेंडमेंट्स) निरसन विधेयक, १९५८

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स (बोम्बे अमेंडमेंट्स) निरसन विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

(ज) कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेंडमेंट) विधेयक, १९५८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूं।

(झ) राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एण्ड विवाह विधेयक, १९५८

श्री पूनमचन्द (उपमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एण्ड मेरेंजेज बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भोलानाथ।

१२.२२ म० प०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, कल जो राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ वह बड़ा विस्तृत था इसलिये पिछले भाषणों से कहीं ज्यादा आंकड़े इसमें दिये गये थे। इस भाषण पर विचार

(श्री भोलानाथ)

करते समय दो बातों पर खास तौर से ध्यान देना होगा।

पहली बात, विकास योजनाओं की चर्चा की है और इनमें ज्यादातर विकास योजना पर प्रकाश डाला गया है। दूसरी बात प्रशासन के सम्बन्ध में कही गई है। मैं दोनों विषयों को अलग अलग लेना चाहता हूं। प्रशासन की बात न लेकर विकास सम्बन्धी योजनाओं के बारे में मैं पहले कहूंगा। विकास योजनाओं को तीन भागों में देखा है, जो मैं इस भाषण में देख पाया हूं। पहली बात तो यह कि इस बार एक नई प्रणाली प्रचलित की गई है और एन्युअल प्लान प्रकाशित किये गये हैं। दूसरी बात यह है कि इस भाषण में ज्यादातर इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ट्रेन्ड पर्सोनल्स ज्यादा तैयार किये गये। तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की दिक्कत है, उसको दूर किया जा रहा है। ये तीन बातें ऐसी हैं जिन पर सही तरीके से विचार किया गया प्रतीत होता है। एन्युअल प्लन का जहां तक सवाल है उसमें पहले साल ५६-५७ और ५७-५८ के आंकड़े बताये गये हैं। जहां ५६-५७ के आंकड़े हैं वहां ५७-५८ के आंकड़े भी हमारे सामने हैं, पर उनके बारे में अभी कोई सही राय कायम नहीं कर सके हैं और न कर सकते हैं। ५७-५८ का साल खात्मे पर है और अभी कोई तरीका नहीं है कि राज्यपाल के भाषण के आने के पहले का दिग्दर्शन मिल सके कि भाषण के पहले कहां तक कामयाबी हुई है।

मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि आयन्दा जब कभी राज्यपाल के भाषण में इस तरह का जिक्र आये तो एन्युअल प्लान प्रकाशित किये गये हैं, इसके अनुसार कितनी प्रगति हुई है, इसमें आना चाहिये। कल भाषण हुआ था। संसद में भी राष्ट्रपति का भाषण हुआ, उसमें कहा गया कि प्लान में जो एस्टीमेट्स होंगे, जो आंकड़े इस साल के हैं, उनके बारे में सदन में विशेष रूप से चर्चा होगी। मैं भी चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा का अवसर सरकार हमें देगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उम्मीद है कि दूसरा मौका बजट के समय आने वाला है उस समय हमें मौका मिलेगा कि राजस्थान सरकार के कार्यों को अच्छी तरह से सोच सकें, आंक सकें। बजट के समय फाइनेन्स मिनिस्टर का भाषण होता है, जिसमें इतना मसाला नहीं आता। इसलिये इस मौके पर सदन को मौका दिया जाय ताकि बजट बनाने के समय जो बजट एलोकेशन होता है उस समय हम ठीक तरह से चलें, अच्छी तरह से विचार कर सकें।

पहली बात एन्युअल प्लान के बारे में हुई और दूसरी बात ट्रेन्ड पर्सोनल्स के बारे में है। वास्तव में इस साल यह कार्य सराहनीय रहा। जोधपुर में इस प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली शुरू की गई है। सिविल इन्जीनियर्स तैयार किये जा रहे थे तो मुझे कॉलेज में जाने का मौका मिला और देखा कि इस तरह सैकड़ों इन्जीनियर्स हर साल तैयार हुए तो दूसरे सर्किल में ट्रेन्ड पर्सोनल्स की कमी आ सकती है। हमारा प्लानिंग कॉलेज इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकेनिकल कोर्स के बारे में मदद करता है, प्लानिंग कॉलेज में सिविल इन्जीनियरिंग की ट्रेनिंग देना, यह एक अच्छा कदम है।

दूसरा जो कदम उठाया गया है वह बीकानेर में दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलने का है, यह भी वास्तव में सराहनीय कदम है।

और सर्विसेज़ के बारे में जो कदम उठाया है, आर. ए. एस. की ट्रेनिंग का, यह ठीक

(श्री भोलानाथ)

है। आर. ए. एस. के पर्सोनल्स कम हैं, पर इस बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ती है। दो तरह का रिक्रूटमेंट आर. ए. एस. का किया गया है, इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से। आर. ए. एस. का काम कुछ लोग कर रहे थे उनको चुना गया लेकिन जो २०-२५ आदमी पहले से प्रमोट किये गये थे उनको डिग्रेड कर दिया गया और जो दो-तीन वर्ष से काम कर रहे थे उनका ध्यान नहीं रखा गया। एक तरफ तो इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट करके उनको प्रोवाइड करने का ध्यान रहता है, किन्तु दूसरी ओर जो पुरानी सर्विस के लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो सन् ४८ से बड़े बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं रखा गया है। यदि इस तरीके से एक विरोधाभास किसी प्रणाली में, शासन के किसी तरीके में, मिलता है तो शासन की तरफ एक प्रकार से दूसरी ही राय बनती है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस कमी को दूर किया जावेगा।

मैं स्वयं यह मानता हूं कि केवल आर. ए. एस. केडर की भर्ती से ही काम चलेगा नहीं और मैं आपका ध्यान उस ओर खीचूंगा जैसा कि मत्स्य में किया गया था। मत्स्य में नायब-तहसीलदारों की भर्ती की गई। वे सेवायें आज भी राजस्थान में चल रही हैं और उनके वे सभी लोग योग्य साबित हुए हैं। उनमें से आज होम सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स हैं जो नायब-तहसीलदार की हैसियत से बड़े हैं और उनको आई. ए. एस. में भी लिया गया है। वे योग्यता और शासन का प्रशिक्षण प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करने के बाद आज अच्छे ओफिसर्स गिने जाते हैं। जब इन्टीग्रेशन हुआ तो यह बात भी सामने आयी कि मत्स्य की सर्विसेज़ अच्छी समझी गई और उसका कारण यही था कि उनको बुनियादी तरीके से उठाया गया था, जो प्रशिक्षण ढंग से मिलना चाहिये था वह उनको मिला था। रेवेन्यू का सबसे बड़ा कार्य है, उसका एक अपना ढंग है उसको ठीक करने की बात के पश्चात् ही न्याय का सवाल सामने आता है और इस प्रकार अच्छे पर्सोनल्स (व्यक्ति) मिलते हैं। आर. ए. एस. के ज्यादा लोगों को भर्ती करने से ही बड़ा काम होता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फौरन उनको एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बना कर एस. डी. ओज़. बना दिया जाता है और उसके आगे दरवाजे बन्द। कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जिनमें आर. ए. एस. के व्यक्तियों को रखा जावेगा। दो पोस्टों के व्यक्तियों को भर्ती करने से शासन में प्रगति आवेगी और लोगों को काम करने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि आर. ए. एस. केड़र में पुराने और अनुभवी एवं नायब-तहसीलदारों में से अच्छे लोगों को रखा जाना चाहिए। टेक्नीकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ दोनों के बारे में मेरी यही राय है।

दूसरा पक्ष आता है इस प्लान का और असल में क्या काम हो रहा है राजस्थान में? प्लान की प्रशंसा की जाय। हमारे सामने कई आंकड़े इस प्रसंग में आये हैं, खास तौर पर खाद्यान्न के बारे में। इसमें कोई शक नहीं, जैसे आंकड़े हैं, तो निश्चित तौर से प्रगति है। २२ हजार वर्ग मील भूमि में सिंचाई होना और ४१ हजार टन पैदावार के बजाय १,०५,००० टन की पैदावार के आंकड़े बहुत सुन्दर मालूम पड़ते हैं और इसके अलावा आगे भी १,०६,००० के आंकड़े कूते जा रहे हैं, जिनसे संतोष हो सकता है। भाखरा और चम्बल के बारे में जो बातें कही गई हैं वे भी कुछ संतोषजनक हैं।

(श्री भोलानाथ)

भाखरा के विषय में बताया गया कि पिछली बार उससे पानी मिला और चम्बल का काम चल रहा है एवं उसकी प्रगति के बारे में संतोष प्रकट किया गया है। लेकिन पूरा काम कब तक होगा इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो मैं यह ठीक समझता हूं कि मौका आने पर यह बताया जाय कि चम्बल से पानी कब मिलने लगेगा। राजस्थान केनाल के बारे में डेफिनेट बात कही गई कि भारत सरकार ने इनको मंजूर कर लिया है, यह एक अच्छी बात है।

खाद्यान्न उपजाने के विषय में जो बड़ी बात है वह है तकावी का वितरण। छोटी सिंचाई के बारे में आंकड़े दिये गये हैं। कुछ इलाका ऐसा है कि जहां कुए ही बनाये जा सकते हैं, जहां मीडियम और माइनर इर्रिगेशन वर्क्स नहीं चल सकते हैं। ऐसी जगहों में ज्यादा कुए बनाने के लिए अधिक पैसा देना चाहिये। संभव है पैसा दिया गया होगा लेकिन इस अभिभाषण में उसके विषय में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यदि मौका आये तो इस ओर प्रकाश डाल दिया जाय तो उस पर हाउस को अपनी राय जाहिर करने का अच्छा मौका मिलेगा।

बिजली के सम्बन्ध में दो तीन बातें ठीक ठीक कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि भाखरा से बिजली सन् ५६ तक मिल जायगी। यह जो तारीख दी गई है इससे संतोष हो सकता है। थरमल के बारे में जो विदेशी मुद्रा की दिक्कत रही है वह दूर हो जावेगी यह भी एक संतोष का विषय है। वैसे यह काफी आलोचना का विषय रहा है। इसको सन् ५४ में मंजूर किया गया था और अब तक इसको चार वर्ष हो गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में थरमल स्टेशनों के लिए जो रुपया था वह भी लेप्स हो गया। अब सुना है कि डिज़िल इन्जिन्स भारत सरकार ने दिये हैं जिससे ग्रामों में बिजली पहुंचाई जावेगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का निर्माण हो चुका है हालांकि काम उसने अभी शुरू नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बोर्ड के बन जाने के बाद राजस्थान के विकास का काम पूरा होगा।

सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में, खास तौर पर स्कूलों के बारे में जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि इस साल ६०० स्कूल्स खोले गये। लेकिन पिछली दफा राज्यपाल महोदय के भाषण में यह बताया गया था कि ६०० स्कूल्स खोले गये। इस साल ६०० ही खोले गये तो ये कम क्यों खोले गये हैं, इस बारे में इस भाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैंने प्लान पढ़ा है उसमें यह बताया गया है कि इस प्लान में ५ हजार स्कूल खोले जावेंगे। लेकिन यह टारगेट आगे आने वाले तीन वर्षों में कैसे पूरा होगा, यह नहीं बताया गया है। इसलिए इसको देखा जाना चाहिए, वरना जो विकास की तेजी है उसमें दिक्कत लाने की बात हो सकती है और आगे भी दिक्कत हो सकती है।

शासन के विषय में विकेन्द्रीकरण की बात कही गई है। विकेन्द्रीकरण एक प्रकार का बड़ा लक्ष्य है। परन्तु किस प्रकार विकेन्द्रीकरण होगा? सिवाय इसके कि पंचायतों को कुछ जुडिशियल पॉवर्स दे दें उससे विकेन्द्रीकरण नहीं होगा। बिना लेवल के शासन की मशीनरी चल रही है जो नायब-तहसीलदारों से शुरू होकर कमीश्नर्स तक जाती है। वहां पर विकेन्द्रीकरण की क्या योजना है, इस पर

(श्री भोलानाथ)

इस (अभिभाषण) द्वारा प्रकाश नहीं पड़ता है। पंचायतों को अधिकार देने की बात है, वह ठीक है। अधिकार दिये जांय, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इसमें तेजी से चलने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जो अनुभव हैं वह उस विषय में अच्छा नहीं हैं। चुनाव प्रणाली का जो मतभेद है वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। हमने निश्चय किया है कि हिन्दुस्तान का शासन डेमोक्रेसी और विकेन्द्रीयकरण पर चलेगा। इसलिए पंचायतों को अच्छी बनाना है, उनको अधिकार देने हैं, लेकिन वे अधिकार तरीके से देने हैं। जैसा कि म्युटेशन राइट्स (Mutation Rights) पंचायतों को यदि दिये गये, इस विषय में आप देखेंगे कि म्युटेशन सिविल राइट्स को तय करने का सवाल आता है तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा अधिकार है पंचायतों को, ये अधिकार दे दिये जांय और फिर उनको टीक करने की कोशिश की जाय तो इससे कई दिक्कतें आ सकती हैं। यदि यह निश्चय किया जाय तो पहले ऐसा मौका देना चाहिए कि एस्टीमेट्स होने चाहिए जिन संस्थाओं को अधिकार दें, उनको पूरा कैसे किया जा सकता है, इस पर अपनी राय कायम करें।

भूमि-सुधार के विषय में तीन बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि जमींदारी एबॉलिशन का बिल आ रहा है, सीलिंग का बिल भी आने वाला है। जमींदारी एबॉलीशन का बिल अभी तक रुका हुआ रहा है यह कोई ठीक बात नहीं रही। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब वह एडवाइज़री कॉन्सिल काम करती थी उस समय भी और शास्त्री जी की जो हुकूमत थी उस समय भी एक कमेटी बैठाई गई थी। इसमें जागीरदारी और जमींदारी दोनों ही प्रथाओं को एबॉलिश कराने की बात थी। जागीरदारी तो एबॉलिश कर दी गई, लेकिन जमींदारी का मामला अभी तक अटका हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में हम इस बिल को जरूर पेश करेंगे। यह जमींदारी एबॉलीशन का बिल एक बायस बना हुआ है। भरतपुर में हरिजनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है....

एक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री भोलानाथ :भरतपुर में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार का कारण है कि वहां पर जमींदारी अभी तक चल रही है। जिन जमीनों पर बेचारे काश्तकार काम करते हैं उनको टिनेन्सी प्रोटेक्शन एक्ट से जो राहत मिली है उन सब लोगों को जमींदारी एबॉलीशन का बिल नहीं होने से बहुत कठिनाई रही है और इसकी वजह से लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति में भी बहुत कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं। सीलिंग कमेटी का एक सिद्धांत है और उसके बारे में जो राय भारत सरकार के और प्लानिंग कमीशन के बीच बनी उसके मुताबिक जल्दी ही अमल होना चाहिए। लेकिन जहां जमींदारी एबॉलीशन के बारे में और जमीनों के बारे में और बातें कही गईं वहां रिफ्यूजीज़ के बारे में कोई बात नहीं कही गई। मैं मानता हूं कि शरणार्थियों का विषय भी हमारे राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ा विषय है। रिफ्यूजीज़ को हमने जमीनों पर बसा दिया है, लेकिन उनके हकों के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। शरणार्थी लोग आये और हमने उनको इसी तरह से बसा दिया, लेकिन उनके हकूकों के बारे में कोई बात नहीं कही, जब कि हम इतने बड़े बड़े मसले तय करने जा रहे हैं तो इन लोगों का भी सवाल तय

(श्री भोलानाथ)

होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार की तरफ से दिक्कतें हैं, लेकिन भारत सरकार का दृष्टिकोण अपना है और राजस्थान गवर्नमेंट का और राजस्थान के नागरिकों का दृष्टिकोण अपना है। हम सब यह देखते हैं कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में जहां कि काश्तकारों को और दूसरे लोगों को कोई हक्क नहीं थे उनको जागीरदारी एबॉलीशन के बाद बहुत बड़े बड़े हक मिल गये, लेकिन जहां काश्तकारों को थोड़े थोडे हक थे उनके कोई हक तय नहीं हुए हैं और शरणार्थी जो आज दस दस सालों से बसे हुए हैं. उनके बारे में, उनके हकों को तय नहीं करना एजीटेशन का बायस बनाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरफ भी, जहां भूमिसुधार के बारे में चर्चा करें, विचार करें वहां इस समस्या को भी सामने रखना होगा। जब हम पूरी तरह से यह निश्चय कर चुके हैं कि जो काश्तकार जमीन को बोता है, उसमें मेहनत करता है, उस पर, उसका हक होना चाहिए। तो इस चीज को निश्चय करने में न तो किसी प्रकार की ढील देनी चाहिए और न हमें देरी करनी चाहिए।

मेरे भाषण देने खड़े होने से कुछ सदस्य नाराज हुए हैं। मेरे अभी तक भाषण देने में एक दो को निराशा भी हुई। मुझे मालूम है इस बात का कारण यह है कि कुछ बड़े शहरों का बराबर जिक्र आता है कि उदयपुर में फलां काम हुआ, जोधपुर में फलां काम हुआ और अजमेर में फलां काम हुआ; पुराने कैपिटल टाउन्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब प्रवृति यह हो गई है कि कोई अकादमी खुलती है तो वह भी इन्हीं बड़े शहरों में खुलती है। मेडीकल कॉलेज की भी यही चर्चा होती है। बीकानेर में खुल गया तो अब उदयपुर में भी खुलेगा और इन्जीनियरिंग कॉलेज की भी यही चर्चा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे स्थान हैं जहां पर हमें खास खास चीजें खोलने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन पोलीटेक-निक आदि छोटी पुरानी राजधानियों में भी प्रारम्भ किये जा सकते हैं, फिर भी कई ऐसे स्थान छोड़ दिये जाते हैं कि जहां ऐसी चीजें होनी चाहिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो राजस्थान बन गया, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रहे कि हमें सर्वोदय के तरीकों से शहरों का विकास करने के लिए कुछ न कुछ हिस्सा उन लोगों को देना चाहिए। ऐसी योजना हो जिससे जाहिर हो कि राजस्थान सरकार कुछ ही शहरों की चिन्ता नहीं करती बल्कि सब तरफ उसका ध्यान है।

इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ के बारे में एक बात कही गई। दस साल तक इस सवाल का लटका रहना कोई शोभा की बात नहीं है। अब अजमेर का सवाल आ गया। इससे परेशानी जरूर आई लेकिन जैसे टीचर्स का और कई क्लासेज़ ऑफ सर्विसेज़ का सवाल है यह तो यहीं का सवाल है और लोकली ही हल हो सकता है। इन पर सरकार को गंभी-रता से विचार करना चाहिए।

अभी जो सब से पहले सवाल सरकार के सामने आता है वह है, जो कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्तिम पैरेग्राफ में कहा कि "द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन की गई उत्साहवर्धक तरक्की को दृष्टि में रखते हुए मुझे पूर्ण आशा है कि राज्य की विभिन्न गतिविधियां उत्तरोत्तर बलवती होती जायेंगी। मुझे विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में हमारी योजना की सफलता

Page No.43

(श्री भोलानाथ)

के लिए अपेक्षित वित्तीय, प्रशासनिक व टैकनिकल साधन जुटाने की महत्वपूर्ण समस्या को प्रमुख स्थान प्राप्त होगा।'' मैं इसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि वित्तीय कठिनाइयां सरकार के सामने हैं और सरकार को इस बात में सफलता मिली की ३ करोड़ रुपया दूसरे फाइनेन्स कमीशन ने दिया है और कुछ आमदनी भी बढी है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये। दो बातें बताई गई कि एक एमोनियम सल्फेट का कारखाना जल्दी से खोलेंगे और खोल सकते हैं। उसके हालात इस प्रकार के हैं कि वह हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा। इसी तरह से सोडा-ऐश के बारे में भी बात कही गई। लेकिन साथ ही साथ कुछ सिद्धान्त भी हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। अभी ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करना बाकी है। इस विभाग के बारे में हमेशा कई प्रकार की बातें कही जाती हैं और यह विभाग बहुत ही बहस का विषय रहता है। इसके बारे में सरकार को सोचना होगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मोशन को मूव करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री भोलानाथ: मैं सपोर्ट कर रहा हूं और साथ ही मैं अपने सुझाव दे रहा हूं। तो जो अपेक्षित विषय है वह अपने से कहा गया है और मैं चाहता हूं कि उस पर विचार करें तो कोई बुराई की बात नहीं है।

तो हमारे राज्य के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट विभाग का नेशनेलाइज़ेशन किया जाय तो एक बहुत बड़ा साधन हमारे हाथ में आता है। इसी प्रकार से कुछ मुलतानी मिट्टी की भी खानें हैं जिन पर विचार नहीं किया गया। अगर उन पर भी जल्दी ही ध्यान दिया जाय तो हमारी सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। यह कुछ वित्तीय साधनों के बारे में, जो मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, इनके बारे में, मेरा यह निवेदन है कि आयन्दा जब भी राज्यपाल महोदय का भाषण हो तो हम लोगों के सामने इन बातों का उल्लेख अवश्य किया जाय। क्योंकि खास तौर से इन दिनों में विकास योजनाओं का ही विषय सबसे प्रमुख विषय हो गया है। जब यह विषय हमारे सामने आये तो हमें केवल भावना में ही भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि वास्तव में अपनी राय सरकार के सामने रखनी चाहिए और सरकार के कार्यों की प्रशंसा और सुधार की बातें कहनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि या तो बजट बनाने से पहले या राज्यपाल महोदय के भाषण से पहले या दोनों मौको से पहले हमारे सामने उसके बीच में कोई इस प्रकार का विधान होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि जिस तरीके से इस एनुअल प्लान का प्रकाशन हुआ उसी तरीके से प्रगति कर पाये इसके बारे में कोई निश्चित आंकड़े हमारे सामने होने चाहिए, ताकि हम कह सकें कि सरकार काम कर रही है और आंकड़ों का जो बजट में प्रोविजन होता है उनका सही उपयोग किया गया है या नहीं, ताकि उसके बारे में हम सुझाव दें कि हमारे राज्य में कितनी उन्नति हुई है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कहीं और जो काफी लम्बी हैं। पहले तो उनका भाषण १२ पेज का था और अब १६ पेज का है, वह जहां तक हो सके अधिक से अधिक आंकड़े देने की कोशिश करें। लेकिन आंकड़ों के बारे में अलग अलग

(श्री भोलानाथ)

आदमियों की अलग अलग रुचि होती है, कुछ लोग उद्योग धन्धों में विशेष दिलचस्पी रखते हों, कुछ लोग बिजली, सड़कें, इरिगेशन, खाद्यान्नों के बारे में रखते हों और इन कार्यों में सरकार को सुझाव देना चाहते हों तो उनके लिए यह समय सुझाव देने का बड़ा उपयुक्त है, जिससे सरकार को भी अपना काम करने में सफलता मिल सके और हमें भी सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में किए हुए कार्यों की सराहना करने का अवसर मिल सके।

आज हम राज्यपाल महोदय के भाषण को देखते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि इसकी शुरूआत हम शान्ति और व्यवस्था से करते आ रहे हैं; वास्तव में मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं यह अनुभव जरूर करता हूं कि आज यह स्थिति नहीं है कि हम लॉ एन्ड ऑर्डर को ही प्रमुखता दें। आज हम इस स्थिति में हैं कि इसकी ज्यादा चर्चा न करें तो भी काम चल सकता है। आज ये बातें बहुत संकुचित सी जान पड़ती हैं कि पुलिस को फलां-फलां जगह मुकाबला करना पड़ा और उसमें कोई आदमी घायल हो गया तो उसको उस समय का वेतन दे दिया, ये वाजिब बातें हैं, किन्तु ये ऐसी बातें नहीं जिनका समावेश इसमें होना चाहिये। यह ठीक है कि किसी व्यक्ति का ओहदा बढ़ाया गया, यह उचित कदम है, लेकिन मेरे खयाल से यह समस्या अब खत्म हो जानी चाहिये। डाकुओं के एक दो काण्ड जरूर हुए, यह हम मानते हैं कि इस मामले में हमने पहले से अच्छी प्रगति की है, साल के आरम्भ में हमने इसके लिये अच्छी कार्यवाही की, किन्तु साल के बीच में डाकुओं का एक-दो बार मुकाबला हुआ जिससे हमारे दिमाग पर कुछ असर हुआ, किन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उससे आयन्दा साल में इससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे, कहने में। लॉ एन्ड ऑर्डर का अलग अध्याय रखना अच्छी बात है, यह मैं नहीं मानता सामान्य प्रशासन के साथ ये बातें करीब करीब सब आजाती हैं। राजस्थान की विशेष स्थिति होने की वजह से पुराना जो तरीका बना हुआ है उसे हम लागू करते आ रहे हैं, लेकिन आज जब कि सामान्य स्थिति आ गई है तो इसकी विशेष चर्चा न की जाय तो ठीक है।

एन्टीकरप्शन बोर्ड के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने कुछ कहा; वैसे तो एन्टीकरप्शन बोर्ड पहले भी स्थापित था, पिछले भाषण में भी राज्यपाल महोदय ने कहा था कि जब तक हम भ्रष्टाचार को नष्ट नहीं कर पायेंगे तब तक हमारा शासन सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा। राज्य सरकार इसके बारे में बहुत सतर्कता से काम करेगी। जहां तक इस बोर्ड के उद्देश्य का सवाल है, यह तो पहले से ही सरकार सामने रख कर चल रही थी, लेकिन इतनी व्यवस्था से संतोष न होने के कारण स्पेशल आई० जी० की भी नियुक्ति इसके लिये की गई और उसके साथ साथ स्पेशल ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की गई, उनको नये अधिकार दिये गये; जब यह व्यवस्था हो चुकी है तो मेरा ऐसा खयाल है जो एन्टीकरप्शन बोर्ड है उसको नहीं रखा जाना चाहिये; इससे होता क्या है कि जैसा प्रभाव इसका पड़ना चाहिए वैसा पड़ नहीं पा रहा है। जब हमने स्पेशल आई० जी० की नियुक्ति कर दी, तीन ऑफिसर्स और नियुक्त कर दिये उसके बाद तो इसका असर आना चाहिये। मैं खुद यह मानता हूं कि इन

(श्री भोलानाथ)

ऑफिसर्स के सामने दिक्कतें हैं, बोर्ड के होने के कारण वे अपने आपको स्वतन्त्र अनुभव नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड की आवश्यकता खत्म करके, जो वास्तव में एक प्रकार हैंडेक बना हुआ है, जो आलोचना का विषय है, उसके लिए पहले हमें इसको स्वतन्त्रता देकर देखना चाहिए कि जिस काम के लिये ये आए हैं उनसे सही तरीके से काम लेकर देखिये, अगर उनको ठीक पाते हैं तो हमारी सरकार के लिए यह यश का भाजन होगा कि बोर्ड को समाप्त कर दिया जाय, ताकि जिस काम के लिये आपने स्पेशल आई० जी० और अन्य अधिकारियों को रखा है उनका कार्य सामने आ सके। आज तक जो भी कदम उन्होंने उठाये हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं; यह राज्यपाल के पिछले भाषण की तरह एक ठोस कदम है, यह मैं मानता हूं।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे सामने सवाल हैं, उन सवालों पर हम अपने एस्टीमेट देने में थोड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं, वह यह कि हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं, जो विषय आते हैं या तो हमें भाषणों से पता चलता है या आलोचनाओं से या सवालों के जवाब से पता चलता है। अगर इस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने हों तो हम सही एस्टीमेट कर सकते हैं। जिस प्रकार वार्षिक प्लान्स प्रकाशित किये जाते हैं उनमें यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ स्प्लिटिंग आइटम (spiliting item) हों तो हमें पता चल जाय। प्लानिंग कमीशन ने जिस प्रकार रिपोर्ट छापी है उसका भी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये कि फलां-फलां जगह टर्बाइन लगाये जायेंगे, फलां-फलां जगह यह कार्य होगा। बड़े २ प्रोजेक्ट्स का जरूर जिक्र होता है, लेकिन मैं यह निवेदन करना पसन्द करूंगा जो काम डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे-बड़े हों या जिले में जो कुछ भी होने वाला हो उन सब बातों की निश्चित योजना हो तो हमें अपने विचार रखने में सुविधा हो सकती है, जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है इसकी सूचना हमें जरूर होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन सा हिस्सा किस किस डिस्ट्रिक्ट का इसमें आ रहा है, तो हम भी सुझाव दे सकते हैं। आज तो यह एक प्रकार की पद्धति सी बन गई है कि राज्यपाल के भाषण पर हम विचार करें और उनको धन्यवाद का प्रस्ताव पास करें, तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे प्रकाशन भी हमें सामने लाने चाहिये जिनमें इन सब बातों का समावेश हो।

ज़ोनल कौन्सिल्स के बारे में, जिसका इस भाषण में जिक्र किया गया है और उसके कुछ आंकड़े भी इसमें दिये गये हैं, मेरा यह मानना है कि जब ज़ोनल कौन्सिल बनाई गई हैं तो उसका हमको फायदा जरूर होना चाहिये। जिस स्टेट के साथ हम जुड़े हुए हैं उसकी प्रगति का और बोर्डर का परिचय रहे। ज़ोनल कौन्सिल बन जाने के बाद हमें चाहिये यह कि हम भी अपने राज्य के सवालों को उसमें रक्खें, आज पंजाब में किस प्रकार प्रगति हो रही है, अभी-अभी नांगल से बिजली दिल्ली को मिली, दिल्ली से आती हुई पंजाब के गुड़गाँव और अलवर के बोर्डर पर चली जाती है, लेकिन अलवर के जो बीच के गांव हैं वे बिजली के प्रकाश से महरूम रह जाते हैं, इससे जनता के दिमाग पर असर पड़ता है। इस प्रकार के सवालों के हल के लिये ही ज़ोनल कौन्सिल का निर्माण किया गया है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि पास के गांवों में तो उजाला है और दूसरे

(श्री भोलानाथ)

राज्य में उजाला नहीं। अगर इस पर बहस की जाय तो बहस तो हो सकती है, लेकिन जहां तक जनता के दिमाग में ये बातें बैठाने का सवाल है वे बातें उनके दिमाग में नही आतीं, वे तो यही सोचती है कि हमारे पड़ौसी गांव में उजाला है तो हमें भी उजाला मिलना चाहिये। जहां आज हिन्दुस्तान को विकास की सुविधायें प्राप्त हो रही हैं, जिसकी तारीफ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि बड़े-बड़े नेता किया करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन इन छोटे-छोटे सवालों पर हमारा ध्यान नही जाता।

भाखरा बान्ध का काम चल रहा है, यह काम पंजाब के बोर्डर पर चले और गंगानगर में न चले तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि वहां की जनता में असन्तोष पैदा होगा। इसी तरह से पंजाब के गुड़गांवां में बिजली आती है, भरतपुर के बोर्डर से जा रही है, लेकिन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बिजली का पता नहीं, तो यह ऐसा प्रश्न है जिस पर गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा।

ज़ोनल कौंसिल का जिक्र भाषण में किया गया इससे खुशी है कि हम एक बड़ी इकाई के एक अंग हैं और उनके नफे-नुकसान में साझेदार हैं। जहां खुद हम डेढ़ करोड़ हैं वहां अन्य कई करोड़ जनता के साथ बैठकर अपने भले बुरे के बारे में फैसला करेंगे और हमारे शासन के उच्चाधिकारी भी उनके साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे। इससे महसूस होता है कि राजस्थान भी अन्य राज्यों के समान स्तर पर प्रगति कर रहा है, इससे हमें बढ़ावा मिलता है।

फैमीन के बारे में बात कही गई। हमें अब इस मामले में एक्सपर्ट हो जाना चाहिये। हम पिछले आठ-दस सालों से इस अकाल की स्थिति पर विचार करते रहे हैं। ३८॥ हजार मील का एरिया इससे प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अब हमें कोई स्थायी और निश्चित योजना इसके लिये रखनी चाहिये। हमारी प्लानिंग के साथ जो क्लैमिटीज़ (Calamities) इस तरह की आती हैं उन क्लैमिटीज़ का मुकाबला करने के लिये ऐसी योजना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त जो आंकड़े विगत वर्ष की प्रगति के दिये गये उनसे तो हमें सन्तोष होना चाहिये। पर मैं एक बात निश्चित तौर से कहना पसन्द करूंगा कि जिन एरियाज़ में यह काम होता है वहां पर इमीजिएटली इसे शुरू कर सकें, ऐसा प्रबन्ध करना होगा और वहां के लिये हमारी शासन प्रणाली पर यह असर रहे कि कुछ रुपया इस तरह फेमीन के नाम से खर्च होने वाला है वह सही तरीके से हो। हाउस में भी इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, रुपया सही तरीके से खर्च नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि जब यह चर्चा का विषय आवेगा उस समय इस पर विशेस रूप से प्रकाश डाला जावे।

बाकी और जितने विषयों पर राज्यपाल महोदय ने चर्चा की और जो आंकड़े हमारे सामने रक्खे उनसे काफी सन्तोष है मुझे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इस वर्ष नये ढंग से कई बातें कही गईं और कुछ एक ठोस कदम उठाने की बात कही गई उससे बड़ा सन्तोष होगा।

हमारे इस प्लान में दो बातें हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च होने वाला है और दूसरा कैसे होने वाला है, कौन करेगा ? रुपया खर्च करने वाले कौन हैं, किस प्रकार

(श्री भोलानाथ)

से खर्च होगा, समय में खर्च हो सकेगा या नहीं यह बड़ा सवाल है। रुपया हमारे पास है, एक बात, दूसरी बात है खर्च करने की। अब तक हम खर्च कर सकने की स्थिति में रहे हैं। टैक्नीकल और प्रशासनिक योग्यता वाले उच्च अधिकारी हमारे पास हैं और वे रहें, उनकी कमी न आने पावे इस तरफ ध्यान दिया जावे और साथ ही साथ अपव्यय और लीकेज, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को भी सख्ती से रोका जावे। इस पर भी राज्यपाल महोदय ने जोर दिया है, यह प्रसन्नता की बात है। इसलिये मैं निश्चित रूप से इस भाषण को धन्यवाद के योग्य समझता हूं और मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि आप इसे सर्व-सम्पत्ति से पास करें।

(करतल-ध्वनि)

१. १६. म. प.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भोलानाथ जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

जहां तक हमने देखा इस भाषण में राज्यपाल महोदय ने बड़े विस्तृत रूप में यह बताया है कि सरकार के तरह तरह के विभाग किस तरह से कार्य कर रहे हैं और हमने क्या क्या प्रगति की है, इसका लेखा जोखा (अभिभाषण में) दिया है।

अगर हम देखें तो शुरू से ही उन्होंने हमारी विकास योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं और उनकी क्या प्रगति है इसके आंकड़े दिये हैं और उन आंकड़ों को सन्तोषजनक कहने के बजाय हम उत्साहवर्द्धक कहें तो ज्यादा मौजूं होगा।

जहां तक दूसरी पांच साला योजना को लागू करने या सवाल है दो साल बीत गये हैं और तीन साल और बाकी हैं। विगत वर्षों में खाद्यान्न उत्पत्ति एवं उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रयत्न किये गये हैं और वे आगे भी जारी हैं। सब को न्याय दिलाने के लिये समाज में एक प्रयत्न जारी है। आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयत्न किया गया है। जो अमीर और गरीब के भेद हैं उनको मिटाने के लिए उत्पादन वृद्धि भी एक रास्ता है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने इस ओर काफी प्रयत्न किया है और हम देखेंगे कि किस तरह से वो सामाजिक क्रान्ति और आर्थिक क्रान्ति धीरे धीरे राजस्थान में लाई जा रही है।

जहां निर्माण का सवाल है, विकास का सवाल है, वहां पर राज्यपाल के इस वक्तव्य से पूरी तरह से हमें सन्तुष्ट होना चाहिये। हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम एक इस तरह का इरादा रखते हैं कि हमारी सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगी और कामयाब होगी। जहां एक तरफ हमको आंकड़ों से यह साफ तौर से दिखाया गया है कि पहले साल जहां ४१ हजार टन की खाद्यान्न की उत्पत्ति में बढोत्तरी हुई थी वहां इस साल एक लाख टन से ऊपर बढोत्तरी हुई है या निकट भविष्य में हो जावेगी, ऐसी आशा है।

उद्योगों को बढ़ाने के रास्ते में फोरिन एक्सचेंज की दिक्कत पैदा हो गई थी उसने सब राज्यों में दूसरी पंचवर्षीय योजना को पिछड़ा दिया है, लेकिन खुशी की बात है कि इस वक्तव्य से यह पता लगता है कि जिस विदेशी मुद्रा की कठिनाई से हम बिजली आदि के उद्योग परी तरह से पूरे नहीं कर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सकते थे, उस कठिनाई के ऊपर भी हमारी सरकार ने अपने नैगोशिएशन्स के द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रज़ामन्द कर लिया है। यह बात जनता द्वारा पूरी पूरी अभिनन्दन के योग्य होगी। बिजली का महत्व खेती-बाड़ी के लिये भी बहुत है। गांवों में भी कुछ डीज़ल इन्जिन भेजने की बात कही गई है, यह भी एक खुशी की बात है।

सड़कों के लिये भी हम देखते हैं कि सात सौ मील और आगे बढ़ाई जावेंगी। उद्योगों के लिहाज से और यातायात के लिहाज से राजस्थान में सड़कों की बड़ी कमी महसूस की जा रही है, उस कमी को सरकार धीरे-धीरे दूर करने की कोशिश कर रही है, यह प्रसन्नता की बात है और यह प्रयत्न अगर इसी तरह से जारी रहा तो अवश्य ही थोड़े अर्से में हम दूसरे प्रान्तों के बराबर में आ जावेंगे।

पिछले अधिवेशन में यहां काफी चर्चा थी और उससे काफी असन्तोष भी व्यक्त किया गया था कि हमारे यहां बेसिक इन्डस्ट्रीज़ को जगह नहीं मिलती। पर इस साल खुशी की बात है कि सांभर और हनुमानगढ़ में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार की राय पर दो बेसिक इन्डस्ट्रीज़ चलाने की स्वीकृति दे दी है और अब हम अच्छी तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हम राजस्थान में ही अपनी खाद की समस्या हल कर लेंगे और यही नहीं, बल्कि सस्ता खाद काफी मात्रा में पैदा कर सकेंगे जिसका कि असर हमारे उत्पादन पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। इसके बाद आप देखें कि जहां यह हरिजनों की बात कही गई है, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की, वहां एक संकल्प सरकार ने किया है कि हम इस विषय में जो कार्यवाही आवश्यक है उसको करने के लिए कटिबद्ध है और मैं इसको बहुत ही महत्व का विषय समझता हूं। जहां आर्थिक न्याय के लिए, गरीबी और अमीरी की दीवारों को मिटाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इतने प्रयत्न किये जाते हैं और उन पर बराबर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, वहां सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी कमी कई जगह महसूस होती है। हम अभी तक छोटे-बड़े का भेद-भाव और छुआछूत को नहीं मिटा सके हैं, सामाजिक न्याय अपने साथियों को नहीं दिला सके हैं। राजस्थान में बहुतसों को सामाजिक न्याय, जो हरिजन हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनको मिल जाय, समाज में सभी एक तरह के हो जायं, ऐसी विचार-क्रान्ति करने के लिए राजस्थान में जरूरत महसूस की गई है, उसकी सराहना की जानी चाहिए।

इसके बाद मैं आपके सामने कुछ ऐतिहासिक ढंग की बात कहूंगा, जिसके लिए राज्यपाल महोदय ने भी ऐतिहासिक बात कही है, वह है हमारी राजस्थान कैनाल योजना। उससे तो मैं समझता हूं राजस्थान में एक क्रान्ति ही होने वाली है और उसके लिए निश्चित् रूप से जहां ६६ करोड़ की पूरी स्कीम है वहां २२ करोड़ इसी प्लान में खर्च करने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उसका मतलब है कि हम राजस्थान में, जो खाद्यान्न के मामले में अभी तक परमुखापेक्षी रहता था पूरी तरह से अपने लिए ही नहीं, बल्कि बाहर की कमियों को पूरा करने के योग्य बन जायंगे। उसका असर निश्चित् रूप से हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर, आम आर्थिक स्थिति के ऊपर, पड़ने वाला है। यह निश्चित् धारणा है कि इस तरह की यह चीज़ और यह भाषण स्मरणीय रहेगी, इति-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ह्रास के रूप में। इसलिए राजस्थान में इस तरह का काम निश्चित् रूप से क्रान्तिकारी है और कैनाल निर्माण योजनाओं को एक मूर्त रूप देने की घोषणा है।

अब आपके सामने दूसरी बातें कुछ और भी इस तरह की हैं जिनको कि बहुत ही क्रांतिकारी कहा जा सकता है। हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जमींदारी उन्मूलन बिल, जिसके लिए आज से १०-१२ साल पहले की बात कहूँ कि कोई स्वप्न भी नहीं ले सकता था, वह चीज इस राजस्थान में आरही है। और दूसरी जगह चर्चा हो सकती थी, यू. पी. और बंगाल आदि दूसरे प्रान्तों में इसकी चर्चा थी और हो सकती थी, लेकिन राजस्थान का जहां तक सवाल था वहां तो इस तरह की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। राजाओं का राज्य था। जागीरदारों और जमींदारों के सामने किसान गर्दन ऊंची नहीं कर सकते थे, आज उसी जनता की ताकत पर, उसी जनता के बल पर, हम इस प्रजातन्त्र के युग में इस तरह का विधेयक, इस तरह का एक्ट लाने में कामयाब हुए हैं, जिससे कि सही तौर से हम जनता को इस राजस्थान का मालिक बना सकेंगे। इसमें सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ दी फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑफ राजस्थान, अभी सदस्यों को दी गई है। यह चीज भी समाज के अन्दर एक क्रांति पैदा करने वाली है। इससे जो टेन्शन था वह टेन्शन कम होने वाला है। उस टेन्शन के कम होने का क्या नतीजा निकलेगा, इस विषय में हमें इस रिपोर्ट से सूचना मिली है कि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स को किस तरह से पूरे उपयोग में लाने लायक बनाया जायगा, जिससे कि हम अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकें और राजस्थान के अन्दर लेण्डलैस लेबर को, जो बड़े जागीरदारों तक पास में बड़े-बड़े होल्डिंग्स होने के कारण गरीबी में दिन काटते हैं, एक तरह से बड़ी राहत मिलेगी और खेती करेगा उसका फल वह भोगेगा, इस तरह की नींव इस भाषण के जरिये राजस्थान सरकार ने डाली है।

इसके बाद, श्रीमान्, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारी शांति और व्यवस्था का सवाल है उसके बारे में कुछ बातें कहीं गई हैं। बतलाया गया है कि अपराधों की संख्या में कमी आई है। जहां तक यह है निश्चित रूप से एक मान्यता रही है कि अपराधियों की संख्या में कमी हो तो पुलिस की एफिशियेन्सी मानी जाती है और अपराधों की संख्या में राजस्थान के अन्दर कमी आना इस बात का द्योतक है कि हम शांति और व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ यह भी राज्यपाल महोदय ने बतला दिया है, स्पष्ट रूप से, कि पिछले कुछ महीनों में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं और उन दुर्घटनाओं के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है कि उनका मुकाबला करेगी और उन पर हावी होगी।

इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर कुछ न कुछ आंकड़े और खबरें हम लोगों को दी गई है। बहुत से अभावें अभियोगों को सुनकर हम सब अपनी अपनी जगह से इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आये हैं और यहां पर हम उन सब चीजों को इस दृष्टि से रखेंगे कि सरकार के विकास कार्यों को कामयाब बनाने के लिए, विकास योजनाओं को पूर्ण रूप से कामयाब बनाने के लिए सुझावों को दें, उस वक्त यह ध्यान रखें कि हम सुझाव मनवाने के लिए अपनी अपनी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जगह से लाये हैं और सरकार से अपेक्षा करें कि उन पर कार्य करके उन सब समस्याओं को हल करेगी, तो उसके लिए हमारे राज्य-पाल महोदय ने काफी सामग्री, जितनी भी एक्टीविटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स की, उन सब को इसमें शामिल किया है और उनके बारे में जो प्रगति या स्थिति है उस ओर कुछ न कुछ प्रकाश डाला है। जहां तक अभाव अभियोगों का सवाल है कई बातें उनके बारे में कही जाती हैं। बोलने से इतना पता चलता है कि आया अभाव अभियोगों को ठीक करवाना चाहते हैं या हमने हमारे अभाव अभियोग केवल रखने के लिए रखे हैं।

जहां तक संतोष की बात है जो बड़े बड़े जागीरदार हैं और जो बड़े बड़े होल्डिंग्स वाले हैं उनको तो इस बात से निराशा हो सकती है। वह निराशा एक अलग तरीके की है। लेकिन उस निराशा का सदस्य स्वागत करेंगे जिस निराशा के अन्दर यह ध्येय और लक्ष्य हो कि जिस लक्ष्य के पहुंचने पर राजस्थान की जनता का आर्थिक ढांचा ऊंचा हो सके। उस ओर जो भी असन्तोष हो वह तो संतोष लाने के लिए होगा। इस-लिए उस असंतोष की बात अगर होती है तो उसकी तरफ सरकार को पूरा गौर करना चाहिए।

इसके पहिले कि मैं भाषण समाप्त करूं मुझे कुछ भ्रष्टाचार के विषय में कहना है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो बोर्ड का पुन-र्गठन किया गया है और इस ओर सरकार ने जो घोषणा पहले जिस तरह से की थी उसी तरह से इस साल कुछ काम भी हुआ है। मुझे मालूम है कि कुछ बड़े-बड़े अफसरों के ऊपर, जैसा कि कहा गया था, मुकदमें चला दिये गये हैं, जिसका असर जनता पर भी पड़ा है और अधिकारियों पर भी। इस बात को देखते हुए इस तरह से आगे भी यह बोर्ड अपना काम करेगा। कमिश्नर की नियुक्ति और इस विभाग की स्थापना इस बात का द्योतक है कि अभी भ्रष्टाचार का उन्मूलन पूर्णरूपेण करने के लिये हमारे दृढप्रतिज्ञ होते हुए भी इस राक्षस को हम नहीं दबा सके हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि अक्सर सरकारी ओफिसर जो हैं उनके प्रति बड़ा कड़ा रुख अख्त्यार करते हैं। मैं कहूंगा कि सरकार के हाथ में जो सर्विसेज़ हैं उनमें से भ्रष्टाचार को हटाने के लिये जो कामयाबी की चर्चा है वह उत्साहवर्द्धक है, जो सरकारी वर्ग है और जो डिपार्टमेन्ट्स को चलाने वाले हैं जिनके जरिये हमारा काम पूरा होता है, वे हमारी कामयाबी के लिये पूरी तरह से श्रेय के भागी-दार हैं। लेकिन उनके बारे में जब किसी तरह की बात आती है तो उस बारे में मैं कहता हूं कि कल्पना कीजिये ८० रुपये पाने-वाले एक क्लर्क के सामने हजार रुपये का फायदा उठानेवाला शख्स ५०० रुपये रख देता है तो कौन भागीदार है इस भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचारी वह होगा जो रुपये देता है, जो रुपये देते हैं वे भ्रष्टाचार के प्रेरक हैं। उनकी बात जब हमारे सामने होती है तो हम ध्यान से सुनते हैं। जो लोग राजस्थान सरकार का काम करते हैं वे किसी तरह से अपना पेट भरते हैं। उनके दिमाग के संतुलन को खराब करनेवाले भ्रष्टा-चारियों को ज्यादा दंडित किया जाना चाहिये, बनिस्पत छोटे छोटे कर्मचारियों के।

मैं म्युनिसिपल कमेटी में हूं। वहां भ्रष्टा-चार के कई मामले होते हैं। मैं कह सकता हूं कि दो-ढाई साल में जो मुकदमें चले उनके बारे में आपको कहते हुए दुःख है कि म्युनि-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सिपल कमेटी के फंड से ५० हजार रुपये ऐसे लोगों को हाई कोर्ट से छुडाने के लिये देने पड़े। उन पर केस चलाने के बजाय ज्यादा अच्छा होगा उन सेठियों पर केस चलाया जाय जो रुपये देकर अपना काम करना चाहते हैं। ऐसे नागरिकों को जिन को नागरिक कहने में शर्म आती है, ऐसे लोगों को पकड़ कर उन पर केस चलाना चाहिये। हमने आज तक केस इसी तरह के देखे हैं कि सरकारी लोगों पर ही चलाये जाते हैं, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, वह भी अच्छी बात नहीं है और इस बात को रोकने के लिये सरकार इकतरफा कार्यवाही करे यह भी ठीक नहीं है। जो देनेवाले हैं उन सेठों पर मुकदमा चलाया जाय तो भ्रष्टाचारियों पर सही रुपसे मुकदमा चल सकता है, ऐसी मेरी धारणा है।

भ्रष्टाचार होते हैं तो एक चीज होती है। दो पार्टियें मिलती हैं उनमें अविश्वास नहीं होता यदि अविश्वास पैदा नहीं हो तो भ्रष्टाचार किसी हद तक रुक सकता है। वह तभी रुक सकता है जब देनेवाला यह समझना छोड दे कि मेरे कोई पूछनेवाला नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में ऐसे संशोधन किये हैं जिनकी वजह से देनेवाला, लेने वाला और जिस के जरिये से लिया हो, उन पर भी केसेज़ चलाये जा सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि अफसरों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दिया जाय कि जिन लोगों का नाम पैसे देने वालों में लिया जाता है और जो अपने आप को बड़ा मानने का दावा रखते है उनको पकड़ कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। जो लोग यह कहते शर्माते नहीं हैं कि मैंने एक हजार रुपये या दो हजार रुपये दिये उन पर मुकदमा चलाया जाय और उनको एक अपराधी की तरह समझा जाय और कोर्ट के सामने खड़ा किया जाय, ऐसे दो चार केसेज़ चलाने में सरकार सफल हुई तो और तरह की भावना फैल जायगी और पैसे वाले, जो देश के दुश्मन बने हुए हैं, उन पर देश और समाज की कड़ी निगरानी रहेगी और और उन पर नियन्त्रण करने की कोशिश की जायगी, तो इससे बड़ा फायदा होगा, जो बाहर के आदमी उपयोग करना चाहते हैं सरकारी मशीनरी का, जिनको कि उपयोग करने का हक नहीं है और जो हमला करते है उनको रोकना बहुत आवश्यक है। हम सब चीजों को न्याय और कानून से करना चाहते हैं। इस के लिये किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बल्कि न्याय-व्यवस्था इस बात की हैं कि हर आदमी के लिये न्याय का दरवाजा खुला हुआ है। इसका उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये। सर्विसेज़ को डीमोरेलाइज़ करनेवाले वे लोग सामने लाये जाने चाहिये जो इस बात की चेष्टा करते हैं। जो ईमानदार अफसर हैं उनकी तारीफ होनी चाहिये और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जिनकी रेपुटेशन खराब है, उनको तरक्की देते समय ध्यान रखना चाहिये। जो ईमानदार लोग हैं उनको पहले तरक्की देनी चाहिये और जो इधर उधर करते हैं वे ही लोग अफसरों को खुश रह सकते हैं। ईमानदार लोगों के लिये बड़ा मुश्किल होता है। वे लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते इसलिये उनको सफर (Suffer) करना पड़ता है। ऐसे लोगों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं जोरदार शब्दों में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री मुरलीधर व्यास का संशोधन है, जिसे वे

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तुत करेंगे। संशोधन इस प्रकार है, "निम्न शब्द प्रस्ताव में और जोड़े जांय:

लेकिन खेद है कि दिन-दिन बढती जा रही बेकारी को रोकने के लिये इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण में एक संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं यह समझता हूं कि जहां तक राज्यपाल महोदय का भाषण है उस भाषण में राजस्थान की प्रायः समस्त समस्याओं का उल्लेख किया गया है और उन सारी समस्याओं में कहां तक प्रगति हुई है उसका भी उल्लेख किया है। जहां तक भाषण का सवाल है, मैं समझता हूं, उसमें जो बातें आई हैं उन पर वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन जो आवश्यक अंग इसमें होने चाहिये थे, जो कि हमारी योजना है और हम जो प्रतिवर्ष काम करते हैं उस काम के नतीजे का, नाप-तोल का अच्छा परिणाम सही माने में, स्पष्ट रूप में क्या है, उसको देखने को यदि कोई कहते हैं तो यह होता है कि जिस कार्य को हमने किया है उससे कितने लोगों को लाभ मिला है और यदि हम इस काम के साथ सब का सम्बन्ध नही बढ़ा सकते, इसको स्पष्ट रूप में नहीं कर सकते तो ऐसी हालत में हो सकता है कि हमने बहुत सी उन्नति की हो लेकिन इसका सम्बन्ध उससे नहीं होता है तो हम ऐसा समझते हैं कि जिस मुख्य उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ रहे हैं उसमें हमको कहा तक कामयाबी मिली है और मिली है या नहीं? मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है उत्पादन काफी बढा है, इसी प्रकार खनिज उत्पादन का भी काफी विकास हुआ है और अन्यान्य चीजों का भी विकास हुआ है और दूसरी जितनी भी राजस्थान की समस्याएं हैं उन सबमें विकास की बात बताई गई है। हमारे देश में अनाज बढ़ता है, पर फिर भी वह अनाज कितने लोग पा सकते हैं और कितने नहीं, कितने आदमियों को अनाज लेने का मौका मिलता है और कितनों को नहीं। इसी प्रकार हमारे देश में कपड़ा बढा, फिर भी हमारे यहां नंगों की संख्या बढ़ रही है, भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ ही लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि विकास में और समस्याओं में परस्पर सम्बन्ध नहीं है, इसमें परस्पर सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं है कि सब ओर विकास हो सके। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर या तो यह बात साफ होती कि इस प्रकार से औद्योगिक विकास करके इतने आदमियों को इस प्रकार काम दिया, इस प्रकार दूसरे कामों का विकास करके इतने आदमियों को काम दिया। मैं जहां तक समझता हूं इस मामले के अन्दर सही मायने में हम पूर्णतः असफल रहे हैं और इस असफलता का जो सरकारी प्रमाण है वह एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके द्वारा यह प्रत्यक्ष जाहिर होता है और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। उसमें यह उल्लेख है कि राजस्थान का जो इम्प्लोयमेंट एक्सचेंज डिपाटमेंट है, जो नौकरी दिलाने वाला विभाग है, उसमें सन् इतने में इतने आदमियों ने कार्ड रजिस्टर कराये और उनमें से इतने आदमियों को काम दे सके। हम यदि प्रति वर्ष का नतीजा देखें तो उससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि दिन पर दिन कार्ड्स की संख्या बढ़ती गई और सरकार ने जितने आदमियों को काम दिया, वह संख्या घटती गई।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार की सरकारी रिपोर्ट है। इससे स्पष्ट है कि बेरोजगारी को दूर करने का तथा लोगों को काम दिलाने का सरकार का जो असली काम है, उसमें सरकार असफल रही है और इसका इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। इस बात को हर प्रगतिशील आदमी मानता है कि जो सरकार की नीति है विकास की, वह ऐसी नहीं है कि हर आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। सरकार की नीति इस प्रकार की है कि कुछ लोगों का ही स्टेन्डर्ड उससे ऊंचा होता है और उसके साथ ही साथ कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा उत्पादन का लाभ मिलता है और बहुत से लोगों को उससे लाभ नहीं होता। यह जो धीरे-धीरे उठने वाली नीति है, उसका यह नतीजा हो रहा है कि दिन पर दिन बेरोजगारी फैलती जा रही है, दिन पर दिन भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो वस्तुस्थिति से इसका मेल होना चाहिए और इसका मेल नहीं होता है तो ठीक बात नहीं है। हम मानलें कि यदि उत्पादन बढ़े तो उसका हर आदमी को लाभ मिले और उसके साथ ही साथ दूसरी बात है कि लोग उस लाभ का फायदा कहां तक उठा सकें? उसके अन्दर हम कामयाब नहीं हो सके, इसलिए मैं मानता हूं कि जिस नीति के आधार पर सरकार काम चला रही है, वह हिन्दुस्तान व्यापी नीति है और उस नीति में भी जहां तक लक्ष्य का सवाल है, उसको हम छोड़ देते हैं, तो भी हम पंचवर्षीय योजना द्वारा किये जाने वाले विकास का लक्ष्य देखें कि हमको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है और उसमें सबसे बड़ी बात देखने की है वह यह है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो। यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। बेरोजगारी दूर हो, इसका मतलब यह है कि हर आदमी को काम मिले और हर आदमी को खाने को मिले। यह सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका सम्बन्ध जब तक विकास के कार्य क्रम से नहीं जोड़ा जाता, मैं समझता हूं, कि जो मुख्य लक्ष्य है, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह एक त्रुटि रह गई है और इस त्रुटि के रहने के साथ ही साथ अगर हम यह मानलें कि इस प्रकार की त्रुटि का इस प्रकार सुधार करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जो सोचने का तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका है, उस तरीके से हम इस रास्ते पर बढ़ सकेंगे। आज राजस्थान में बेकारी की समस्या ऐसी है कि कोई भी आदमी इस बात को कह सकता है कि हमारा इस मामले में विकास हुआ है, इस चीज में विकास हुआ है। उसके साथ ही साथ जो वस्तुस्थिति है, उससे अलग नहीं कह सकता। किसी भी स्थान पर आप जाइये, आपको भिखारियों की फौज मिलेगी। बीकानेर नॉर्दन-रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांग थी, उन्होंने एक हजार आदमी चाहे थे, उसके लिए २० हजार दरख्वास्त पहुंची। इन २० हजार दरख्वास्तों में से २००, ३००, ४०० आदमियों को काम मिलेगा। बीकानेर जैसे शहर की ऐसी स्थिति है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए २० हजार दरख्वास्त पहुंची। इसके अलावा आप दूसरे इलाकों में देखिये कि क्या हालत है असली मायने में बेरोजगारी की। इस स्थिति की हम इस प्रकार से उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ओझल कर देते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो असली लक्ष्य है, उसको छोड़ कर आगे चल रहे हैं और लक्ष्य को छोड़ कर आगे चलते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आगे जो सफलता हम चाहते हैं वह प्राप्त नहीं हो सकेगी। ऐसी

(श्री मुरलीधर व्यास)

हालत में सदन के सम्मुख मैंने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें इस बात पर खेद प्रगट किया है कि इस समस्या का राज्यपाल महोदय ने उल्लेख नहीं किया है। यह बढ़ती हुई समस्या प्रान्त के अन्दर है, उसका समाधान करने के लिए अगर सकरार प्रयत्न करेगी तो इससे हर व्यक्ति को विश्वास हो जायगा कि सरकार वाकई समस्या के प्रति जागरूक है। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के लिए यह समस्या एक बड़ी जटिल समस्या जरूर है, पर इस सरकार को सर्तक रहना आवश्यक है। सरकार को यह देखना चाहिए कि आज राजस्थान के कितने कितने आदमी कहां कहां काम करने जाते हैं ? आज अकाल की समस्या पर कहते हैं कि चालीस लाख आदमी अभाव ग्रस्त हैं, अकाल से चालीस लाख आदमी अभाव ग्रस्त हुए, उन्हें काम कहां से मिलेगा ? ठीक है, उन्हें सहायता दूसरे तरीकों से दे देंगे। मैं केवल बेरोजगारी को हल करने की बात ही नहीं कहता, अकाल की समस्या हमारे लिए हर वर्ष की है, आये दिन हमारे सामने ऐसी समस्या आती है, इसके कारण हजारों-लाखों आदमी राजस्थान के बाहर जाते हैं। आप दिल्ली में जाकर देखिये, कितने आदमी वहां काम की खोज में निकले हुए हैं, अहमदाबाद में जाकर देखिये, दूसरे प्रान्तों में देखिये, वहां कितने आदमी काम के लिए जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में पढ़े लिखे लोगों की समस्या है, राजस्थान में कितने लोग पढ़ कर निकलते हैं और सरकार कितनों को काम दिला सकती है। इसी प्रकार से जो इन्जनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, दूसरे विभाग हैं, उनमें जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं, उन पर कितने आदमियों को काम दिला सकती है। जब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को काम नहीं दिला सकती तो उनको कैसे काम दिला सकती है ? तो इस समस्या का समाधान योजना बद्ध होना चाहिये, इस दृष्टिकोण से इस बात को सदन के सम्मुख रख रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि यह जो बर्निंग प्रोब्लम है, इस ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इस संशोधन को रखा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में इतना जोड़ दिया जाय कि राजस्थान सरकार बेरोजगारी की समस्या को, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रयत्न करेगी। मैं समझता हूं कि जो सरकार की योजना है, उस योजना के अनुकूल यह प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि इसको सरकारी पक्ष और दूसरे पक्ष मान्यता देंगे और इसका समर्थन करेंगे।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Speaker, Sir, befere I pass on to the motion of thanks as proposed, I should like to register a strong protest against the objectionable practice of distributing the printed address of the Governor in the official gallery before the address was delivered. From this we realise, we can only hope to realise...

श्री अध्यक्ष : The matter is already with the House in the form of a privilege motion and I don't think there should be any more debate on the question till that is disposed of.

राजा श्री मानसिंह : (जारी) This address by His Excellency the Governor should contain matters of policy which the Government wish to follow during the coming

(राजा श्री मानसिंह)

year. In the whole address containing 38 paragraphs, I was surprised to note, Sir, that there ware only 2 such matters relating to policy. One was ceilings that the Government proposes to introduce regarding ceilings on land holdings; and the other, which was in hidden terms, was the decantralisation of power. The address unfortunately, Sir, when I look through it, looks to me more like an election speech of a political party.

Going through the various points para-wise, we are told that the law and order situation in Rajasthan has improved. I would only mention a number of points from one district. From this, I hope, Sir, you will be able to realise whether law and order situation in Rajasthan has in actually or in fact improved or not. In places where thefts and dacoities took place hiddenly, dacoities are now openly taking place. A dacoity took place in the middle of the day in the city of Dholpur, but the police could not do anything about it. Rs. 40,000 were stolen from (अश्रव्य) sub-tehsil and an- other amount of Rs. 30,000 from Bhusawar was also removed by dacoits but the police have not been able to do anything about it. Some thieves entered in (अश्रव्य) in Bharatpur and with their guns scared away the people. A police thana is near this place, but nothing was done about it. At Alwar, jewellery worth Rs. 60,000 was stolen from the property of a Military officer, but to this date we have heard nothing about it. Similarly, Sir, how wide awake are the district authorities, the Collectors and S. P's. in the districts can be illustrated by one instance, where a certain Sohanlal, who was a Store-Keeper in P.W.D. at Bharatpur was charged with embezzlement and has been absconding. Just prior to the date that he absconded, the Collector and the S. P. were returning from the club and they were passing the P. W. D. godowns there and they themselves noticed that Government stores were being removed by certain persons. Unfortunately nothing was done by the Collector and the S. P. who were present.

We have been informed by the honourable member who has proposed this motion of thanks, Sir, that there is Harijan trouble in Bharatpur district. I admit, Sir, there is Harijan trouble in Bharatpur, but it has got nothing to do with either the zemindari system or other connected matters. The whole situation has been created by the unfortunate utterances of the honourable Member from Roopwas Scheduled Caste constituency in which he has openly tried to create hatred among the community......

श्री श्रीभानसिंह : Beg your pardon, there is no honourable member from Roopwas.

राजा श्री मानसिंह : Beg your pardon, that was in Bayana. If a member of the opposition even tried to contradict this hatred that has been spread about by the honourable member, then the Government would very likely take action against him under the Preventive Detention Act, whereas the honourable member from Bayana can do what he likes and nothing is done about them.

These are few items which I am trying to tell you from Bharatpur district only. What takes place in the other districts which are considered as 'problem districts' in Rajasthan, is anybody's guess. Law and order situation has improved and that is what the Government feels and that is why only a few days back when the honourable Prime Minister of India visited Jaipur, the police forces from a number of districts like Bharatpur, Udaipur were withdrawn to line the streets, because the situation has improved ! Constables, Head Constables, Sub Inspectors all were lining the streets to greet our Prime Minister. It grieves me that so much force was ued at such high cost to greet the servant of the people.

We are told that there has been improvement in the police force. We will appreciate the steps that the Government proposes to take in regarding the facilities to constables, head constables and sub-inspectors, that is a good thing. It has also been mentioned that the police refresher course would be taken early. Regarding the present system of the police refresher course, I would say a few words. In the past it has been a custom that when a person is to be punished, he is sent to refresher course.

I would like to know more about these modern weapons that the police force is to be equipped with. Being an ex-Army officer, I can quite clearly see that our police force at present cannot have anything better than those arms as were used in 1914 war. I do not know, Sir, whether the Government may be having a proposal for introducing nucleur weapons. There is no mention of the policy of reverting officiating Dy. S. P.'s who have served in that capacity for 3 to 6 years, who have gained experience in their work, and these persons are being replaced by new hands who have been promoted from the force. I would like to suggest Sir, that in the same way as teachers are given the opportunity of continuing their studies, members of the police force should be allowed to continue their studies in (अश्रव्य)

(राजा श्री मानसिंह)

which is technical requirement. In this respect I should also like to hear the reply as to what suggestions the Government has to curb the corruption in police force. I think the police Department really takes the cake amongst the departments in being the most corrupt department. While on the subject of anti-corruption, we welcomed last year a proposal put forward to us that we shall have an anti-Corruption Branch with Special I. G. P. as the head of it to run it. But it is really surprising, Sir, that during the past one year, the Special I. G. P.'s office has not yet been opened. We would like to know really how long it would take to organise that office; when he has left? The other thing of the Anti Corruption Branch, Sir, is that it is a practice that most corrupt officers of the Police Department are transferred to this Branch, mainly becauce the police Force itself is tired of them. I fail to understand why the police force retains these corrupt officers and why dose it not recommend to the Government to discharge them.

Then again, Sir, there is no suitable approach to the Anti-Corruption Branch. We have tried to reach them so often, but we have failed. I should like to read out an extract from what is happening in Bharatpur municipality regarding corruption. We have taken up this matter with the Government, with the Minister concerned, with the Director and also with the Anti—Corruption Branch and we were told by the Government side that you have elected these persons, now you put up with them. We have been told by the Anti—Corruption Branch that we will not take any action until the Government orders are issued to us. This is an extract from the audit report, Sir, regarding financial irregularities in Bharatpur municipality. The head has misappropriated Rs. 654/-. The recommendation of the audit in this case, Sir, is that "there is grave negligence on the part of the clerk concerned. He is responsible for criminal breach of trust which comes under Section 408/109 of the Indian Penal Code. Severe action should be at once taken." That is not the only one case; I have got many other cases, but I do not want to waste the time of the House. In every case the audit has recommended that severe action should be taken by the Government, but the Government is reluctant to do it.

Regarding the matters of policy which are hidden, because perhaps they may cause dis-satisfaction, but which will be introduced later on, Sir, in bills in this House, I should like to say a few words. There is the Rajasthan Canal scheme. In the particular paragraph pe

(राजा श्री मानसिंह)

rtaining to the scheme in the address, Sir, the facts and figures that have been mentioned, do not in actual fact reveal the real picture of the situation. Most of the good lands in that area are being given to former Jagirdars instead of the landless agriculturists who already reside there. Secondly, Sir, that Khatedari rights are not being granted to the people who have taken lands in that area.

श्री जगदीशप्रसाद : A point of privilege, Sir. A man sitting in the visitors' gallary is noting something. He cannot do it. He is a man of C. I. D.

श्री चन्दनमल वैद : That is a danger to the honourable member who is speaking.

श्री अध्यक्ष : We will look in to the matter.

राजा श्री मानसिंह : The reason why the Govarnment is reluctant in granting Khatedari rights in this area is, Sir, I understand, that if the Government in later years wishes to resume this land, then they will have to pay less compensation. Does not the Government realise, Sir, that unless you give security to the farmer, there can be no improvement in the land whatsoever. Who is going to waste his money unless there is security ?

It is heartening to note, Sir, that the Government is going to enforce the Redemption of Rural Indebtedness Act. It is heartening because, Sir, coming from Bharatpur; we had this thing in Bharatpur State in 1943, and at the formation of greater Rajasthan, this Act of Bharatpur was repealed. Why it could not be continued then in amended form to confrom to present Act, I do not know, Sir. But it is a good thing.

We are told that the Government proposes to bring a bill to enforce ceilings on agricultural holdings. I strongly oppose this, Sir. But I will go more into this matter when the bill as such comes up. At this stage I shall just like to point out what the ultimate aim of our Government is. We put ceilngs on land holdings with the excuse that everyone should have an equal amonut of land to cultivate. When these ceilings are established, then we will be told that these land holdings are too small. Therefore, you should from co-operatives. We will be forced to form co-operatives in another 10, 15 or 20 years and the system that was forced on tne farmers of Russia will be forced on the people of India. This is why I oppose this.

It is very good, Sir, to know that the Rajasthan Government proposes to build 700 miles of new roads. It would be more heartening, Sir, to know whether we also intend to upkeep the existing roads Roads today are very badly made.

(राजा श्री मानसिंह)

and anyone can see that. I should think that the present P. W. D. Minister and perhaps his successor P. W. D Ministers are on the waiting list, should be sent to America and see that how roads are really made.

एक माननीय सदस्य : Why not to Moscow ?

राजा श्री मानसिंह : When our present roads are made, when one rain passes, after 3-4 months it is hard to find the roads. It would be much better if we had half this new mileage as our target and put in more permanent type of roads.

एक माननीय सदस्य : But they will not find their way back to Rajasthan from Moscow.

राजा श्री मानसिंह : (जारी) Only reasons, I can think of, Sir, that roads are so badly made is the all inefficiency of the Depatment concerned and secondly corruption. We can make all technical points that road rollers are not heavy enough to cope with the present heavy traffic that is being carried. It is also heartening to learn that some heavy industries are to be opened in Rajasthan. We are told that ammonium sulphate may be manufactured in Hanumangarh and phosphate and super-phosphate in Sambherlake. These proposals were made by committees—one Mukerji Committee and other by Shri Adiya. I want to know, Sir, whether they considered other areas of Rajasthan as well. I should like to suggest that all these industries conld easily be accommodated in Bharatpur which is half way between the raw material and the coal which will have to be shifted to either Hanumaugarh or Sambherlake. We have better communication facilities than any other city in Rajasthan.

Then there is a old problem, Sir, which the Government takes great pleasure in saying and which I have displeasure in hearing, is about Khadi. We are told that the provision of Khadi has improved. Well, I strongly oppose that the Government funds should not be used on this item. Khadi at one time was a symbol of National pride but now it is distinguished to only a partyism. The way, we so easily give subsidy for Khadi. may, I can only say is that this is an excuse of feeding congress party workers for touring for election purposes for party hands and secondly, Sir, in this period whether we want more funds to try and make our Second Five Year Plan a success, we should chose a little of economy. In the same way, in the right sense, we should supply a better quota of stuff to last longer so that it does not require so much money, with regard to Khadi I have strongly opposed the purchase of Khadi for uniforms for Government servants. It costs more, it does not look so decent and it does

(राजा श्री मानसिंह)

not last so long. It is really surprising, Sir, that in this year, year of sputnicks, all learned friends tried to get on this Charkha and Khadi.

This LowIncome Group Housing Scheme, Sir, is a very good thing but in certain cases it has been misused and we should keep a watchful eye to see that the misuse is as small as possible. The scheme has failed as I could understand from the heading and the application of it. It is mainly for the lower middle classes, but there have been cases where the scheme has even touched, what I can term, higher classes. I will give you three examples of misuse; a loan has been taken by an Assistant Secretary of the Government under the Low Income Group Housing Scheme. I would like to know whether the Assistant Secretaries or the Secretaries are under paid by the Government or not. Secondly, Sir, two instalments have been given to an individual in Jaipur city who has not even yet got a plot. A loan is there to build a house but the individual has not got a plot yet and two instalments have been given. I have not been introduced to this individual, Sir, otherwise I would have found him wearing Khadi. Lastly, Sir, three loans in the name of three wives of one Congressman. This is like a same excuse. Three loans in the name of three wives of one Congressman have been given in Bharatpur city for one house only. Have the three loans to three wives of one Congressman been given for one house only ?

Regarding the decentralisation of power policy of the Government, Sir, there has been no suggestion in the address as to how the Government propose to do this. We have been told that the Government....

We have it, Sir, I will give. There is no harm. He is a member of the Municipal Committee at Bharatpur Mr. Mahesh Chand.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is no Congressman—Congress party member of this name. Question does not arise, Sir.

श्री अध्यक्ष : Let us not bring party matters. The name is there.

राजा श्री मानसिंह : Regarding decentralisation of power, the Government used to implement certain suggestions contained in the Balvant Rai Mehta Committee report. On one side, we want to decentralise power, we postpone District Board elections, we even have ideas of not holding them at all and then we try and establish District Councils which are mostly nominated bodies. When this amendment comes up, Sir, then I shall say more.

It was difficult for me to follow two paragraphs in the address. One is paragraph 6 regarding improvement in Agriculture in Rajasthan and that how agriculture produce in Rajasthan in the year 1957-58 has increased by 1.05

(राजा श्री मानसिंह)

tons. On the other hand, just read a line fro n paragraph 6...

(बाधा)

श्री अध्यक्ष : Please let the Honourable Member speak.

राजा श्री मानसिंह : On the other hand, in para 34 we were given lot of figures regarding famine condition in 13 districts in Rajasthan, 5,137 villages were effected. 42,86,706 persons are effected which is nearly half the total rural population of Rajasthan and that means that the rest of Rajasthan, the result of the half of the agriculturists have done very good job in increasing the production by 1.05 lacs tons. It is hard to believe, Sir, but probably the Government who prepared the address, could not deal with these two items and have therefore placed them far apart of each other.

Regarding famine, we are told that the fall in the price of grains is a good thing and will improve the situatian. His Excellency, the Government mentioned the word 'Janata.' Apparently 'Janata' means, Sir, these people who durell in towns. No farmer can ever benefit if agriculture produce prices fall. Under the circumstances that prevail every one shouts that the prices of agriculture produce should go down when the price of no commodity has shown a fall in price.

We are being in this manner, given to slogan, Sir, old farmers grow more for less prices so that you can pay more for the things you require. Why, cannot we have the Government atleast give a guarantee puts a minimum reasonable price for the produce which the farmers produce. Lastly, regarding the latest news, Sir, I should like to mention one more point before giving my suggestions i.e. regarding recruitment to the R. A. S. It has been mentioned that 40 persons were recruited during the emergency to the R. A. S. and that they have now been absorbed in the services. It is to know, Sir, that in those 40 places, those officers who were officiating from 3-4 and five years, had good experience have been reverted. This sort of thing introduced provokes dissatisfaction in the services which will eventually result in the inefficiency of administration.

Regarding the suggestions, Sir, I should like to put up some suggestions which, some of them, I hope be contained in the budget proposals to be put before the House next and some now. I would like to suggest that the Government should hold District Board elections as provided for by the Act. I would suggest, Sir, that octroi taxes should be abolished. They should be replaced by house taxes and other allied taxes. Most of these octroi taxes are borne by the agriculturists or the poor classes,

(राजा श्री मानसिंह)

I would suggest, Sir, that we abolish land revenue. The farmers have to pay agriculture income taxes, they have to pay sales tax. Why cannot we think for abolishing land revenue? Nobody in towns have to pay land revenue to Government, in any way, whatsoever, then why should the farmers have to pay land revenue? These are the suggestions, Sir, those I want to put forward before the Government.

The fast point I would lik to make is a rumour which I have heard in Jaipur which seems to be quite strong regarding the report of the Capital Enquiry Committee. Everywhere I go, I hear that Ajmer has been chosen to be the Capital of Rajasthan. I would really like to know, Sir, whether this is a fact or not?

With these words, Sir, I oppose this motion of thanks. This can from the way I have heard the proposal itself, I think, many across the floor would support me, Sir.

श्री रघुवीरसिंह जावली (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनकर मेरे दिमाग में उलझन पैदा होगई। उलझन यह थी कि आया जो एक रोज़ी पिक्चर राज्यपाल के अभिभाषण में दिखाई गई है उस पर विश्वास किया जाय या दिन रात हमारी दुर्दशा का जो अनुभव कर रहे हैं, उस पर विश्वास किया जाय। मैं इस उलझन में था लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जब धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया All that glitters is not gold अर्थात् जो कुछ भाषण में कहा गया है उसको उसी तरीके से नहीं लेना है, अस्तु मैं भी इस निश्चय पर पहुंचा कि जो कुछ भी रखा जा रहा है सही नहीं है, उसको भी कसौटी पर तोलना होगा।

सब से पहले जो राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया वह शान्ति और व्यवस्था के बारे में था। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछली बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि सरकार की अयोग्यता के कारण जनता का सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, इसका परिणाम हो सकता है कहीं न कहीं तूफान आए। इसका उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा और बड़े गर्व के साथ कहा था कि अगर ऐसी परिस्थिति आ भी गई, पहले तो आने की नहीं अगर उस पर भी आगई, तो हम उसको कुचलने का सामर्थ्य रखते हैं। कुछ ईश्वर की कृपा से समझिये इस गर्वोक्ति के दो महिने के भीतर ही भीतर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगई। विद्यार्थियों का आन्दोलन राजस्थान में छिड़ा और इस आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ा कि सरकार जिसको कुचलना चाहती थी उसको कुचल नहीं पायी। आखिर विद्यार्थियों के साथ समझौता करना पड़ा और आन्दोलन को निपटाना पड़ा। जिन शर्तों पर समझौता किया गया अगर उन्हीं शर्तों को विद्यार्थियों के सामने रख दिया जाता तो न विद्यार्थियों का दो महिने का समय बरबाद होता और न सरकार को ही इतनी मुसीबतें उठानी पड़तीं।

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

राजस्थान की जनता वैसे ही शान्तिप्रिय रही है और अगर यहां शान्ति रहती है तो यह शासन के लिये कोई गौरव की बात नहीं। इसके बावजूद भी अगर राजस्थान में अशान्ति पैदा होती है तो यह शासन का दिवालियापन है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक शान्ति का सम्बन्ध है इस सरकार के लिये कोई प्रशंसा की बात नहीं कि यहां शान्ति कायम रही। अव्वल तो शान्ति कायम रही नहीं अशान्ति पैदा हुई और बड़े जोरों की अशान्ति पैदा हुई, ऐसी अशान्ति पैदा हुई जहां तक मैं अपने जिले को जानता हूं, वहां पर तो एक एम० पी० के घर तक को जला दिया और उसको लूट लिया गया, वैसी हालत में मैं शान्ति और व्यवस्था के लिये सरकार को कोंर्गेच्यूलेट करूं यह नामुमकिन है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि अपराधों की संख्या में कमी हुई है, अपराधों की संख्या कम होने का यह मतलब नहीं कि अपराध होना ही बन्द होगये। सरकार ने पुलिस विभाग द्वारा दिये हुए आंकड़ों के आधार पर यह कह दिया की अपराधों की संख्या में कमी होगई। आज जनता का न पुलिस पर और न शासन पर ही विश्वास रहा है, इसलिये अपराधों की रिपोर्ट होती नहीं। जहां अपराधों की कमी होने का दावा जो किया गया है उसके बारे में जयपुर जैसे शहर का उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, यहां जयपुर के जौहरी बाजार में दिन दहाडे हरद्वारीलाल नामके व्यक्ति को लूट लिया गया, उस पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, मुलज़िम तक को नहीं पकड पाये; उसका ट्रेस आउट तक नहीं कर पाये। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जैसा निवेदन किया एक मेंबर के यहां साठ हजार रुपये की चोरी हुई, लेकिन पुलिस चोर का पता लगाने में असमर्थ रही। पिछले दो तीन महीनों में अलवर में हर माह सौ डेढ़ सौ चोरियों का तांता बन्धा रहा। मेरे ख्याल से यह मैं कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि एक भी चोरी पकड़ी नहीं जासकी, तो ऐसी दशा में यह कहना कि अपराध नहीं हो रहे हैं, गलत है। अपराध अवश्य हो रहे हैं, पर उनकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं हो रही है और रिपोर्ट अगर कहीं होती है तो उन्हें दबाया जाता है और सरकारी आंकडे मनमाने ढंग से बनाये जाते हैं। वास्तविकता यह है कि दिनों दिन पुलिस और जनता के बीच कटुता बढ़ती जा रही है। आशा तो यह कि जाती थी कि जब अपना राज्य है, अपनी सरकार है, पराधीनता की गुलामी से हम मुक्त हो गये हैं, जनतन्त्र आ गया है और अब तो पुलिस भी अपनी ही हो गई है तो जनता को पुलिस को अपना मित्र समझना चाहिये और पुलिस और जनता के बीच मित्रता के भाव उत्पन्न हो जाने चाहिये थे, पर देखने में यह आता है कि दिन पर दिन जनता और पुलिस के बीच भावनाएं कटु से कटुतर होती जा रही हैं, यह देखकर दुख होता है। आज वास्तविकता यह है कि लाल पगडी अगर किसी गांव में पहुंच जाती है तो गांव सारा त्रस्त हो जाता है।

अभी हाल ही में भरतपुर के इलाके में गोलीकांड हुआ। चूंकि अभी वह विचाराधीन विषय है इसलिये इतना तो निवेदन किये बिना नहीं रहूंगा कि जहां पुलिस अधिकारी आर्म्ड रॉइट को लीड करें गांवों में तो मैं नहीं समझता हूं कि उस शासन को स्वस्थ समझा जा सकता है।

एक आश्चर्य की बात और है कि जनता को तो पुलिस में विश्वास नहीं है, पर पुलिस

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

को भी सरकार में विश्वास नहीं है। पुलिस सरकार को भी अपना नहीं समझती है और इसका उदाहरण यह है कि पुलिस कर्मचारियों ने अपना एक अलग संगठन, एक पुलिस संघ बनाने का विचार किया है, इसके लिये पुलिस के लोग अग्रसर हैं, प्रयत्नशील हैं और सरकार उनको दबा रही है कि किसी तरह से उन की यूनियन न बने। मैं कहूंगा कि वास्तव में सरकार को यह चाहिये कि उन पुलिस कर्मचारियो में अपने प्रति विश्वास की भावना पैदा करे और यह विश्वास की भावना पैदा करके ही सरकार यह चाहे कि पुलिस संघ न बने। इस प्रकार के दमन से वे रुकेंगे नहीं। यह ठीक है आप रजिस्टर न करिये उसको, आप मान्यता न दीजिये, पर दुखी लोग इकट्ठे होकर बातचीत अवश्य करेंगे, इसे आप कैसे रोकेंगे और फिर वे अगर कोई कदम बढावेंगे तो आप रोक नहीं सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन करना तो यही है कि बजाय इसके कि आप इस को इस प्रकार दमन करके रोके, यह उचित होगा कि उसके प्रति सद्भावना प्रकट करके और उनमें सरकार के प्रति विश्वास पैदा करके ही हम संघ की योजना को रोकें और यही रोकना अच्छा होगा।

दूसरा विषय, जो प्रमुखतया, राज्यपाल महोदय के भाषण में आया वह था राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकना। पिछली बार हम को यह बतलाया गया था और सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था कि वह एक भ्रष्टाचार विरोधक बोर्ड बना रही है जिसमें बाहर से एक बहुत बडे स्पेशल आई० जी० पी० नियुक्त हुए हैं। इस पर से यह आशा की जाती थी कि इसका कोई न कोई देखने लायक परिणाम सामने आवेगा। किन्तु एक वर्ष बीत गया और उसका कोई फल हमारे सामने दृष्टिगोचर नहीं हुआ। यही नहीं, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि एक ओर यह ठीक है कि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये बोर्ड बनाती है और कई योजनाएं तैयार करती है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार कदम बढ़ाती है और दूसरी ओर उसे और अधिक पनपाने के आॅर्डर इश्यू करती है। सरकार के आश्वासन देने के बाद दो महीने भी नहीं बीते और जैसे ही हम लोग अपने अपने कॉन्स्टीट्यूएन्सी के गांवों में लौटे कि लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया कि क्या असेम्बली में कोई ऐसा कानून बना है कि वे मेव काश्तकार जो सं० २००३ में जमीन जोतेते थे वह जमीनें वापिस उन को लौटा दी जावें ? अब यह किस कानून के आधार पर आज्ञा प्रचलित हुई, क्या रेवेन्यू एक्ट में कोई संशोधन हुआ या टिनेन्सी एक्ट में संशोधन हुआ या ऊपर से कोई आज्ञा हुई, लोग हमसे इस तरह के सवाल पूछने लगे। हमारा उनको जवाब यह होता था कि विधान सभा में तो कोई कानून इस तरह का नहीं बना, न कोई संशोधन किसी कानून में आया। पर मैं निवेदन करूं कि इस आज्ञा के प्रचलित होते ही जो भ्रष्टाचार की बाढ़ तहसील में आई वह देखने से ही ताल्लुक रखती थी। मैं ताज्जुब करता था और ताज्जुब ही नहीं करता था वरन् हैरान था कि कहां गया हमारा वह भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड, वह क्यों नहीं आकर तहसीलों में देखता है कि वहां कैसा भ्रष्टाचार का ताण्डव नृत्य हो रहा है। आप सच मानिये एक एक तहसील में थोडे ही दिनों में दो दो लाख और तीन तीन लाख रुपया इधर उधर हो गया इस सरकारी हुक्म के परिणाम स्वरूप। तो मैं यह निवेदन

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

करूंगा कि एक तरफ तो आप इस तरह का आश्वासन देते हैं और दूसरी तरफ, और जगहों की तो मैं नहीं कहता क्योंकि मैं जानता नहीं पर अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की जानता हूं, थाना गाजी और राजगढ़ तहसीलों में जंगलात की ओर से एक आज्ञा के मातहत खगबन्दी करने का आदेश आया और वह खगबन्दी की जाने लगी। कई गांवों में तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई कई घरों की बाड़ तक उस जंगलात की हद में आ गई है। अब उस खगबन्दी में अगर गांव वालों ने जंगलात के अफसरों का साथ दिया, उनकी मरजी पूरी की वहां पर तो उन अफसरों ने उस खगबन्दी को सरका कर दूर कर दिया और जहां उनको मरजी पूरी नहीं हुई वहां खगबन्दी घरों की बाढ़ तक आ गई। अब नतीजा वहां यह हुआ कि अगर किसी का कोई मवेशी खूंटे से खुलकर उस खगबन्दी में चला गया तो जंगलात के अधिकारी ने उसको फौरन पकड़ लिया और उससे जुर्माना वसूल कर लिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक गांव में मैंने एक महीने में करीब ३००) की ऐसी रसीदें देखी हैं जिनमें इस प्रकार से काश्तकारों से उनकी इस प्रकार की गई हद्बन्दी में आए पशुओं से जुर्माना वसूल किया है। इसके अतिरिक्त अगर कोई घर के काम काज के लिये उस जंगल में से अगर टहनी लकड़ी लाना चाहे या लाया तो उसको भी उन्होंने कभी नहीं बख्शा। यहां तक कि एक आध बार तो छोटी छोटी लड़कियों को गिरफ्तार किया और उनके साथ बहुत ही असभ्यता का बर्ताव किया। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह वास्तव में भ्रष्टाचार को खतम करने के कार्य नहीं हैं। हम कहते हैं, भाषण भी करते हैं और बोर्ड भी बनाते हैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये पर ऐसे जो कानून बना देते हैं और हुक्म जारी कर देते हैं इससे भ्रष्टाचार बढ़ाने का ही काम हम अधिक करते हैं। ऐसे कानूनों से और हुक्मों से अधिकारियों के हाथों में ऐसी सत्ता पहुंच जाती है कि जिससे वे मनमाने ढंग से जनता को तंग कर सकें और उस स्थिति में भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता, उल्टा उससे तो उसे प्रोत्साहन ही मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन अधिकारियों को मन्त्री महोदयों की ओर से उनके दौरों के सुअवसर पर पार्टी के प्रचार के काम में लिया जावे या पार्टी के लिये तोड जोड का काम लिया जावे ऐसे अधिकारियों से हम उम्मीद करना कि वे ईमानदारी के साथ सरकार के काम को अन्जाम देंगे मैं तो समझता हूं कि यह अकाश कुसुमवत् है।

जो सबसे बडा विषय है वह है समाज सेवा का। स्कूलों की तादाद बढ़ी। ठीक है। विद्यार्थी भी बढ रहे हैं। यह संतोष का विषय है, पर जैसे एक मेरे माननीय सदस्य ने अभी इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करते समय कहा कि यह जो पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी बढती चली जा रही है इसके लिये राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह सत्य है, जैसा अभी कहा, उस तरह के उदाहरण देता हूं। कहीं अलवर और भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स की अपोइन्टमेन्ट के लिये २०० जगहें खाली थीं जिसके लिये दो हजार दरख्वास्तें आई थीं। अगर एक जिले में दो हजार ऐसे बेरोजगार पढ़े लिखे फिर रहे हैं और फिर आप यह कहते हैं कि स्कूलों के स्टाफ की संख्या बढ़ाई जावे तो साथ ही साथ उनकी बेरोजगारी को मिटाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। पर दुख का विषय है कि हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में इस

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

प्रान्त से बेरोजगारी मिटाने की योजना के गठन की ओर कोई संकेत नहीं किया ।

सिंचाई योजनाओं का बहुत लम्बा चौड़ा जिक्र है और होगा । मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने सारे राजस्थान की परिस्थिति देखली है , लेकिन जैसा कि कहा करते हैं कि एक चावल निकाल कर देखने से अन्दाज़ा लग जाता है कि आया वे पक गये हैं या नहीं ? उसी प्रकार से मैं अपने जिले की बात करता हूं । अलवर जिला दुर्भाग्य से ऐसा है कि जहां किसी नहर के आने की कोई संभावना नहीं मालूम पड़ती और न कोई बड़ी योजनाओं के मातहत वहां पानी आने की कोई आशा है । वहां पर जो कुछ भी छोटी छोटी योजनाएं हैं उनमें बहुत सारे कार्य मेरे खयाल से राज्य काल में ही हो चुके थे । किन्तु मैं निवेदन करूं कि वहां पर अजबगढ़ और मंगलसर नाम के दो बन्ध हैं जिनमें कि आज चार साल से काफी पानी भरा रहने के कारण जो अन्दरूनी के काश्तकार हैं उनको बड़ी कठिनाई आ रही है । वे बरबाद हो रहे हैं । दूसरी ओर उस पानी से नीचे ही सिंचाई करने के लिए नहर तैयार नहीं हुई है । क्या हुआ है कि पानी के कारण अन्दर का रकबा वेस्ट हो रहा है और दूसरी ओर नहर नहीं होने के कारण जो बाहर की बारानी में सिंचाई हो सकती थी वह बन्द है। जहां इतना पानी मौजूद है वहां उस पानी को काम में लाने की कोई योजना बन सकती तो उस सरकार से हम क्या आशा करें कि वह वहां पानी ला देगी। इसमें मुझे निराशा ही मालूम होती है ।

इसके अतिरिक्त अब यह मैं नहीं कह सकता कि यह आंकड़े अनाज के और चाही जमीन के बढ़ने के कहां से लाये गये हैं ? जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने निवेदन किया कि करीब आधे राजस्थान में अकाल की दशा थी तो मैं कह नहीं सकता कि अनाज बढ़ कैसे गया है ? मैं उस इलाके से आया हूं कि जिस इलाके में अकाल की दशा नहीं थी । वहां की दशा का मैं निवेदन करूं कि वहां बैलों की कीमत बढ़ जाने के कारण बहुत सारी चाही काश्त बारानी हो गई है । दिन पर दिन चाही काश्त घटती जा रही है और बारानी बढ़ती जा रही है, क्यों की बैलों की कीमत बढ़ी हुई होने के कारण बैल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । इस कारण लोग बारानी काश्त करते हैं । यह कहना कि चाही काश्त बढ़ रही है, इर्रिगेटेड रकबा बढ़ रहा है और अनाज की पैदावार बढ़ रही है, इनके आंकड़े कहां से लाये गये हैं, यह विचार के बाहर की बात मालूम होती है ।

दूसरी चीज़ है बिजली की योजनाओं की । इस बिजली का मैं भी भुक्तभोगी हूं और उसके नाते मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिजली से क्या लाभ होने वाला है और कितना लाभ होने वाला है यह अभी भविष्य का विषय है । मेरे पास अलवर नगर के पास में एक थोड़ी सी जमीन है उसमें मैंने कुए पर मोटर लगा रखी है । अलवर की बिजली व्यवस्था का नमूना मैं अर्ज कर सकता हूं कि पिछले वर्ष में मेरी मोटर तीन बार जल चुकी है जिसके कारण से ६००) रु० मोटर को बार बार रिपेअर कराने में खर्च हुए । ...

श्री चन्दनमल वैद: गवर्नमेंट पर दावा करके वसूल कर लें ।

श्री रघुवीरसिंह : जहां कि १०, ५ बीघा जमीन को सींचने के लिए लगी हुई मोटर पर ६००) रु० साल रिपेअर पर खर्च हो जायं, फिर क्या यह आशा करें कि जितना

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

कहते हैं कि लाभ हो जायगा कैसा होगा और वह कब होगा ? मैं तो यह कहूंगा कि जैसे ही बिजली की योजना आये उसको हाथ में ही न लें। मेरे आस पास की जितनी मोटरें थीं उन सब की दुर्व्यवस्था होने के कारण कई जगह काश्त सूख गई, क्योंकि उनकी समय पर मरम्मत नहीं करा सके।

अब चिकित्सालयों का विषय है। कहा जाता है कि आयुर्वेदिक औषधालय बहुत खोल दिये गये हैं। पिछले तीन-चार महीनों में हमारे जिले में इन्फ्लुएन्ज़ा और मलेरिया का काफी प्रकोप रहा और उसके कारण मुझे भी कई आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सा के सम्बन्ध में जाने का काम पड़ा। मैं यह देखकर दंग रह गया कि जिस औषधालय में स्टाफ का खर्चा १५०) रु० माहवार का है उस औषधालय में जो ग्रान्ट मैडिसन के लिए दी जाती है वह २५ रु० मासिक दी जाती है। १५०) रु० माहवार वैद्यों और कम्पाउन्डरों के लिए और २५) रु० मासिक दवाइयों के लिए, अब यह विचार करने का विषय है।...

एक माननीय सदस्य : वे सस्ती आती हैं।

श्री रघुवीरसिंह : कितनी ही सस्ती आती हों। मान लें कि आयुर्वेदिक औषधियां सस्ती आती हैं, लेकिन विचारणीय है कि २५) रु० मासिक की औषधियों से कितने रोगियों को लाभ हो सकता है। यह आयुर्वेदिक औषधालय केवल ढोंग ही है। इससे कोई जनता की सेवा नहीं हो रही है।

इसके अतिरिक्त अस्पतालों में भी दवाइयों का वही अभाव है। आम तौर से अब दशा ऐसी होती जा रही है कि लोग बजाय सरकारी अस्पतालों में जाने के प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के पास में जाना पसन्द करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं मिलती और वे भी नुस्खा लिख कर दे देते हैं जिसको कि बाजार से खरीदना पड़ता है। अगर वे प्राइवेट डाक्टर के पास जाते हैं तो वह बराबर ध्यान से देखता है और सरकारी डाक्टर तो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। मेरा निवेदन यह है कि जहां चिकित्सा का सम्बन्ध है इसमें सबसे पहली आवश्यकता यह है कि इन अस्पतालों में और औषधालयों में औषधियों का पूरा संचय हो। पिछले तीन-चार महीनों में इनफ्लुएन्जा और मलेरिया का काफी प्रकोप रहते हुए भी कोई चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। न तो जिलाधिकारियों ने और न तहसीलदारों ने और न डाक्टरों या वैद्यों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान दिया। जो चला गया उनको दवा दे दी गई न कोई विशेष देखभाल। जो कुछ हुआ उसको भुगतो। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जहां विशेष परिस्थिति हो, जहां विशेष बीमारी या विशेष रोग का प्रकोप हो, उस स्थिति में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जिला मैडीकल ऑफिसर को चाहिए कि वहां कैम्प लगावे और कैम्प करके औषधियों को मुफ्त लोगों में वितरित किया जाय, तभी जनता की हैल्थ ठीक रह सकेगी।

विकास खण्डों की चर्चा बहुत आई है, और विकास खण्डों में अब देखना यह है कि मेरे गांव में सौभाग्यवश एक विकास खण्ड है। मैं तो यह देखता हूं कि जब मैं अपने गांव में पहुंचता हूं तो मुझे उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं मालूम होता है जैसे उसकी स्ट्रीट्स गन्दी थीं, रास्ते गन्दे थे आज भी मौजूद हैं। जो मकानों की दुर्दशा थी वह आज भी है, जिन बातों की कमी पहले थी वह आज भी

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

है। इसके अलावा वहां जो नई चीज पैदा हुई है वह यह है कि ग्राम सेवक के नाम से एक व्यक्ति वहां रहता है उसका काम यह रह गया है कि गड़बड़ी पैदा करे और गांव में पार्टी बाजी करे। मैं यह कहूंगा कि इन ग्राम सेवकों ने पहले जो हमारे विलेज में शान्तिपूर्ण वातावरण था उसमें उथल पुथल पैदा कर दी है; जहां पहले लोग शांति और प्रेम से रहते थे वहां आज यह देखते हैं कि लोगों में नित्य प्रति मुकदमे, झगड़े और पार्टी बाजी बढ़ती जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन ग्राम सेवकों का निर्वाचन ऐसे ढंग से हो कि या तो ग्रामवाले ही उन्हें नियुक्त करें या ऐसे लोग भेजे जांय जो कम से कम गांव के शान्तिपूर्ण वातावरण को न बिगाड़े।

२.४१ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान में सर्विसेज़ का इन्टीग्रेशन, आज राजस्थान को बने ६ वर्ष हो चुके हैं लेकिन दुःख का विषय है कि ६ वर्षों में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो गये, लेकिन उनका किसी ग्रेड में फिक्सेशन नहीं हुआ और इसी कारण आज रिटायर हुए, उन्हें दो तीन साल हो गये लेकिन उनकी पेन्शन निश्चय नहीं हो पाई। विचारणीय विषय है कि जिस कर्मचारी ने लगातार ३० वर्ष तक राज्य की सेवा की, बुढ़ापा आया उसको इस बुढ़ापे की अवस्था में भी पेन्शन के लिये तीन तीन साल नष्ट करने पड़ते हैं और मारा मारा फिरना पड़ता है। कुछ कर्मचारियों की तो ऐसी दशा देखी है कि उनको पेन्शन नहीं मिली और भूखे मरते मर गये....

श्री चंदनमल वैद : आपको मिल गई क्या ?

श्री रघुवीरसिंह : मेरा मुकदमा चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: You got the answer. You had disturbed the cause of the pensioners.

श्री रघुवीरसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि जो पेन्शनर्स हैं उनका इन्टीग्रेशन नहीं होने के कारण उनको आज भी कोई लास्ट पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कई लोगों को ट्रान्सफर होने के बाद तीन चार महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती है क्यों कि उनका ग्रेड में फिक्सेसन नहीं हुआ। बड़े बड़े सब लोगों का इन्टीग्रेशन, फिक्सेशन हो चुका है लेकिन छोटे छोटे कर्मचारी शिकार बने हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों से सरकार कैसे उम्मीद कर सकती है कि वे भूखे पेट ईमानदारी से सेवा करें। मैं समझता हूं यह असम्भव चीज है।

इस परिस्थिति में जो कुछ मैंने निवेदन किया उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन कर सकूं। मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमको जो कुछ आशाएं थीं इस भाषण से और जनता जो कुछ एक साल के लिये, यानी भावी साल के लिये कई उपयोगी योजनाओं के बारे में सुनने को उत्सुक थी उस बारे में हम सब को घोर निराशा हुई है और मैं कहूंगा कि हमारा हौसला नहीं कि हम किसी योजना को लेकर जनता के सामने जाकर कहें कि आपके लिये कुछ किया जा रहा है। मैं इस परिस्थिति में इसका विरोध करता हूं और केवल मैं ही विरोध नहीं करता बल्कि आशा करता हूं कि उधर बैठे हुए लोग भी मेरा साथ देंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और इस सम्बन्ध में उस दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार सदन में प्रगट किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के बाद जिस प्रकार की निराशा राजस्थान के समूचे प्रान्त में, जिन जिन को भी इस भाषण की प्रतियां पढ़ने को और भाषण के समाचार सुनने को मिले हैं, वहां पर उनको जो निराशा हुई है उससे ऐसा अन्दाज लगता है कि इस भाषण से पहले राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार से काफी अपेक्षा रखती थी। लेकिन इस अभिभाषण के रूप में जब भविष्य की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ संकेत मिले और वह संकेत भी निराशाजनक हैं। ये दोनों ही बातें राजस्थान की जनता के लिये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा करने वाली हुई है।

जब जब भी इस सदन के सामने राज्यपाल का अभिभाषण हुआ या पिछली विधान सभा के अधिवेशनों में श्रीमान् राज्यप्रमुख के अभिभाषण हुए उन पर सब अभिभाषणों में, जहां तक मुझे याद है, दो बातों का विशेषरूप से ध्यान रखा जाता रहा है, एक है शासन में पुलिस व्यवस्था या शान्ति और अमन की व्यवस्था और दूसरी है भ्रष्टाचार। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण इस सदन में दो बार हुआ है इन दोनों में एक विशेषता देखने को मिली है। पिछले वर्ष की व्यवस्था इसमें दिखाई जाती है। राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था की हालत पिछले वर्ष अच्छी नहीं थी इस सम्बन्ध में सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। डाकुओं की संख्या में कमी की है, चोरों को गिरफ्तार किया है, स्मगलिंग को रोका है, भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था की है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता। पिछले वर्ष भी अभिभाषण हुआ था उस समय भी देखने को यह मिला कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में कहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था के संबंध में हमारी सरकार सतर्क है। अभी जो अभिभाषण हुआ उसमें भी वही बात फिर दोहराई गई। लेकिन अब की एक विशेषता थी। उसमें यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ दिनों में डाकुओं ने गड़बड़ी की, लेकिन हमारी सरकार फिर भी सतर्क है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में सुनने को यह मिलता है कि राज्य सरकार बहुत सतर्क है। लेकिन राजस्थान के दैनिक समाचार पत्रों में जब समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि आज वहां डाका पड़ा, राजस्थान में दो-दो लाख रुपयों की डकैतियां होती हैं, हाडोती में इस तरह की डकैतियां हुई, इससे पहले महाजन के दो लड़कों को डाकू उठा कर ले गये, इससे पहले राजस्थान और पाकिस्तान के बोर्डर पर डाकुओं ने पुलिस के तीन कांस्टेबल्स को मार दिया, दो हैड-कांस्टेबल्स की जान ली, एक को घायल किया, इतना सामान हत्यारे लेकर भाग गये। इस पर भी जब अभिभाषण में यह कहा जाता है कि सरकार सतर्क है तो समझ में यह आता है कि या तो जो समाचार पत्रों में समाचार आते हैं वे झूठे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी चतुर है कि गलत समाचार होते तो उनका प्रतिवाद छापती। लेकिन जो सूचना का जरिया है उसके जरिये जब इस प्रकार के समाचार मिलते हैं तो अवश्य विश्वास होता है कि

(श्री भैरोंसिंह)

राज्यपाल के अभिभाषण में सतर्कता का जो संकेत है वह केवल आंकड़ों के आधार पर है। डाकुओं का सफाया करना या चोरी रोकने की बात नहीं है, लेकिन आंकड़ों को ठीक करने की बात है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार कहती है कि चोरियों की संख्या में कमी हुई है। वास्तव में चोरियों की संख्या में कमी नहीं हुई है, डकैतियों के मामलों में कमी नहीं हुई है, बल्कि थानों में केसेज़ के रजिस्ट्रेशन में कमी अवश्य हुई है। आप किसी भी थाने में चले जाइये, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी मेरे साथ किसी भी गांव का दौरा करें और गांव वालों को पूछें कि गत वर्ष में जितनी चोरियें और डाके आपके गांव में हुए या जो घटनाएं हुईं वे थाने में रजिस्टर हुई हैं या नहीं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ५० प्रतिशत मामलों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आप आंकड़ों के आधार पर कहते है कि चोरियों में कमी हुई है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस तथ्य को स्वीकार करें और मैं समझता हूं कि वह परिस्थिति आकर रहेगी। लेकिन एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हुई है। ऐसा लगता है कि आज पुलिस विभाग से जबर्दस्त असंतोष है जैसा कि रामराज्य परिषद के नेता ने बताया। सरकार और पुलिस अधिकारियों के बीच में एक अविश्वास की भावना है। सरकार कौनसी है, मैं समझता हूं कि सरकार से सम्बन्ध मंत्रियों का है, यह समझता हूं कि सरकार से मतलब सचिवालय के कर्मचारियों का है, यह समझता हूं कि सरकार का पुलिस के सुपरिंटेंडेंट और उच्च अधिकारियों का है, लेकिन यह सरकार का मतलब नहीं होगा। आज सरकार में दो भाग हो गये हैं, एक बड़े अधिकारियों का भाग और दूसरे छोटे अधिकारियों का भाग। यह दूसरे विभागों में है या नहीं, लेकिन पुलिस विभाग में दो भाग हैं जिसके हाथ में सुरक्षा का भार है। इस विभाग में दो तबके हैं, एक तबका आर. पी. एस. ऑफिसर और आइ. पी. एस. का और दूसरा नीचे के तबके के अधिकारियों का। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सूचना मिलती थी कि राजस्थान में ये जागीरदार काश्तकारों का शोषण करते थे, सब लोगों को इस शोषण की उत्तेजना के वातावरण में आलोचना करनी पड़ती थी। आज राजस्थान में जागीरदार और काश्तकारों की समस्या नहीं है लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा छोटे कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। राजस्थान के राज्य में विकेन्द्रीकरण की भावना है, लेकिन शासन ऐसे लोगों के हाथ में है जो विकेन्द्रीकरण न करके केन्द्रीयकरण करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस यूनियन का जिक्र आया। मैं समझता हूं कि जो सरकार पुलिस विभाग में अविश्वास पैदा कर देती है, वह सरकार राज्य के काम को चलाने के लिए नहीं है, ऐसी सरकार को मजबूर कर दें कि वह त्याग पत्र दे दे। लेकिन यह पहाड़ खोदने की बात है। हमें इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा, राजस्थान में पुलिस के आदमियों को क्या तनख्वाह मिलती है, क्या टी० ए०, डी० ए मिलता है और क्या सुविधायें मिलती हैं? राज्यपाल के अभिभाषण में अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा का जिक्र किया गया है और भी छोटी मोटी सुविधाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन जो आर्थिक स्थिति पर असर करने वाली चीज है, उसको दूर करने के लिए क्या काम किया? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब राजस्थान सरकार पुलिस को कहे कि डाकुओं पर गोली चलाओ, शहर में दंगा हो रहा है, उसको रोका जाय, क्रिमिनल कामों को रोका जाय और पुलिस

(श्री भैरोंसिंह)

के कर्मचारी कहें कि हमारा डाकुओं से वास्ता नहीं है, क्रिमिनल कामों से वास्ता नहीं है, शहर के दंगे से कोई वास्ता नहीं है, क्यों कि हमारे बीबी-बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, हमारे बच्चों के लिए कपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी हालत में सरकार का कहना नहीं मान सकते। ऐसी बगावत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है, जो सरकार का संचालन हाथ में लिये हुए हैं। लेकिन अब प्रश्न सामने आता है, कि ऐसी स्थिति क्यों हुई है, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, मैं उसका मूल कारण समझता हूं कि राजस्थान के मन्त्री महोदय को यह ज्ञान नहीं है कि पुलिस कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार हो, पुलिस की व्यवस्था कैसे चलाई जा सकती है। इस कारण से राजस्थान के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों पर सरकार को विश्वास करना पड़ता है। वे अधिकारी स्वयं अपनी तनख्वाह बढ़ायेंगे, स्वयं अपने लिए मोटर गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, पैदल न जाया जाय, इसके लिए कानून बना देंगे, लेकिन पुलिस के सिपाही को, जो पुलिस लाइन में पड़ा है, तनख्वाह छः महीने तक नहीं मिलती है, उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती है। पुलिस मैन पुलिस लाइन में आयेंगे तो उनसे कहा जायगा कि तुम्हें फटीक में जाना है। पुलिस मैन से बेगार ली जाती है, इस राजस्थान राज्य में, दूसरे राज्यों में ली जाती है, यह कह नहीं सकता। यदि आपको बेगार का नग्न रूप देखना है तो पुलिस लाइन में चले जाइये, वहां देखेंगे कि कोई पुलिस मैन कमरा साफ कर रहा है, कोई फर्नीचर उठा कर ले जा रहा है, कोई रेत की डोली बना रहा है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह मामूली बात है, पुलिस लाइन को साफ करना उनका काम है। उनका काम हो सकता है अपने क्वार्टर की सफाई रखने का, उनकी जिम्मेदारी बेरक को झाड़ देने की हो सकती है। लेकिन सरकारी आदमियों का सामान उठवाने का काम, इमारत को बनवाने की मिहनत का काम सिपाहियों से नहीं लिया जा सकता। यह बेगार गैर कानूनी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण पुलिस के सिपाही कहते हैं कि उन्हें यूनियन बनाने की इजाजत दी जाय, लेकिन उनको कहा जाता है कि पुलिस यूनियन नहीं बन सकती क्योंकि इनके हाथ में सुरक्षा का भार है। इस सिद्धान्त से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार इस प्रकार की परिस्थिति पैदा न होने दे, नहीं तो निश्चित रूप से यूनियन बनेगी, अगर यूनियन बनेगी तो झगड़े पड़ेंगे और अगर झगड़ा हुआ तो शांति और व्यवस्था की बात स्वप्न के रूप में रह जायगी। यूनियन के प्रश्न को लेकर मेरी बातचीत एक अधिकारी से हुई। मैंने उनसे कहा कि जब आर० पी० एस० की एसोशियेशन हो सकती है, आर० ए० एस० की एसोशियेशन हो सकती है, आइ० ए० एस० की एसोशियेशन हो सकती है, जब इन ऑफिसर्स की यूनियन हो सकती है, तो छोटे अधिकारियों की यूनियन क्यों नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा कि ये तो सेन्ट्रल एसोसियेशन हैं, आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० की एसोशियेशन तो सेन्ट्रल एसोशियेशन हैं, इस प्रकार की एसोशियेशन को राजस्थान सरकार बन्द नहीं कर सकती। मैंने उन्हें बताया कि जब आर० ए० एस० और आर० पी० एस० की एसोशियेशन हो सकती है, तो नीचे के तबके, पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एसोशियेशन या यूनियन क्यों नहीं बन सकती, इसका कोई जवाब नहीं बन पड़ा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

आज्ञा देगी तो यूनियन बन जायगी, आज्ञा नहीं देगी, तो एसोसियेशन बन्द होगी। मैं निवेदन करूंगा कि यदि पुलिस के लोगों पर अविश्वास है तो आर० ए०एस० और आर० पी० एस० की एसोसियेशन को बन्द कर देना चाहिए। एसोसियेशन में बैठ कर डाके किस प्रकार बन्द करने हैं, ये बातें नहीं होतीं। आर० पी० एस० एसोसियेशन ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग की थी, भले ही यह एसोसियेशन की मिनिटस में न मिले। पर उनमें आपस में ऐसी चर्चा चलती है। यह चर्चा होती है कि लोगों को प्रमोशन कैसे मिलते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि एक फतहलाल सर्किल इन्सपेक्टर हैं, उन पर विशेष व्यक्ति की कृपा होने के कारण प्रमोशन दिया गया और जो मोस्ट सीनियर आदमी थे उनको डिग्रेड किया गया। उन पर जिनकी विशेष कृपा थी, उनका नाम लेना आवश्यक नहीं होगा, उनके जवाब के कारण उन्हें प्रमोशन दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इन्सपेक्टर की पोस्ट के लिए सब-इन्सपेक्टर को प्रमोशन देने का प्रश्न आता है और सब-इन्सपेक्टर की पोस्ट के लिए हैड़ कॉन्स्टेबिल को प्रमोशन देने का प्रश्न है। दो दो साल तक सब-इन्सपेक्टर टेम्प्रेरी तौर पर काम करते हैं। जिलों के अन्दर जो सब-इन्सपेक्टर हैं, उनकी सर्विस को अधिकारी बहुत एप्रीशियेट करते हैं और एक मामले में सब-इन्सपेक्टर के बारे में जिला सुपरिंटेन्डेन्ट ऑफ पुलिस ने लिखा है कि इनको प्रमोशन दिया जाय, लेकिन नया रिक्रूटमेंट होता हैं और उसके आधार पर नया व्यक्ति आ जाता है और उस सब-इन्सपेक्टर को डिग्रेड करके हैड़ कॉन्स्टेबल बना दिया गया। इससे पुलिस वालों में अविश्वास की भावना पैदा होती है। इस प्रकार नये व्यक्ति को भर देना चाहते हैं और भरने के लिए गैर जिम्मेदार के काम करते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्य प्रश्न और सही स्थिति को विचार से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार तनख्वाह का प्रश्न आता है, उसको भी निकाल दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में कई बातें हमारे सामने आती हैं। पिछले दिनों में इसमें जांच की थी कि पुलिस वाले ऐसी आवाज क्यों उठा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? उन्होंने बताया कि पुलिस का एक मैस है, जो कि पुलिसवालों के एकत्रित किये धन से चलता है और उस एकत्रित धन को खर्च करने का अधिकार उनको नहीं है। जो उसको इकट्ठा नहीं करते हैं, उनको खर्च करने का अधिकार है, उच्च अधिकारियों को खर्च करने का अधिकार है। वहां आये दिन किसी ऑफिसर के सम्मान में डिनर दिया जाता है, विशेष व्यक्ति को आमन्त्रित किया जाता है और उसके सम्मान में पार्टी या डिनर दिये जाते हैं और उस मैस में खाने आदि का प्रबन्ध किया जाता है और वहां पर उच्च अधिकारी बैठ कर कई प्रकार की रंग रेलियां मनाते हैं। जब कि पैसा गरीब सिपाहियों का है, उसको खर्च करने का अधिकार पुलिस अधिकारियों को है। इस प्रकार पुलिस मैस का पैसा, जो ऑफिसर के सम्मान में डिनर होते हैं, उसमें खर्च हुआ है। इसी प्रकार एक बेनीवुलेन्स फन्ड होता है, इस फन्ड का पैसा खर्च होना चाहिए, वह ऐसी स्थिति में होना चाहिए जब लोअर ग्रेड पुलिस के सम्बन्ध में कोई विशेष बात हो गई हो, या कोई पुलिसमैन डाकुओं के मुकाबले में मर गया हो, या विशेष कारण से आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, इस प्रकार की स्थिति में बेनीवुलेन्स फंड में से सहायता दी जाती है। लेकिन उस फन्ड़ को भी ऑफिसर अपने काम में लेते हैं, उसमें से

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

उधार देते हैं, उस प्रकार की दुर्व्यवस्था है। जिस समय पुलिस सिपाही इस प्रकार की चीजों को सामने लाकर सरकार के उच्च अधिकारियों से कहता है कि यूनियन बनाने का विचार है, यूनियन की बात करता है तो उसे भरतपुर या जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार की अविश्वास की भावना को समाप्त कर दे, अगर इस प्रकार अविश्वास की भावना को समाप्त नहीं करेगी तो वह दिन आ सकता है कि पुलिस वाले जबरदस्ती अपनी यूनियन बनायें।

अब प्रश्न यह आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पुलिस विभाग आज कल जिस तरह डकैतियों या कत्लों को रोकने के लिये सतर्क है, इसका एक नमूना मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में देखा था कि डूंगरपुर जिले में एक कत्ल हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समाचार पत्र पढ़ने पर जजमेंट की कापी मंगवाई और उस जजमेंट को देखा तो पता लगा कि उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि डूंगरपुर जिले में चिमनलाल नामक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बन्दूक से मारा। जब चिमनलाल वापिस जाने लगा तो डर से बन्दूक वहीं छोड दी। डूंगरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शिवलाल ने उसको छोड़ दिया और मोटर आई उसमें कातिल बैठकर चला गया। पीछे के थानेदार से सलाह-मशविरा की गई और इस आशय की सलाह-मशविरा की गई कि इस तरह की रिपोर्ट लिखाई जाय और कोशिश की जाय कि वह छूट जाय। इस केस में शिवलाल का चालान नहीं किया गया, मोटर कांग्रेस की प्रोपटी थी उसको जब्त नहीं किया गया, सारे के सारे कांग्रेस के व्यक्ति जो मोटर के ओक्यूपेन्ट्स थे उनका चालान नहीं किया गया। एस० डी० एम० ने केस कमिट करके सेशन कोर्ट में भेज दिया। सेशन्स कोर्ट ने उसका एक जजमेंट दिया और उसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया कि आज के इस प्रजातन्त्र के युग में यदि हमने इलेक्शन का नाम लेकर या इलेक्शन के किसी काम में ऐसी व्यवस्था कर डाली, जहां आज सर गिने जाते हैं, वे तोड़ दिये जायेंगे, इससे मानव की हत्या तो होगी ही पर साथ ही प्रजातन्त्र की भी हत्या होगी। इस जजमेंट में आगे उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में जितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका चालान किया जाय, शिवलाल का चालान किया जाय। पुलिस के कर्मचारी जिन्होंने क्रिमिनल्स को छोड दिया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, पर सी० आई० और सब-इन्स्पेक्टर जो इसके लिये रेस्पोन्सिबल हैं उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कहेंगे मन्त्री महोदय कि जांच हो रही है, जांच में वर्षों लगते हैं और वर्ष लगने के कारण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण फैला है उसका लोगों में यदि तुरन्त निराकरण नहीं किया गया तो गांवों में इसकी जो प्रतिक्रिया होगी, वह किसी सरकार के लिये शोभनीय नहीं हो सकती। मैं उस जजमेंट का लास्ट पेरेग्राफ सुनाऊंगा और चाहूंगा कि इसको सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया जाय:—

"Now coming to the question of punishment, it is not at all a case of reforming the accused. It is a case of teaching those by fear who refuse to learn by reason. It is a qu-

(श्री भैरोंसिंह)

estion of revenging the death of an innocent devotee by the society. If in a State with an institution of private property, if an anna's theft is treated as a high treason and the offender is met with the extreme penalty of law, then why should not those be treated likewise who are guilty of more heinous crime than high traeason against the State, who want to explode the......"

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

एक माननीय सदस्य : On a point of privilege, Sir, this judgment, to which my friend is referring, has been appealed against, the High Court. I want to draw his attention through you, Sir, that there is an appeal in the High Court about this judgement.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is it subjudice ?

एक माननीय सदस्य : I have nothing to say against his reading the judgment in this House. But I want to draw his attention that the matter is pending in the High Court. That is the only thing which I wanted to bring to the notice...

श्री उपाध्यक्ष : Is it a fact that an appeal has been preferred against this judgment ?

श्री भैरोंसिंह : It has been decided by the High Court.

श्री उपाध्यक्ष:The point is whether there is an appeal before the High Court ? If it is pending, we are prejudicing the cause oft he parties involved in the case

श्री भैरोंसिंह :The case has been disposed of by the High Court, Sir.

श्री उपमंत्री : Tben I would submit that he reads from the judgment of the High Court and not of the subordinate court.

I believe the version of the honourable Member that the case has been disposed of.

एक माननीय सदस्य : No, Sir, it has not been disposed of as yet.

श्री उपाध्यक्ष : It is being controverted by Honourable the Dy. Minister on the other side.

एक माननीय सदस्य : Sir, you have given your ruling already.

श्री उपाध्यक्ष : I have not yet given. I am still deciding the issue.

एक माननीय सदस्य : There is no commentary on the judgment. It is only an extract from it.

श्री उपाध्यक्ष : Exactly, there is no commentary; but you realise the position that when the judgment is being read in the Legislature it has some importance.

श्री भैरोंसिंह : So far as I know, Sir, the High Court has decided the case.

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble Member will proceed on with the debate.

श्री भैरोंसिंह : "Who want to explode the very basis of our civilization and democracy ? The basis of demo-

(श्री भैरोंसिंह)

cracy is fair elections. Instead of breaking the heads we count heads. If heads are broken in the counting itself by members of a contesting party, it has got to be seriously taken up. It is the right of every child of this soil to die for her and to punish those of his own race with the extreme severity of law who want to warm their hands by setting fire to her freedom. It is for the Government now to make a thorough investigation of the case and to bring the remaining guilty men like Shivelal and others tobook and to take steps against its officers as are found implicated in shielding such heinous criminals. The court with its limitations of human knowledge and intelligence cannot show any mercy to such criminals. It is for the accused himself to look for mercy to the parted soul of the deceased. If that soul exists, let the accused go unto him with his ashes of his head and with folded hands and bent knees pray him to save himself from eternal damnation. The court cannot but pass only the extreme panalty provided by law."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जजमेंट इस बात की ओर संकेत करता है कि राजस्थान में जिस शांति और व्यवस्था की डींग हांकी जाती है, जिसका उल्लेख बार बार सदन में किया जाता है, वह वास्तव में क्या है ? लोग मार दिये जायं इसकी परवाह नहीं, बस पार्टी का आदमी बचना चाहिये, लोगों की जान चली जाय पर उन नेताओं को पुलिस के अधिकारियों का संरक्षण मिलना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, समय आयेगा तो और भी डिटेल्स इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

इस अभिभाषण में इस बात की ओर संकेत किया है कि हमारी राजस्थान सरकार की पुलिस ने स्मगलिंग को काफी रोका है।

३. १० म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, स्मगलिंग होता है इस बात को हमारी सरकार स्वीकार करती है। राजस्थान में स्मगलिंग हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, किस पर्सेन्टेज़ में बढ़ रहा है या किस पर्सेन्टेज़ तक उसकी रोकथाम हुई है इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा। स्मगलिंग करते कौन हैं ? बोर्डर पर रहने वाले व्यक्ति करते हैं और उनकी रोकथाम क्यों नहीं होती है ? दो बातें हो सकती हैं या तो वे व्यक्ति स्मगलिंग करते हैं, वे व्यक्ति इतने पॉवरफुल हैं कि उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पॉवरफुल दो तरह से। एक तो हथियारों से लेस हों, हथियारों से सुसज्जित हों जिनको पुलिस अन्डरहैंड नहीं कर सकती है, या ऐसा ग्रूप हो पोलीटिकल बेसिस के कारण से कि जिसे कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकते। या ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पुलिस स्वयम् मिली हुई है। उन आंकड़ों में मैं समझता हूं कि कुछ करेक्शन्स की आवश्यकता है, इसलिए मैं सदन में प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन इस समय चार प्रकार के विभाग स्मगलिंग को रोकने के लिए लगे हुए हैं। एक विभाग है एन्टी स्मगलिंग फोर्स, दूसरा है आर० ए० सी० और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और

(श्री भैरोंसिंह)

चौथा है भारत सरकार की ओर से कस्टम्स डिपार्टमेंट की एन्टी स्मगलिंग फोर्स। चार विभाग काम कर रहे हैं। यदि चारों के आंकड़े देखे जांय तो आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आर० ए० सी० के जो अधिकारी हैं, एन्टी-स्मगलिंग के और कस्टम्स अधिकारी हैं वे कुछ गिरफ्तारियां करते हैं। लेकिन यदि सबसे बातचीत की जाय तो यह पता चलता है कि आर० ए० सी० वाले कहते हैं कि कस्टम्स अधिकारी करते है, कस्टम अधिकारियों से बात करते हैं कि आर० ए० सी० और एन्टी-स्मगलिंग फोर्स दोनों मिल कर करते हैं। एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि वास्तव में कौन करते हैं यह पता नहीं चलता। लेकिन मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है और उस पत्र से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि वास्तव में करने वाला कौन है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ। हमारा पुलिस विभाग, जीप भेज कर, व्यापारियों को पाकिस्तान भेज कर सोना मंगाता है। उसको बदकिस्मती से कस्टम्स अधिकारियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उस जीप को अपने अधिकार में कर लिया और उनमें बैठे हुए आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जीप को छोड़ा नहीं। तो एन्टी-स्मगलिंग विभाग के ए० आई० जी० ने कस्टम के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जिसमें मांग की कि जीप को छोड़ दिया जाय। उस लेटर की कॉपी है जो काफी अहमियत रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it a certified copy ?

श्री भैरोंसिंह : लेटर की कॉपी है, सर्टीफाइड तो मिलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Can it be placed on the table of the House ?

श्री भैरोंसिंह : यह मैं मानता हूं कि यह सही है, बिलकुल सही तौर पर लिखी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : Can it be subjected to perusal at the same time ?

श्री भैरोंसिंह : क्या साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : दीजिये जिसका पत्र है। डॉक्युमेन्ट ओरिजिनल है ? ऑथेन्टीकेटेड है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : इसकी ऑथेन्टीसिटी है। मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि यह सही है, यह लेटर है :

"Jodhpur.
Dated 5—12—57.

To,
The Superintendent,
Central Customs & Excise,
Jodhpur.

After an encounter on 26-8-57, with the gang of notorious dacoit Bhanwar Singh alias Kishan Singh on Indo-Pak border, I had talk with Bhoor Singh outside Jasusar Gate, Bikarer on phone asking him to go to the Indo-Pak border for ascertanining the casualities inflicted on the members of the said gang which had crossed into the Pak territory with the help of Pak border police after an encounter. In pursuance of my instructions, Shri Bhoor Singh hired a jeep belonging to one Bansi Lal of Bikarer and sent it under the charge of S. I. Shri Bhoopal Singh posted at Barsa Ipur along with two other men acq-

(श्री भैरोंसिंह)

uainted with the border to the village Sachu, situated on the border. The party reached village Sachu and asceratained the death of notorious dacoit Bhanwar Singh, the leader of the gang,and returned to Barsalpur where Shri Bhoopal Singh got down and Head Constable Shri Dhan Singh, the Reader of the Dy. S. P., Bikaner was deputed for conveying the information about the death of the above mentioned dacoit.

While the jeep was about to leave Barsalpur for Bikaner, one Kashi Ram Baniya of Barsalpur approached and sought permission for his seat upto Bikaner. The party already occupying the jeep permitted him to sit as the jeep was not fully occupied. The previous occupants of the jeep who had been sent for the above mentioned purpose by Shri Bhoor Singh had no knowledge that Kashi Ram was carrying smuggled gold in the jeep. When they reached Bikaner, Police party engaged for anti-smugging duty conducted the search of Kashi Ram and recovered the bars of gold from his possession. On this the rightful occupants of the jeep abused and scorned KashiRam and the jeep was sent to the Central Customs & Excise Officer at Bikaner. The customs officers released Kashi Ram on bail but they did not release the jeep."

अब इसका महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, जो नीचे है, उपाध्यक्ष महोदय, :

" Since the jeep was sent for the Government work by Shri Bhoor Singh on my request, it should have been released by the Customs Officer at Bikaner after ascertaining the true facts, but it has not so far been done. It was only a coincideno that Kashi Ram got into the jeep at Barsalpur. Being a resident of the same villago he was not disallowed to occupy a seat in the jeep.

According to my information, it has been proved that the rightful occupants of the jeep had no intention or knowledge about the smuggling by KashiRam or his possession of gold. It is, therefore, requested that the jeep may kindly be released as it has nothing to do with the act of smuggling. An early action in the matter is requested.

Assistant Inspector General
of Police, Jodhpur. "

उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्या लगता है ? मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इस पत्र से यह बिलकुल स्पष्ट संकेत है कि हमारे राजस्थान के पुलिस के सिपाही नहीं, हैड कॉन्स्टिबल नहीं, थानेदार नहीं बल्कि एन्टी-स्मगलिंग फोर्स के ए. आई. जी, जिसके जिम्मे राजस्थान के बोर्डर की सुरक्षा का भार सौंप रखा है, कस्टम्स विभाग के उच्चाधिकारी को लिखते हैं कि................

उपाध्यक्ष महोदय , इन्फोर्मेशन के आधार पर इन्क्वायरी हुई है या नहीं इसकी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन उनको ऐसी सूचना मिली है । मोटर में बैठने वाले जितने

(श्री भैरोंसिंह)

आदमी थे उनसे कोई संकेत नहीं था कि कस्टम्स अधिकारियों के पास नाजायज सोना है, उसको कैसे पता चल गया। कस्टम्स अधिकारियों को कैसे पता लग गया। कस्टम्स अधिकारी शुरू से जानते थे कि राजस्थान की पुलिस, राजस्थान सरकार की जीपों में, राजस्थान पुलिस अधिकारियों की वर्दियों में, पाकिस्तानी सरहद में जाकर सोना लाते हैं और बीकानेर में उसको लाकर बेचते हैं। उनकी इसलिए ड्युटी बना रखी थी कि जाकर बोर्डर तलाशी ली जाय और उसी काम में तलाशी ली और सोना बरामद हो गया। यह इस बात का संकेत है कि राजस्थान पुलिस कौन से कारनामे कर रही है। यह लेटर इस बात का सबूत है कि पुलिस अधिकारियों के क्या कारनामे हैं जिनके हाथ में बोर्डर की सुरक्षा का भार है? सिपाहियों, का नहीं, जिनकी की यूनियन बन रही है किन्तु ऐसा उन लोगों पर जिन पर लोगों की हिफाजत और देश की रक्षा का भार है और भ्रष्टाचार को दूर करने का जिम्मा है। जिन लोगों के हाथ में सुरक्षा का प्रश्न है उनके होते हुए ऐसे मामले सदन में आते हैं। राजस्थान में इस प्रकार की संदेहपूर्ण स्थिति को देखकर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारी परिस्थितियों में सुरक्षा करें।

अब प्रश्न आता है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जो इस बीमारी की लपेट में आगया वह आ गया। यह बीमारी सरकारी अधिकारियों के घरों तक पहुंच गई और वह बीमारी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे में घुस गई। पिछले अधिवेशन में श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह संकेत किया था कि राज्य सरकार इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण कर रही है, ऐसी व्यवस्था कर रही है कि भ्रष्टाचार जिससे समाप्त हो जाय। एक अच्छा संकेत था, कुछ तोड़ मरोड़ में सही, हमारे राज्यपाल महोदय ने यह स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार राजस्थान में बढा है और श्रीमान् मुख्य मन्त्री महोदय ने भी इस बात के विषय में, मुमकिन है बजट अधिवेशन में, यह संकेत किया था कि एक विशेष अधिकारी को इस बात के लिए नियुक्त किया जा रहा है। हम सब ही को इस बात की खुशी हुई थी कि राजस्थान की सरकार चाहे भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो उसको रोकने में समर्थ है। जिस बात की तारीफ दिखाई गई है वह है भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे का पुनर्गठन किया गया, एक बडी तारीफ का काम था, सारे काम रखे गये हैं क्यों कि भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा जो था। उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं किया और यदि काम करते तो तारीफ भी होती, काम नहीं किया, इसलिए आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, जैसे पुनर्गठन से सारी समस्यायें हल हो जावेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, पुनर्गठन क्या हुआ? राजस्थान सरकार के गृह मंत्री पुनर्गठन से पहले अध्यक्ष थे और अब पुनर्गठन होने के पश्चात् राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी इसके अध्यक्ष बन कर बैठे हैं। यह मान कर चलें कि ऐसी सूरत में वे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं या नहीं और उसको रोकने में मन्त्रीगण कितने आगे आ सकते हैं। एक प्रश्न आता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसको रोकने के लिए वही आगे आ सकता है जिसके ऊपर कोई लान्छन न हो, जिस व्यक्ति के चरित्र में कोई सन्देह न हो, जिस व्यक्ति पर प्रशासन में अड़चन डालने की शिकायत न हो। लेकिन मन्त्रियों का प्रश्न देखते हैं तो एक प्रकार से लोगों की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश

Page No.79

(श्री भैरोंसिंह)

की जा रही है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से ही पूछता हूं कि बंबेवाला की नियुक्ति के पश्चात् कितने व्यक्तियों का चालान हुआ? केवल तीन व्यक्तियों का ही चालान हुआ। लेकिन वह तीन व्यक्ति आपके भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड के काम से नहीं पकड़े गये बल्कि विधान सभा में उनके खिलाफ आवाज उठाई गई थी और उनके लिए प्रश्न उठाये गये थे, उनके कारण पकड़े गये। डिस्ट्रिक्टबोर्ड, सीकर के अध्यक्ष के बारे में, सतसंगी के बारे में और पुलिस विभाग के वायरलैस एपरेटस् की पर्चेजेज़ के बारे में श्री गुमानसिंह, डिप्टी एस० पी० वगैरह इनके ऊपर जो कार्यवाहियां हुई, वह कोई बोर्ड की कार्यवाही नहीं थी। इनके जो चालान हुए वह कोई इस बोर्ड का काम नहीं था, बल्कि कहा यह जाय कि विधान सभा में उनके खिलाफ आवाज बुलन्द किये जाने के कारण उनके चालान हुए। आप हमें बतायें, उसके बाद कितनों का चालान हुआ? हां, चालान जरूर हुए। चालान एक तहसीलदार का कर दिया गया, कुछ सिपाहियों का कर दिया गया, कुछ हैड-कॉन्सटेबल्स का कर दिया, गया इसका कारण यह है कि माननीय सदस्य, अजमेर से आने वाले ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में उन व्यक्तियों के ऊपर पाबन्दी नहीं लगाई जाये जो कि सरकारी अधिकारी हों। जो गलत हों उन लोगों को गिरफ्तार किया जाय। आज इस राजकीय रंगमंच पर हर सत्ताधारी नेता को अपने पद की चिन्ता बनी रहती है। हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री हैं जिनको की वोटों का डर रहता है, उनको अपनी सत्ता को बनाये रखने की इच्छा रहती है। वह मुख्य मन्त्री महोदय यदि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कदम उठायें कि जो व्यक्ति पार्टी में कुछ हाथ रखता है या वह व्यक्ति जो कुछ गड़बड़ी करता है और उन्हीं की पार्टी का है और उसे वह सजा उचित रूप में दिलायें, तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार हमारे राज्य से दूर हो सकता है। तो क्या हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवायेंगे, मैं समझता हूं कि नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इतना है कि सदन को विश्वास करना पड़ेगा कि जब तक राजस्थान के इस भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड में राजस्थान के मन्त्री रहते हैं तब तक कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही नहीं हो सकती। बल्कि अगर इस बोर्ड में ज्योरली जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हैं और इस भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड का उनके हाथ में काम दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि कुछ चीजों की कमियां होंगी, मगर जब तक इस बोर्ड में यहां के मन्त्री लोग बैठे हैं तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता, बल्कि और अधिक बढ़ेगा। लेकिन आगे प्रश्न आता है। कहा गया कि आखिर मन्त्री महोदय इस बोर्ड में क्यों न हों? मैं कहूंगा कि हमें मंत्रियों के चरित्र पर संदेह होता है। उनके चरित्र से इस बात का गुमान नहीं होता कि वह स्वयं भ्रष्टाचारी नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि ३० जनवरी, १९५७ को मैंने हिन्दुस्तान एक हिन्दी का अखबार पढ़ा था जिसमें हमारे राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, राजस्थान कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जयनारायण जी व्यास ने एक वक्तव्य दिया था और उसका एक बार उल्लेख मैंने पहले भी किया था। लेकिन यहां भी एक प्रसंग ऐसा आ रहा है कि जिनको मुझे यहां दुबारा उल्लेख करना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मेरा यह विश्वास है कि ऐसे रेफरेन्सेज़ जो कि पत्रों से सम्बन्ध रखते हों और जो पत्र हमारे नजदीक

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं हैं उनके बारे में यहां कहना हमारी परम्पराओं के कुछ सिद्धान्तों के विरुद्ध जाता है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि ऐसे रेफरेन्सेज़ जो हमारे सामने नहीं हैं वह न किये जायें और मुख्यतः पत्रों के रेफरेन्सेज़ निषेध हैं, नियमों में।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पत्रों के रेफरेन्स निषिद्ध हो सकते हैं यदि पत्र सही न हों और उन पत्रों का सम्बन्ध इस भाषण में दी गई बातों से सम्बन्धित न हो यहां उनका रेफरेन्स नहीं आना चाहिये। लेकिन जिनका रेफरेन्स आवश्यक है किसी एक विषय को लेकर इस सदन को विश्वास में लाने के लिए तो मैं समझता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय, आप यह कृपा करेंगे कि इस तरह के पात्रों का रेफरेन्स देना कोई बुरी बात नहीं है। अब प्रश्न यह रहा कि जो कुछ मैंने रेफरेंस दिया वह सही है या नहीं, इसके लिए मैं उसकी दो फोटो आपको भेजूंगा।

(दो फोटो चित्र सदन में प्रस्तुत किए गए)

उपाध्यक्ष महोदय, वह जो संकेत हुआ था उस संकेत से ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस का टिकट राजस्थान में जिन व्यक्तियों को नहीं मिला उन लोगों के खिलाफ लिखित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप हुए। अब प्रश्न यह आता है कि कोई भी सरकार हो, यदि सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति इस बात का वक्तव्य देते हैं, तो आज के सत्ता की गद्दी पर बैठे व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उस वक्तव्य का प्रतिवाद निकलवायें। इसके विपरीत न तो इस बात की कभी प्रतिक्रिया ही होती है और न ही उसकी कभी कोई इन्क्वायरी ही होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र है एक ठिकाने के संबंध में। बेरूरी तहसील जोधपुर डिविजन में खिवाड़ा। उस ठिकाने के जमीदार और उस ठिकाने के माजी के गोद को लेकर झगड़ा होता है। गोद से पहले वह कोर्ट आॅफ वार्ड्स की निगरानी में था और उसके कारण लगभग २ लाख रुपया हमारी राजस्थान सरकार के कोर्ट आॅफ वार्ड्स डिपार्टमेन्ट में जमा थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पत्र हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री के भी हाथ में आया होगा। एक माजी ने दरख्वास्त की थी अभी गोद के बारे में झगडा है, इसलिए यह दो लाख रुपया नहीं दिया। संबंधित अधिकारियों ने फिर रुपया को रुकवा दिया। फिर एक परिस्थिति पैदा हुई, कुछ लोग आपस में मिल गए और उन्होंने मिलकर वकालात शुरू कर दी। लेकिन वह वकालात नहीं जो कि कोर्ट्स में होती है बल्कि वह वकालात कि जो सेक्रेटेरियट में की जाती है और उस वकालात के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, पत्र यह है:–

"जोधपुर, श्री रोशनजी"। यह रोशनजी वह हैं जिनको कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। पत्र में लिखा है:–

"जोधपुर
ता: १६–५–५३.

श्री रोशन जी,

जय हिन्द,

मेरा पहला पत्र भाई साहब की मारफत आपको मिला। होगा यदि आपने अब तक गफलत की और केस को ठीक तरह से सुधारा नहीं तो आपकी वजह से सारा मामला बिगड़ जावेगा, हमारी तरफ से दोनों मुकदमों में जो भी बात तय हुई थी वह पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है, पर यदि अब आपकी ओर से

(श्री भैरोंसिंह)

ढील रही तो बहुत बुरा होगा, दोनों केस बाबू जी के पास पहुंच गए हैं। अब आप दोनों के लिए बात न भी करें तो एक खीवाड़े वाले के लिए तो कुछ तै कर ही दिरावें, मगर ऐसे मामलों में आप उदयपुर ही बैठे रहे तो कुछ होने का है नहीं, इसलिए जल्द से जल्द जैपुर पहुंच कर बाबू जी से मिलकर अपना मामला बिठवाइये हमारी तरफ से आप चिन्ता न करें वहीं का वहीं सब कुछ पेमेन्ट हो जायगा, आप ज्यों ही जैपुर पहुंच जावें बात बाबू जी से करलें तथा मामला बैठने को ही हो तब मुझे रलाराम बिल्डिंग के पते पर तार दे दिरावें, मैं फौरन से जैपुर पहुंच जाऊंगा और आप से जो भी बात तै हुई थी उसे देने का मैं जुम्मेवार हूं, पर यूं ही मेरा फिर से जैपुर पहुंचना बेकार है, मैं पहले भी चार रोज बरबाद हो चुका हूं और अब मेरी पेशियां भी जोधपुर में काफी हैं, आप ज्यों ही मामले को बिठा दें तब मुझे बुला लें मैं फौरन आ जाऊंगा आपका रेल किराया, तार खर्च वगैरह सभी अदा कर दिए जायेंगे, आप घबराइये नहीं, अब तो मामला ठेट पूगा हुआ है, जैसे भी हो आप प्रयत्न कर बैठा दिरावें, तथा मुझे सूचित करें,

ह: खेतसिंह"

इन खेतसिंह को भी टिकट नहीं मिला और उपाध्यक्ष महोदय इनका यह पता है

"श्री रोशनलालजी, एम० एल० ए०
कांग्रेस कार्यालय
उदयपुर (राजस्थान)"

मैं यह कह सकता हूं कि यह पत्र आज नहीं बल्कि जिस समय कि कांग्रेस के टिकिट मिल रहे थे उन दिनों राजस्थान के मुख्य मंत्री के हाथों में भी गया था। राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय के हाथों में यदि इस प्रकार का पत्र जाता है और उस पत्र के कारण से कोई संदेह होता है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी कोई कमेटी नियुक्त करेंगे, ऐसी मुझे आशा है, या फिर इसकी जांच के लिए किसी विशेष ऑफीसर को नियुक्त करेंगे। लेकिन नहीं, चुप्पी है; चुप्पी, उपाध्यक्ष महोदय। जैसे पारस लेकर सोना कर दिया, सोना है और फिर आज वही व्यक्ति जिले के अध्यक्ष बनते हैं। या तो फिर यही पत्र गलत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह पत्र गलत नहीं है और यदि माननीय मन्त्री जी इसका ओरीजीनल पत्र लेना चाहें तो वह भी मैं दे सकता हूं और उसके दस्तखतों की जांच करवाई जाय तो ठीक है। वह भी करवा सकते हैं। लेकिन यह पत्र गलत नहीं है। अब एक चीज और है और वह यह है कि जो इस पत्र में लिखा हुआ है 'बाबू जी'; तो इन बाबूजी का पता नहीं लगता कि ये बाबूजी कौन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि अव्वल तो इस मालले की जांच होनी चाहिए कि ये बाबूजी कौन हैं। अगर आप जांच नहीं करा सकते हैं तो फिर यह बाबू जी कौन हो सकते हैं। या तो रेवेन्यु सेक्रेटरी हो सकते हैं या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के इनचार्ज हो सकते हैं या फिर रेवेन्यु मिनिस्टर हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके अलावा ये बाबूजी और कोई नहीं हो सकते। अब प्रश्न यह आता है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स का तो काम यह हो नहीं सकता.......

श्री उपाध्यक्ष : इस दस्तावेज़ के इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न नहीं है, इसलिए आप इसको रोकें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो फेक्ट्स हैं वे रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : You are not to interpret the document. Surmises will not do please.

श्री भैरोंसिह : प्रश्न यह चल रहा है, मुख्य मन्त्री जी भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं या नहीं और इसके लिए आवश्यक है कि...

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह ठीक कह रहा हूं कि आप डॉक्युमेन्ट का इन्टरप्रिटेशन करने जा रहे हैं। आप वह इन्टरप्रिटेशन नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिह: फिर लैटर को पेश करने से क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : You cannot interpret the contents of the document. The document itself will speak; that is the law, that is the principle.

श्री भैरों : that is all right, sir. तो मैं यह निवेदन करूं कि यह पत्र प्राप्त होने के बाद मैंने कुछ जांच की और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान के कोर्ट ऑफ वार्ड्स के इन्चार्ज जो बाबूजी नहीं हो सकते, रेवेन्यु सेक्रेटरी को बाबूजी नहीं कह सकते....

श्री उपाध्यक्ष : My observations are very clear, Honourable Member please. There can be no interpretation of the word which is contained in the document. You will proceed with the rest of the debate, leaving aside this controversial issue.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह कॉंट्रोवर्शियल इश्यू है। मैंने जैसे कि पहले बताया था राज्यपाल के अभिभाषण का यह आभूषण है। उस आभूषण की शब्दावली बहुत कटु हो सकती है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सरकारी स्तर पर स्थिति का स्पष्टीकरण किया जायगा। मैं इस बात के लिये केवल इतना सा कहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार यह जांच कर ले कि ये बाबूजी कौन थे ? मेरी जानकारी के अनुसार उस समय के राजस्व मन्त्रीजी ही बाबूजी थे। इस बात की जांच कौन करेगा, क्या बोम्बेवाले करेंगे या मुख्य मन्त्री करेंगे....

श्री मोतीलाल चौधरी : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष, पत्र लिखने वाले और पत्र जिसको मिला है, दोनों ही इस सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि सदन में उनका उल्लेख करना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : (अश्रव्य)

श्री मदनसिंह (दांता): वे यहां नहीं हैं, यह हम भी जानते हैं।

श्री भैरोसिंह: यह जरूरी नहीं, मैं रूल्स के अन्तर्गत ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : In the light of the principles of parliamentry debate persons who are outside the House and are not represented in the Legislature, they are not to be off and on discussed. This is the view point of usages and precedents of Parliament also. Now I have allowed the discussion and the dabate, but the hon. Member will please be not so explicit over the issue and will confine his debate only to the subject which is being debated in the House.

Page No.83

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Cannot we make references about dacoits who are not here, Natwarlal and so many others who are not present here. We can make references about them.

श्री उपाध्यक्ष : With certain limitations. What I want to submit is that we are going beyond the limitations.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is right.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खैर अब मैं उस सब्जेक्ट को नहीं दोहराऊंगा । माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं इसका निष्कर्ष निकालेंगे ।

अब मैं दूसरे विषय को लेता हूं । मुझे खेद है कि उसमें भी मुझे इसी प्रकार की बातें कहने को मजबूर होना पड़ेगा । अभी चार-पांच दिन पहले की बात है, जिस समय हमारे स्वायत शासन मन्त्री महोदय एक जल बोर्ड की बैठक में बैठे थे उस समय जो आंकड़े निकाले गये उन आंकड़ों में से कुछ आंकड़े मुझे भी देखने को मिले । मुझे इस बात का खेद है कि उन आंकड़ों से जिनका सम्बन्ध है वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं । लेकिन मुझे उन आंकड़ों को सदन के सामने रखना पड़ेगा, मैं केवल इस सम्बन्ध में लिस्ट ही पढ़ कर सुनाऊंगा । लोगों ने जल बोर्ड के रूपये ले लिये लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया; यह क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट है जिसे हम सरकारी धन का दुरुपयोग कह सकते हैं । यह उन लोगों ने किया जिनके हाथ में सत्ता को उलटने की ताकत है, इसलिये मजबूर होकर मुझे यह लिस्ट पढ़नी पड़ेगी !

६०० रुपये श्री मथुरादास में बाकी हैं । उनकी डिटेल्स इस प्रकार है, कि उन्होंने दो वर्ष पहले नागौर जल बोर्ड के लिये रुपये लिये थे लेकिन राजस्थान जल बोर्ड को आज तक इन रुपयों का हिसाब नहीं दिया, ये आज तक उनके नाम से बाकी निकलते हैं ।

११२५ रुपये श्री रामरतन कोचर में निकलते हैं जो जल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं ।

मई १९५६ में ५०० रुपये का एक ड्राफ्ट जयपुर से बीकानेर बैंक के नाम इश्यू हुआ था, उनमें यह था कि ड्राफ्ट का रुपये जल बोर्ड में ले लिया जाय लेकिन वे रुपये जल बोर्ड के खाते में न लेकर मालचन्द खड़गावत ने अपने हिसाब में जमा करवा लिये, आज तक उन रुपयों का पता नहीं ।

इस तरह से २१३१ रुपये श्री बृजमोहन धूत में जल बोर्ड के बाकी हैं और वह भी ऐसे लोगों में हैं जिनके लिये उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा नहीं जा सकता कि ये मामूली आदमी हैं जिनके नाम मैंने लिये हैं । वे यह समझते हैं कि उनमें सत्ता को उलट पुलट करने की क्षमता है लेकिन इस बार तो वे खुद ही उलट पुलट हो गये । मैं यह जानता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे । अगर वे ऐसी स्थिति में हैं तो उनको सत्ता के मोह को छोड़कर त्याग पत्र दे देना चाहिये और ऐसे मामलों को वे निपटा नहीं सकते तो उनको चाहिये कि ऐसा बोर्ड बनाया जाय जिनमें जुडिशियल ऑफिसर्स उनको यह काम सौपा जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मजबूर होकर ये सब बातें सदन के सामने रखनी पड़ती हैं । मैं मानता हूं कि ये बातें अप्रिय हैं । हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिये या किसी गुट विशेष के लिये ये अप्रिय हो सकती हैं,लेकिन ये बातें राजस्थान की जनता

(श्री भैरोंसिंह)

के लिये लाभदायक हैं इसलिये मुझे सदन में प्रस्तुत करनी पड़ती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। सन् ५४ के अन्दर जिन बातों का उल्लेख आडिट रिपोर्ट में है मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। जून के महीने में जौ की बोरियां बेचने के लिये आदेश होता है लेकिन वे जौ की बोरियां अक्टूबर १६५४ में बेची गईं, इसके लिये हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट ने दो व्यक्तियों से समझौता किया; ६,५४२ मन जौ बेचने के लिये सात रुपये चार आने मन के हिसाब से रेट मुकर्रर हुई और हम उनसे यह आशा करते थे कि उनसे आरनेस्ट मनी भी लिया जाय और उनको यह आदेश दिया गया कि डेढ़ महिने के अन्दर अन्दर इस स्टॉक को वे हटा लें। इस बीच में क्या होता है कि बाजार के भाव घट गये। तो चिन्ता किसको हुई? खरीददार को चिन्ता नही हुई, हमारी सरकार को। और होता क्या है कि वे डेढ़ महिने के पीरियड जो गल्ला उठाने के लिये दिया गया था उस पीरियड में वह व्यक्ति गल्ला नहीं उठाता है और उसके बाद फिर एक समझौता होता है, वह टेन्डर्स इन्वाइट नहीं करके, न नीलामी बोली बोलकर आरबीट्रेरीली तय किया जाता है कि इस गल्ले को पांच रुपया १२ आना फी मन के हिसाब से बेच दिया जाय। जो भाव सात रुपये चार आने के हिसाब से तय हो गया था उसको तीन ही महीने के बाद पांच रुपये चार आने के हिसाब से बेचना तय होता है, उसके लिये हमारी सरकार का एक्सप्लेनेशन है कि हमें गोदामों को खाली करना था इसलिये इसको बेचने में जल्दी की गई, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस व्यापारी के साथ यह तय हुआ था कि वह डेढ़ महीने के भीतर भीतर इस गल्ले को उठा ले और उसने उठाया चार महीने के बाद, जब कि उसके साथ एक प्रकार की शर्त हो चुकी थी तो उससे पालन क्यों नहीं करवाया गया? उससे जो २३ हजार के स्टॉक का नुकसान हुआ उसकी किसी ने जांच की है, जांच करके किसी को सजा दी है? कौन सजा दे, किसको क्या पडी? यह तो जनता का धन है, इसकी किसी को परवाह नहीं। परवाह थी उस व्यापारी की, जिसको कम दामों में गल्ला दिया गया। न जांच न किसी को दंड। यह क्या है? मैं समझता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार बोर्ड में मन्त्री रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार का नाश हो कहीं सकता।

अब दूसरी बात जो सदन के सामने रखना चाहूंगा वह यह है कि सन् १६५४ के अन्दर ८६ हजार मन गोजरा, बेजड़ और गोचनी सरकार को फरोख्त करनी थी जिसके लिये भाव ६रु.१४ आना तय होगया था उसके बाद यह तय हुआ कि एक हजार मन गोचनी और बेजड़ मार्च के महीने तक उठा लिया जाय। लेकिन उस फार्म ने बाद में इन्कार कर दिया कि हमारा सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं है; गल्ला दे दिया, एग्रीमेन्ट हो गया लेकिन वह फर्म कहती है कि जिसके साथ पहले एग्रीमेन्ट हो चुका था वह कहती है हमारा तुम्हारे साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं अरनेस्ट मनी जमा करवा दिया गया, फिर भी कहते हैं कि हमारा तुम्हारे साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं। फिर बाद में होता क्या है, सरकार की तरफ से यह मूव होता है कि जो गल्ला दिये जाने को है उसकी रेट ज्यादा है, इसलिये

(श्री भैरोंसिंह)

उसका री-स्क्रीनिंग किया जाय। री-स्क्रीनिंग के बाद में फिर उसी फर्म से एग्रीमेन्ट किया गया, उसमें यह तय हुआ कि अगर आठ दिन के भीतर माल उठाया नहीं जायगा तो समझौता तोड़ दिया जायगा लेकिन उस फर्म ने क्या किया कि उस तार का बाद में जवाब दिया कि हमारा तुम्हारा इस प्रकार का कोई समझौता नहीं है, अगर उसका अर्नेस्ट मनी होता तो उसको जब्त किया जा सकता था।

अन्त में यह होता है कि कुछ दिनों के के बाद वही रेट्स ७ रु० १४ आने से घटाकर ६ रु० १२ आना की गई और उससे हमारी राजस्थान सरकार को २ लाख ८० हजार४०० रुपये का नुकसान हुआ और वह डीलिंग्ज़ उसी फर्म के रिप्रेज़ेन्टेटिव के साथ होती है, जो यह कहते थे हमारा आपका कोई समझौता नहीं है। इसकी भी ना कोई जांच, नाही किसी को सजा।

इसी तरह से जो नुकसान हुआ उसके लिये जो सिक्योरिटी, पचास हजार की ली गई उसको फोरफीट करने के ऑर्डर हुए, क्योंकि कि ६ हजार ६०० मन ही गल्ला उठाने की मियाद दी हुई थी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, यह सारा मैटर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के पास है और उसने अभी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की है। पी. ए. सी. इस सदन से चुनी हुई है। उसकी रिपोर्ट पेश हो जावे इसके बाद ही ये बातें यहां पेश की जाएं।

श्री भैरोंसिंह : यदि मैं पी० ए० सी० के मैटर के आधार पर कहता होऊं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन ले आवें।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये निवेदन कर रहा था कि हमारे सामने जो आजकी परिस्थितियां हैं उनमें हम किस तरह से यह सोच सकते हैं कि राजस्थान की सरकार या राजस्थान की सरकार के माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकेंगे।

अभी अभी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविज़न में एक घटना हुई और खास तौर से कपासन में। वहां एक कॉटन प्रेसिंग एण्ड ज़ीनिंग फैक्टरी थी। उसे हमारी राज्य सरकार चलाया करती थी। लेकिन उसके अन्दर घाटा दिखाया गया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम इस प्रकार की फैक्टरियों को काफी लोन्स भी देते हैं, उनके चलाने में दिलचस्पी भी लेते हैं, कार्यवाही भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इसमें घाटा दिखाया गया और घाटा किस लिये कि एक विशेष व्यक्ति को वह फैक्टरी देनी थी। उसको देने के लिये उसमें घाटा दिखाया गया। उसकी कीमत चार लाख दिखाई गई थी और उसको बेचा गया १,६०,०००) रुपयों में। सबसे पहले एक ने जब उसकी कीमत लगाई १,२५,०००) तो दूसरे ने १,६०,०००) लगाई। उसकी नीलाम की टेन्डर की बोली, बोली गई पर जिस दिन टेन्डर नीलामी बोली पास होनी चाहिये तो वह उस दिन तो नहीं होती है, उसके पन्द्रह दिन बाद तय होती है और कौन व्यक्ति खरीदता है यह भी एक दिलचस्प किस्सा है। जिस व्यक्ति ने १,२५,०००) की कीमत लगाई वही व्यक्ति १,६०,०००) की कीमत पर खरीदता है। तो मैं समझता हूं कि यह चार लाख की सम्पत्ति एक लाख साठ हजार में क्यों बेची गई, इसमें भी एक राज है। उस खरीददार ने पहले १,२५,०००) की कीमत लगाई थी, पर चूंकि दूसरे ने उससे अधिक की बोली लगादी थी

(श्री भैरोंसिंह)

और देनी इसी १ लाख २५ हजार वाले को थी इसलिये उसको कम्पेन्सेट करने के लिये किया क्या गया कि बाद में कुछ सरकारी इमारतें उसमें और शामिल कर दी गई और मजा यह कि इस चीज का पता केवल उस एक ही व्यक्ति को होने दिया। उस १ लाख ६० हजार की बोली लगाने वाले को इसका पता नहीं होने दिया। अब नीलाम की बोली लगा चुकने के बाद में सरकारी इमारतें किस तरह से उसमें शामिल की गई जिससे उस व्यक्ति को १लाख ६० हजार में खरीदने के लिये कम्पेन्सेट करने की छूट दी गई, यह एक रहस्य है। वहां एक सहकारी समिति भी है। हमारी राजस्थान की सरकार सहकारिता के आधार पर नये समाज की नींव रखना चाहती है यह मैं मानता हूं। पर वह नींव कागजों पर ही रखी जा रही है, भाषणों में भी नींव रखने की बात होती है पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता और अगर होता तो कपासन के किसानों की बनी सहकारी समिति उसे खरीदना चाहती थी, उसे खरीदने दिया गया होता, पर उसको नहीं खरीदने दिया गया और एक व्यक्ति विशेष को अजीब तरीके से बेच दी गई। इसका परिणाम क्या निकला? माननीय मुख्य मन्त्रीजी का वहां दौरा हुआ और उसके ऊपर लोगों ने अपनी आवाज को रखने का, अपने भावों को व्यक्त करने का, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने का प्रयत्न किया, पर जब यह सारा प्रयत्न विफल हो जाता है, तो उपाध्यक्ष महोदय, तब वे एक अभद्र प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को वे दिखाते हैं। काले झंडों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है यह मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। सरकारी अधिकारियों के सामने काले झंडों का प्रदर्शन किया जावे यह अच्छा नहीं। पर कुछ मजबूरियां होती हैं। दिल के भाव किसी न किसी रूप में समाज के सामने आते हैं। इसके लिये कई लोग धिक्कारते हैं, सरकारी व्यक्ति उलाहना देते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। माननीय मुख्य मन्त्री को काले झंडे दिखाये गये। पर परिणाम इसका क्या हुआ? काले कपड़े का पैसा उन्हें देना पड़ा।

(हंसी)

और फैक्टरी भी वापिस नहीं आई, जिसके पास जानी थी गई, सरकार को घाटा लगना था, लग गया। मामला समाप्त हो गया।

(हंसी)

कुछ दिनों के पहले पानरवा काण्ड की बात सामने आई थी। इसे मैंने गत अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। राजस्थान के वन मन्त्री को बताया था कि इसमें एक जबर्दस्त घोटाला है। पर उन्होंने स्वीकार नही किया। यह कहा कि जिसको ठेका दिया गया है उससे कुछ डवेलपमेन्ट वर्क्स ठीक करवाने हैं। पर बाद में वह आवाज बुलन्द हुई, चारों तरफ से लोग चिल्लाये, ठेकेदार चिल्लाये और इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे माननीय वन मन्त्री महोदय ने हिम्मत की। उनकी हिम्मत की मैं सराहना करूंगा। अब यह हिम्मत परिस्थितियों के कारण से की या कैसे की, यह नहीं कह सकता। पर हिम्मत की और उसका परिणाम यह हुआ कि उस पर सरकारी अधिकार हो गया। पर इससे क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, बीड सरकार का, बीड को बेचने वाले सरकारी अधिकारी, बेचने की इजाजत देने वाले मन्त्री-मण्डल के एक मन्त्री। जिन लोगों ने आज्ञाएं दीं वह थीं सन् ५४ के ठेके को जो सन् ५७ के सितम्बर में खतम होना था और सितम्बर के पहले एक्सपेन्शन ६२ तक और कर दिया, यह

(श्री भैरोंसिंह)

किस व्यक्ति के द्वारा, किस कारण से हुआ था, इसकी जांच कौन करे ? उस व्यक्ति को पनपाने वाले कौन कौन हैं, इसकी जांच करने की हिम्मत किसी की नहीं। मैं समझता हूं कि पर्दा साफ है। इस प्रकार के ठेके की इजाजत चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स अपनी इच्छा से नहीं दे सकता। वह मन्त्री से इजाजत लेता है। अब वह मन्त्री कौन है, जिसके काले कारनामों के कारण विभाग में असन्तोष फैला। जिन मन्त्रियों के काले कारनामों से ठेकेदारों में असन्तोष की भावना पैदा हुई, यह जांच कौन करे ? वन मन्त्री को आखिर में यह तो करना पड़ा कि साहस करके सारे ऑर्डर कैंसल किये। अब साहस उन्होंने कैसे किया, यह अलग बात है। साहस करना पड़ता है। कभी ऐसा न हो कि वह मन्त्री न रहें और फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जावे कि लोग परिहास करें तो वह परिहास न हो ऐसा कन्वेन्शन बनाने के लिये साहस किया है। उनका यह साहस प्रशंसनीय है। पर एन्क्वायरी नहीं हुई, एन्क्वायरी होनी चाहिये थी, पब्लिक एन्क्वायरी होनी चाहिये थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट के अन्दर अभी अभी मूंदडा के शेअर खरीद का मामला चला। माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने फौरन कमीशन नियुक्त किया और जांच का, पब्लिक जांच का, आदेश दिया। उसकी जांच हो रही है। जांच का नतीजा क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता, पर इससे जनता में विश्वास पैदा होता है। पर राजस्थान सरकार के वन मन्त्री महोदय के सामने यह सारा मामला आया पर उन्होंने जांच कराने का साहस नहीं किया। सरकार को चाहिये था कि इस तरह के मामले की जांच करने के लिये किसी इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति को नियुक्त करती, या किसी एक ऊंचे जुडीशियरी के जज की नियुक्ति करती और यदि इनमें कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो चाहे उन्हीं के लोगों में से किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर दूसरे भी विश्वास कर सकें अपोइन्ट कर दे, जिसके सामने हम अपने उद्गार स्पष्टता से और निर्भीकता से प्रकट कर सकें। यह कहा जाता है कि अगर किसी को शिकायत हो तो मन्त्री महोदय के सामने प्रस्तुत की जाय। इसका कुछ असर हम पर नहीं हो सकता। हम अपने उद्गार उनके सामने नहीं रख सकते, इसलिये नहीं कि हम रखना नहीं चाहते, पर इसलिये कि आज ऐसी स्थिति नहीं कि हम उन पर विश्वास कर सकें। विश्वास होने के लिये अधिकारी ऐसा हो जिस पर दोनों पार्टी विश्वास कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं घटती जा रही हैं, इसके लिये आवश्यक यह है कि हमारी सरकार के मन्त्री महोदय इस भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे से अपना त्याग-पत्र दे दें और उसमें ठीक व्यक्तियों को आने दें।

अब तीसरा प्रश्न आता है सत्ता के विकेन्द्रीकरण का। हमारी सरकार इस बात की बड़ी योजनाएं भी बनाती है कि हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया, पंचायतों को हमने सत्ता दे दी। पंचायतों को हम रेवेन्यु वसूल करने के अधिकार देने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे का स्पष्ट पहलू अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जो सरपंच सम्मेलन हुआ था इससे हमें मिलेगा। राजस्थान के अन्दर एक पंचायत राज्य संघ है, पंचायतों का संघ बना हुआ है। सरकार की उसको मदद है और उस मदद के आधार पर वह संघ चालू हुआ है। उसने आवाज लगाई कि राजस्थान के अन्दर नौकरशाही का राज्य

(श्री भैरोंसिंह)

है, हमें लोकशाही स्थापित करनी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, वह कांग्रेस के एक मोटे नेता, एक जिम्मेदार व्यक्ति, उसके कोषाध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति यदि इस प्रकार के नारे को बुलन्द करें कि राजस्थान में नौकरशाही है, लोकशाही लानी है और लोकशाही लाने के लिये पंचायत राज्य लोगों का स्थापित करना है तो यह बात अखरी।

कांग्रेस सरकार को वह बात अखरी है। मुझे यह सूचना मिली है, विश्वस्त रूप से सूचना मिली है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बात को महसूस करते होंगे। एक अखिल भारतीय नेता का एक पत्र राजस्थान कांग्रेस के नाम आया और उनसे मांग की है कि किसी न किसी तरह से इस पंचायत राज्य संघ को खत्म किया जाय। इतनी हिम्मत उनकी नहीं हो सकती थी कि खुले आम पंचायत राज्य संघ को खत्म किया जाय तो एक दूसरा तरीका निकाला। यहां पर एक सरपंच सम्मेलन किया गया जिसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री ने किया और उद्घाटन भाषण समाप्त होने के बाद ही पंचायत परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव आया। यह पंचायत परिषद् क्या है? यह किस तरह से स्थापित हो सकती है? उसके फन्क्शन्स क्या हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह कोई दूसरी बात नहीं है बल्कि पंचायत राज्य संघ का बदला हुआ रूप है। पंचायत राज्य संघ के खिलाफ एक पंचायत परिषद् बना दी जाय और ऊपर लिख दिया जाय कि उसको खत्म करने की बराबर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यहां पर पंचायत राज्य संघ और पंचायत परिषद्, दोनों की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो जनता के धन की। राजस्थान सरकार ने जनता के पैसे के आधार पर सरपंचों का सम्मेलन बुलाया और पंचों को खर्चा दिया। पंचायतों से भी पंचों ने खर्चे के नाम पर काफी रुपया लिया और सरकार ने भी ३ रुपये प्रति सरपंच के हिसाब से दिये। तो इससे कितना नुकसान हुआ राजस्थान का। राजस्थान ने कहा कि करीब ४ या ४॥ हजार सरपंच इकट्ठे हुए थे, तो ३ रुपया के हिसाब से करीब करीब १२ या १३ हजार रुपया खर्च हुआ। दुनिया भर के ऑफिसर सरपंच सम्मेलन की व्यवस्था करने के लिए बुलाये गये। मोटर वेहिकल्स में कितना पेट्रोल जल गया। इस सरपंच सम्मेलन में न तो पंचायत परिषद् बन सकी और न पंचायत राज्य संघ ही खत्म हो सका, लेकिन खत्म हुआ गरीब जनता का पैसा। जिस जनता के पैसे से इस प्रकार का मखौल किया जाता है, उस राजस्थान सरकार को यदि कुछ कहा जाय तो, उपाध्यक्ष महोदय, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण किस प्रकार से होता है, माननीय स्वायत्तशासन मंत्री जी इस बात से परिचित हैं। राजस्थान की पंचायतों में किस प्रकार का प्रशासन है, राजस्थान की पंचायतों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण आज जनता किस प्रकार से कराह रही है! मैं यह नहीं कहता कि पंचायतों को सत्ता न दी जाय, पंचायतों को प्रशासन की बातें न दी जायं, लेकिन जिन कारण से पंचायतों के प्रशासन में अव्यवस्था होती है, जिन कारणों से सत्ता का दुरुपयोग होता है, उन कारणों को मिटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकार के मन्त्री महोदय के सामने मैं दो उदाहरण पेश करूंगा। दांता रामगढ़ तहसील में दो पंचायतें हैं। उनका चार साल से पीछा करने वाला मैं हूँ। लेकिन राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के

(श्री भैरोंसिंह)

पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इन दो पंचायतों के सरपंच दुनिया भर के लोगों को सजा दे देते, हैं उनकी शिकायत की जाती है और मन्त्रीजी तक के रिप्रेजेन्टेशन होते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। कई-कई बार उनके बारे में आज्ञाएं दे दीं, मन्त्रीजी के हाथ से आज्ञाएं दी हुई हैं, मुझे अफसोस है कि वही बात मुझे फिर कहनी पड़ती है कि वे मंत्री तो अवश्य हैं लेकिन असली मन्त्री महोदय तो नीचे वाले हैं। मन्त्री महोदय की परिस्थिति ऐसी है कि वे बीमार हैं, लेकिन बीमारी के कारण नहीं, बल्कि कुछ और कारणों से नीचे के लोग मन्त्री बने हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि पंचायत राज्य अच्छी तरह से चल सकता है या नहीं, इसकी कोई चिन्ता नहीं, पंचों को और अधिकार दिये जायं इसकी कोई चिन्ता नहीं है, पंचों को और कोई सत्ता दी जाय, इसकी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

अब एक प्रश्न आता है बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट का। हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि वे उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि पंचायतों का समय खत्म हो रहा है। हमारी राजस्थान सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यदि इस सदन में विचार-विमर्श करती है तो इस सदन में विचार-विमर्श कर ले, लेकिन जिन बातों का उसमें उल्लेख है उन्हें जल्दी से जल्दी राजस्थान में लागू किया जाय। उसमें यदि कोई ऐसी आपत्ति-जनक बातें हों तो उन आपत्ति-जनक बातों के ऊपर इस सदन के अन्दर सलाह मशवरा किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि पंचायतें जिस प्रकार की बनी हुई हैं, उनका जिस प्रकार से गठन हुआ है कि एक वार्ड में ५० वोटर हैं और एक वार्डमें ५०० वोटर्स हैं। ५० वोटर्स का भी एक प्रतिनिधि है और ५०० का भी एक प्रतिनिधि है। इस आधार पर हमारे यहां पंचायतें बनी हुई हैं। उस आधार पर मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिसके कारण से पंचायतों में अव्यवस्था हो। पंचायतों को सत्ता देकर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सद्भावना होनी चाहिए।

अकाल की समस्या को लेकर हमारे राजस्थान के श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने कुछ आंकड़े बताये हैं कि इन इन जिलों के अन्दर अकाल हुआ है और इतने गांवों के अन्दर अकाल पड़ा है और इतनी रिलीफ दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ता है और सब जगह पड़ता है। कहीं वर्षा नहीं होने से पड़ता है, कहीं वर्षा ज्यादा होने से पड़ता है और कहीं बीज अच्छा नहीं होने से पड़ता है। लेकिन राजस्थान में अकाल प्रकृति नहीं पटक सकती है। राजस्थान में अकाल पटकता है पटवारी, पटवारी को जिस गांव ने पैसा दिया तो उस गांव में अकाल और जिस गांव ने पटवारी को पैसा नहीं दिया तो गांव में अकाल नहीं। जो आंकड़े माननीय राजस्व मन्त्री ने तैयार किये हैं वे सीकर जिले में चलें, झुन्झुनू जिले में चलें और चुरू जिले में चलें और चुरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांवों को देखें। उन गांवों के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, खेजड़ी के लोग नहीं, बालों का नाम निशान नहीं है, बाजरी मोठ और गवार एक पैसे की नहीं, लेकिन पटवारी को पैसा नहीं दिया तो उस जगह अकाल नहीं पड़ा। उस जगह को मैंने स्वयं

Page No.90

(श्री भैरोंसिंह)

ने देखा है। अकाल किन क्षेत्रों में पड़ता है। यह निश्चित है कि उदयपुर और नागौर जिलों में अकाल पड़ता है।

(करतल-ध्वनि)

यह मैं नहीं कहता कि बरसात नहीं होती है। मैं यह नहीं कहता कि अकाल है, लेकिन अकाल इसलिए पड़ता है कि कुछ लोगों को राहत दी जाय। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता कि काश्तकारों को राहत न दी जाय, बल्कि मैं तो इस पक्ष में हूं कि काश्तकारों को राहत दी जाय, लेकिन उन काश्तकारों को भी इससे वंचित न किया जाय जो कि पटवारी के कारण अकाल का लाभ नहीं ले सकते हैं। पटवारी रिपोर्ट करता है, उसकी जांच करने के लिए कोई अधिकारी नहीं जाता है। वह रिपोर्ट करेगा गिरदावर को और गिरदावर उसको फॉरवर्ड करेगा नायब-तहसीलदार को और वह उसको आगे भेजेगा। इसके बाद वह कलेक्टर को पहुंचेगी और कलेक्टर से कमिश्नर को और कमिश्नर उसको भेजेंगे रेवेन्यू मिनिस्टर को और वे ठाठ से कहेंगे कि इतने गांवों को राहत दे दी है। स्वयं ने किसी ने मौका देखा नहीं।

(एक आवाज : वे बीमार हैं)

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि वे बीमार हैं तो उनको मोटर प्रोवाइड कर रखी है और सरकार उनको अच्छी तनख्वाह देती है। किसी भी गांव में जाकर जांच कर सकते हैं। लेकिन जांच का कोई सवाल नहीं है, काश्तकार पिस रहा है, इसकी कोई चिन्ता नहीं हैं, पटवारी के सामने प्रकृति ने मात खा ली है, इसकी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन चिन्ता है तो इस तरह की राजनैतिक बातों की चिन्ता है, तो इस बात की कि उनके विरोधी लोग पनप नहीं सकें। इस तरह की चिन्ता उन्हें सीकर जिले की श्री माधोपुर तहसील में, जिस तहसील से मैं आया हूं, के २७,२८ गांवों की नहीं है जिन गांवों में कि जागीरदार नहीं है और जो जागीर एरिया है उसमें तो अकाल है ही नहीं क्योंकि जागीर एरिया में अकाल नहीं पड़ता है। अकाल डरता है जागीरदार से, यह मैं मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन प्रकृति के सामने जागीरदार और गैर जागीरदार का कोई प्रश्न नहीं है। वहां पर २७,२८ गांवों में ही नहीं बल्कि तहसील के आधे हिस्से में पूर्णतया अकाल है। उसके बारे में जांच नहीं। पटवारी की और किस किस की शिकायत करें। शायद मंत्री महोदय कहते हैं कि शिकायत की जाय। शिकायतें पटवारी की ही नहीं बड़े बड़े अधिकारियों की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। मेरा निवेदन है कि उनकी जांच की जाय और इस अकाल के संबन्ध में जो निर्णय लेते हैं यदि वे निर्णय गलत हों तो उसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्ड दें और जो प्रकृति के कारण फसलें खराब हुई हैं, खासतौर से इन दो तहसीलों का, श्री माधोपुर और रतनगढ़ तथा सुजानगढ़ और झुन्झुनु जिले की कई तहसीलों में यदि आप चलें तो पता लगेगा अकाल पडा है। लेकिन पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने झूंठे कागजात बनाकर मंत्रीजी के पास भेज दिये और उन्होंने एन्डोर्समेन्ट करके भेज दिये कि इतने गांवों में अकाल पड़ा है इसलिये इनको छूट दी जाय। वे जांच करते तो पता चलता कि कहां कहां अकाल पड़ा है, लेकिन ब्लड प्रेशर के कारण उनको जांच करने की कहां फुर्सत है ?

दूसरा प्रश्न आता है, हमारी राज्य सरकार अभी एक व्यवस्था करने जा रही है पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष का अंतिम चरण

(श्री भैरोंसिंह)

है। हो सकता है कि राजस्थान में जितने सत्तारूढ़ दल से संबन्धित व्यक्ति हैं उन्हें पता हो कि पिछली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं राजस्थान सरकार की ओर से, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक पिछली पंचवर्षीय योजना से संबंधित डिस्ट्रिक्टवाइज़ आंकड़े न तो इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं और न किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन हुआ है और न जनता को किसी प्रकार की जानकारी ही दी गई है। जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि आंकड़े तैयार होरहे हैं। माइनर इर्रिगेशन के बारे में सदन में प्रश्न पूछा गया तो कहा गया कि आंकड़े तैयार नहीं हैं। आंकड़े प्रस्तुत इसलिये नहीं करते कि कहीं गलत नहीं हो जायं। माइनर इर्रिगेशन के बारे में आंकड़े मैंने प्राप्त किये तो पता लगा कि राजस्थान में ६२ लाख रुपये इसमें खर्च हुए। लेकिन वे रुपये खर्च कहां हुए सीकर और झुन्झुनू में नहीं हुए, अजमेर डिविज़न में खर्च नहीं हुए, जोधपुर डिविज़न में खर्च नहीं हुए और न बीकानेर डिविज़न में ही खर्च हुए, केवल उदयपुर डिविज़न में खर्च हुए, जहां तक मेरी जानकारी है, ४६ लाख रुपये अकेले उदयपुर डिविज़न में खर्च हुए। या तो यह माना जाय कि राजस्थान केवल उदयपुर डिविज़न तक ही सीमित रहेगा और बाकी जगह आवश्यकता नहीं है। यदि दूसरी जगह आवश्यकता नहीं है तो योजना को बंद किया जाय, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। लगान हम भी देते हैं, टेक्स हम भी देते हैं। भारत सरकार ने जो टेक्स इम्पोज़ किया है उसे हम भी देते हैं, फिर क्या बात है कि वह सारा पैसा केवल एक ही डिवीजन पर खर्च किया जाय? लेकिन क्या करें! सीकर और झुन्झुनू के कोई मन्त्री नहीं हैं। मैंने कहा कोई भी बने, चाहे मन्त्री बनें या उपमन्त्री बनें, लेकिन कुछ बनें तो सही और बन कर सीकर, झुन्झुनू का कुछ सुधार करें। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे प्रतिनिधियों की चलती नहीं, वरना वे भी केबिनेट में झगड़ा करके बाहर निकल जाते और कहते कि क्योंकि जयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर डिवीजनों में पैसा खर्च नहीं होता है इसलिये हम नहीं रहेंगे। केवल उदयपुर डिवीजन में ही पैसा खर्च होता है इसलिये उदयपुर डिवीजन के लोग ही मन्त्री बनाये जांय।

मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर डिविजन में पैसा खर्च नहीं किया जाय। पैसा खर्च किया जाय और खूब किया जाय और बैकवर्ड एरिया की उन्नति की जाय, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो क्षेत्र हैं उनका भी अपलिफ्ट करना है। मैं यह जो बात कहता हूं यह मुख्य मन्त्री जी के पक्ष में है और इसलिये कि विरोधी दल वाले कहते हैं वे विरोध के लिये ही कहते हैं कि उदयपुर में ही सारा पैसा खर्च होता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केवल उदयपुर तक ही सीमित नहीं है। उनको केवल उदयपुर का ही भामाशाह नहीं बनाना चाहिये, उदयपुर में पैसा खर्च करते हैं इसलिये उदयपुर के भामाशाह की पदवी उनको मिल गई है। लेकिन उनको केवल उदयपुर का ही नहीं सारे राजस्थान का भामाशाह बनना है। उनको चाहिये कि राजस्थान के प्रत्येक भाग को प्रशासन का भाग समझें और फिर खर्च करें, लेकिन इस दृष्टि से खर्च नहीं हो रहा है।

भाखरा से बिजली मिलने की बात चल रही है। लेकिन बदकिस्मती है राजस्थान की कि अभी तक जो बिजली मिल जानी चाहिये

Page No.92

(श्री भैरोंसिंह)

थी वह नहीं मिल रही है। इसके बारे में राजस्थान सरकार का जवाब यह है कि (Foreign Exchange) फौरिन एक्सचेन्ज की कठिनाई के कारण बाहर से सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान, पंजाब और मध्यप्रदेश तीनों ही को वहां से बिजली मिलने वाली थी। तीनों ही स्टेट्स एक ही हैं, तीनों ही के एक से साधन हैं। हो सकता है कि यहां मन्त्रियों की संख्या कम है और वहां ज्यादा है। लेकिन मन्त्रियों की संख्या कम होने से ही कोई बुरी बात नहीं हो सकती। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि मध्यप्रदेश में बिजली के खंभे लग गये और खम्भे लगने के बाद तार खिंच गये और पंजाब में बिजली के खंभे लग जायं, तार खिंच जाए और बिजली का उपयोग भी होने लग जाय और राजस्थान सरकार यह कह कि हम खंभे नहीं लगा सकते, तार नहीं खींच सकते इसलिये बिजली नहीं दे सकते। हमें यह न भूलना चाहिये कि ऐसा करके हम एक खतरे का सामना करने जा रहे हैं। अनेक आदमी खाली रोशनी के लिये ही बिजली का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि तालाबों और कूओं में भी बिजली का उपयोग होता है। हो सकता है कि आज जो स्टेनोग्राफर्स और रिपोर्टर्स हमारे वरबेटिम नोट्स लेते हैं उनका काम मशीन से लिया जाय, जो आदेश सरकार देती है वे भी बिजली के जरिये ही दिये जांय। कहने का तात्पर्य यह है कि बिजली हमारे यहां हर जगह काम में आने वाली चीज है। बिजली का जो कोटा भाखरा से हमें मिलनेवाला है वह निर्धारित कोटा है? पंजाब और मध्यप्रदेश वाले इसका उपयोग करने लग गये हैं। यदि वहां बिजली ज्यादा खर्च होने लग गई तो मुझे राजस्थान के मन्त्रियों से अपेक्षा नहीं है कि वे पंजाब और मध्यप्रदेश से लड़कर यहां बिजली ले आयेंगे। मैं समझता हूं उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिये।

राज्य सरकार सिंचाई के लिये कई प्रकार के बांध बनाने जा रही है। माइनर इर्रिगेशन और मेजर इर्रिगेशन की बात करते हैं। पिछले साल बूंदी में बांध टूट गया था और लाखों रुपये पानी में बह गये थे। अब तक उसका प्रबन्ध ठीक नहीं हो सका। उसकी जांच हुई और केवल एक व्यक्ति को सस्पेन्ड किया गया। लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति नहीं कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी।

उदयपुर डिवीजन में गिरवा तहसील के दमोह गांव से लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट के अन्तर्गत कब्जा किया गया। मैं मानता हूं कि सरकार इस प्रकार की योजना बनाकर जमीन को उपयोग में ला सकती है। लेकिन काश्तकारों को बेदखल करती है किसी योजना के नाम पर कि उस पर तालाब बनायेगी या कूए खुदवायेगी उसके आसपास जितने खेती करने वाले किसान हैं उनको बेदखल करने का लैंड एक्वीज़ेशन के मातहत अधिकार हो गया। लेकिन अधिकार होने के बाद वह जमीन जाती किसके पास है? मैं कहूंगा कि वह जमीन जाती है नेताओं के पास, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं। बल्कि दूसरों का शोषण करते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वे स्वयं जांच करलें, उन नेताओं को कितनी जमीन मिली है और काश्तकारों को कितनी मिली है। मेरा नाम बताना अच्छा नहीं होगा। वे स्वयं बता देंगे कि विधान सभा में चर्चा हो रही है। जिन काश्तकारों को बेदखल किया गया है उनको मुआवजा अब तक नहीं मिला है। उनको बेदखल करके नेताओं ने इस

(श्री भैरोंसिंह)

जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने पहले ही बताया था कि सत्ता हाथ में रखनी है इसलिये किसी को नाराज नहीं कर सकते। कोई नेता नाराज नहीं हो सकेगा, लेकिन काश्तकारों के दिल में आग लगी है, उसको बुझाना है। काश्तकारों का नाम लेते ही मुख्य मन्त्रीजी हंस पड़े और उनका हंसना स्वाभाविक ही है। लेकिन एक प्रश्न सामने है और वह यह कि काश्तकारों की बात करें तो लैंड रिज़म्पशन की भी बात कर देते हैं। पिछली विधान सभा में एक-दो बार नहीं लेकिन सन् ५२ से ५७ तक और इसमें ५७ से ५८ तक इस बात की चर्चा होती रही है कि जमींदारी को समाप्त किया जाय। राज्य सरकार ने अनेक बार आश्वासन दिया है और स्वयं राजस्व मन्त्री जी ने भी कहा है, चाहे भूल से ही कहा हो, लेकिन आश्वासन दिया था कि जमींदारी को समाप्त किया जायगा, लेकिन जमींदारी समाप्त नहीं हुई। पिछले अभिभाषण में भी जमींदारी को समाप्त करने का आश्वासन दिया था लेकिन वह ज्यों का त्यों है और केवल इतनी बात कही गई कि इस सम्बन्ध में कानून बन रहा है। कानून इस सेशन में नहीं आयेगा, इस सेशन में जितने कानून बनेंगे, उसकी लिस्ट मैंने देख ली है। इस सेशन में जमींदारी एबोलिशन का कानून पास हो जाय, इसकी उम्मीद नहीं है। अगर केवल कहने से ही कानून पास हो जाय, तो मैं राजस्व मन्त्रीजी का आभारी होऊंगा कि पांच-छः वर्ष के बाद ही सही, पर जमींदारी एबोलिशन का कानून तो बनाया।

४. ११ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण में एक और बात आई है और वह यह है कि अपने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोग हैं उनको किस प्रकार खुश किया जाय। उसके लिए कहा है कि राज्य सरकार सन् १९४७ से लेकर अब तक, अनुसूचित जाति के लोगों को पद देने में सफल नहीं रही है, हालांकि हमने उनके लिए सुरक्षित स्थान रखे थे। यह बात खुशी की जरूर है कि १९४७ से प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी सरकार ११ वर्ष के बाद यह महसूस करती है कि हरिजनों के लिए सीट तो निश्चित कर ली, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारी देते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है। एक अजीब व्यवस्था की है कि अगर मेट्रिक और उसके नीचे की श्रेणी में नई नियुक्ति की जाय, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से इन्फॉरमेशन ली जाय कि वाकई में एम्पलायमेंट अक्सचेंज ऑफिस में कोई दरख्वास्त नहीं है जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से इन जातियों के व्यक्तियों को राज्य सेवा में लिया जा सकता है। लेकिन मैं मुख्य मन्त्री को उस समय ज्यादा बधाई देता जब वे इस प्रकार की कन्डीशन आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आर० ए० एस० और आर० पी० एस० ऑफीसर के पदों के लिए भी रखते। उनके लिए कहा है कि बड़े लोगों के आदमियों को लिया जाय। मन्त्री के बच्चों को लिया जाय। इसका स्पष्ट कारण है कि आजकल जो शिक्षा दी जाती है, वह आई० पी. एस., आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के काम नहीं हो सकती, ग्रामीण जनता के लिये बेसिक स्कूल और मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल खोले जाते हैं। जो कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आर० पी० एस० की सर्विस

(श्री भैरोंसिंह)

के काम नहीं आ सकते। इनके लिए सीट रिज़र्व हैं, उनके लिए, जो पूंजीपति हैं। जो सरकार के बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बच्चों के लिए, जो सेन्ट ज़ेवियर, शिमला या स्विटज़रलैंड में पढ़ेंगे। वे पढ़ने के लिए इंगलैंड या अमरिका जावेंगे। ग्रामीण जनता के धन से आज राजस्थान चकाचौंध हो रहा है, हर गांवों में बेसिक एजुकेशन के स्कूल खोल कर, मल्टी पर्पजेज़ हाई स्कूल खोल कर आप उनके लिए सर्विसेज के दरवाजे बन्द कर देंगे। यदि आप अनुसूचित जन जाति के लोगों को लेना चाहते हैं और इस प्रकार मुख्य मन्त्री जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो प्रतिनिधि हैं, उनको वे खुश नहीं कर सके हैं और अब उन्हें खुश करना चाहते हैं, तो वे एक कानून बनायें कि आर० ए० एस० और आर० पी० एस० की जो सर्विसेज़ हैं उनमें पूर्णतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को लेंगे। उनके साथ किसी प्रकार का डिफरेन्शियेट कर और गरीबों को सर्विस में आने में रुकावट डाल वे राजस्थान की सरकार को नहीं चला सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इन बातों पर निश्चित रूप से विचार करें कि हमें किस प्रकार कार्यवाही करनी है।

अब प्रश्न आता है कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कीम्स....

श्री उपाध्यक्ष : डेढ़ घन्टा हो गया है। मैं आपके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहता, पर दूसरों के लिए समय नहीं रहेगा।

एक माननीय सदस्य : तीन दिन और हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I have got a long list. I have got to see how to apportion the time.

श्री भैरोंसिंह : मैं पांच-सात मिनट और लूंगा।

अब खादी का प्रश्न आता है। खादी के प्रश्न के बारे में प्रजा प्रगतिशील पार्टी के नेता ने जिस ढंग से विचार व्यक्त किये, उनका तो में समर्थन नहीं करता। खादी वास्तव में इस प्रकार की वस्तु है जिसके द्वारा लोगों में सात्विक विचार आ सकते हैं। चाहे वह खादी पहनने पर किसी प्रकार का कार्य करें। खादी के जो गुण हैं, उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का आक्षेप मैं नहीं कर सकता। पर प्रश्न यह है कि खादी के साथ बेइमानी का जो अलंकार लगा हुआ है, वह क्यों है? खादी जैसी पवित्र चीज, एक विषैले शब्द से अलंकृत होती रहने से बच सकती है या नहीं। हमारे पूज्य बापू ने एक सिद्धान्त सामने रख कर, खादी का महत्व बता कर, खादी के द्वारा बेकारी को दूर करने की योजना बना कर, जो योजना देश के सामने रखी थी, उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी ऐसे शब्द का प्रयोग करायें तो करायें। खादी आज इतनी बहिष्कृत चीज है कि खादी पहने हुए कोई स्टेशन पर चला जाय तो कहेंगे कि चोर है।

(हंसी)

यह खादी के बारे में नहीं, बल्कि उसके लिए कहा जाता है कि जो उसको पहनता है। इस प्रकार की कल्पना आज मासेज़ करती है, चाहे हम खादी को धोकर, आइरन कर, फेशनेबल बन कर उसे पहन कर निकलें, जनता उससे प्रेम नहीं रखती। मैं मानता हूँ कि खादी में गुण हैं, खादी पहनने वालों में गुण नहीं हैं। इसीलिए खादी बदनाम होती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक खादी बोर्ड है, वह

(श्री भैरोंसिंह)

खादी बोर्ड तो क्या है, यदि यह कहें कि स्केन्डलस बोर्ड है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कौन हिसाब देखता है, किस प्रकार से खर्च बढ़ता है, किस प्रकार से खर्च कम होता है, इसकी किसकी जिम्मेदारी है, इसका कुछ पता नहीं। बीकानेर के अन्दर ४० हजार रुपया खादी बोर्ड के द्वारा हमारे कांग्रेस के बड़े नेता को दिया गया, इसलिए दिया गया कि खादी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कार्यवाही करें। उसमें से ३३ हजार खर्च कर दिये, पर सात हजार का हिसाब नहीं। आज से नहीं, आज से सात साल पहले से सात हजार का हिसाब नहीं है। उन सज्जन का नाम बताना तो अच्छा नहीं होगा, पर सदन उनका नाम जानना चाहे तो बता सकता हूं और मंत्री महोदय जानना चाहें तो उन्हें बाहर बता सकता हूं, पर उनके नाम का उल्लेख इस सदन में एक बार मैं कर चुका हूं। तो प्रश्न यह आता है कि ऐसी स्थिति से खादी की ऐसी समस्या बनी हुई है, इसका किस प्रकार हल किया जाय ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर होने के नाते, राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री होने के नाते ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, ऐसा उदाहरण जनता के सामने पेश करें कि प्रत्येक व्यक्ति जो खादी पहने, वह पवित्र हो, उसकी सात्विक भावना हो, जनता का हित चाहने वाला हो। यदि इस प्रकार की भावना नहीं उत्पन्न हुई तो खादी के लिए तो निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा लेकिन खादी के द्वारा जो छोटी इन्डस्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इनके द्वारा लोगों को धन्धा देना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, उस कॉटेज इन्डस्ट्री में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खादी के सम्बन्ध में इस प्रकार की जो गलत धारणायें हैं, उन गलत धारणाओं को दूर करने के बारे में मुख्य मंत्री जी विशेष तौर से कोशिश करें।

एक प्रश्न छोटा सा और आता है, उसे मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। वह प्रश्न आता है मजदूरों का। मजदूरों के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि हम उनके बारे में, उनके सुधार के बारे में कुछ योजनायें बनाते हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणित करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी इस बात को जानते होंगे कि राजस्थान में किशनगढ़ मील के बन्द होने के कारण वहां के मजदूरों की कितनी रकम बकाया पड़ी हुई है।

मजदूर व क्लर्कों की अपनी पहली बकाया है, जो पिछले कई सालों से है, वह बकाया रकम वहां के पूंजीपति मजदूरों को नहीं देते। राज्य सरकार से उन्होंने कर्जा भी लिया है, जिस कर्ज के लिए इस विधान सभा में विरोध किया गया था, तब इन्डस्ट्री मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि जिन मजदूरों का बकाया है, उसका उस रकम में से भुगतान किया जायेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी बकाया रकम का भुगतान नहीं हुआ है और उनकी बकाया रकम उसी तरह पड़ी हुई है। लोग मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट चीज है कि मजदूरों और क्लर्कों को तनख्वाह चुकाई जाय, लेकिन राजस्थान सरकार मौन पड़ी है। मजदूरों को आठ महीने की तनख्वाह न मिले, लेकिन गजेटेड ऑफिसर को और मंत्रियों को एक तारीख को तनख्वाह न मिले तो राजस्थान में हाहाकार मचा देंगे। वे अपने अहलकारों से कहेंगे कि तनख्वाह समय पर

(श्री भैरोंसिंह)

क्यों नही मंगाई । मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार खर्चा उन पर आता है एक तारीख को और जिस प्रकार वे पहली तारीख को तनख्वाह की ओर आकृष्ट निगाहों से देखते हैं, उसी प्रकार किशनगढ़ मील के मजदूर बड़ी आशा से राजस्थान सरकार की ओर देखते हैं, परन्तु राजस्थान सरकार उनकी बकाया रकम को चुकाने में असमर्थ हो रही है।

इसी प्रकार पचपद्रा के मजदूर हैं, वे करीब २, ३ हजार हैं। उनके सम्बन्ध में हमारे सामने कई बातें आती हैं, उन्हें तनख्वाह समय पर नहीं मिलती हैं, यह शिकायत है। इसके अलावा उन्हें क्वार्टर की फेसेलिटी, मेडीकल फेसिलिटी और अन्य फेसेलिटीज़ नहीं मिलती हैं। इन फेसिलिटीज़ को देने से कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनको पानी तक नहीं मिलता। पचपद्रा के मजदूरों को पीने तथा नहाने के लिए जो पानी का रशन कार्ड मिलता है, उसकी एक कापी मेरे पास है। उस राशन कार्ड में नीचे लिखा है, दो घड़े। उन दो घड़ों में से मजदूर सारे दिन परिश्रम करके स्नान तक नहीं कर सकते। इन दो घड़ों में से भी आगे जाकर कुछ कमी कर दी है।

उसमें से भी आधा घटा दिया है, तीन से दो हुए और आधा और घटा दिया और डेढ़ ही रख दिया और वह भी एक गेलन का एक घडा, अपने यहां जैसे घडे हैं वैसे घडे हों तो कोई बात नहीं,पर एक गेलन का ही घडा। एक मजदूर को डेढ़ गेलन पानी सारे दिन के लिये दिया जाय, डेढ़ गेलन में कोई भी दिन भर में कैसा काम कर सकता है। हो सकता है कि पानी की कमी की वजह से ऐसा किया गया हो, पर ऐसी बात नहीं है, जो अधिकारी हैं उनके पानी में एक बूंद भी कमी नहीं की गई है, केवल मजदूरों का डेढ़ गेलन कम कर दिया है। पलाना के मजदूर राजस्थान सरकार के सामने अपनी मांगें ले कर आते हैं और उन मांगों की पूर्ति के लिये प्रार्थना करते हैं, राजस्थान के किसी भाग से मजदूर अपनी मांगें राजस्थान सरकार के पास लेकर आते हैं तो कहते हैं कि ये लोग साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनकी मांगों को ठुकराया जाता है। उनकी मांगों को, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी वास्तविक मांगों को राजनैतिक आधार पर ठुकराया जाता है, यह उचित नहीं है। मानवता के नाते और प्रशासनिक उच्च व्यक्ति होने के नाते मुख्य मन्त्री उनकी मांगों को स्वीकार करें तो उचित होगा।

अब मैं ब्लॉक डेवलपमेंट के बारे में थोडा सा कहूंगा, मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी से वह प्रश्न सम्बन्धित है इसे कह कर ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा, सदन का विशेष समय नहीं लूंगा।

ब्लॉक डेवलपमेंट किस आधार पर खोले जायं, इस बात की चर्चा करते हुए सदन में मन्त्रीगण कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिश होनी चाहिये और आबपाशी के जरिये सबसे ज्यादा होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने राजस्थान विधान सभा में कई प्रश्न पूछे हैं, पिछली बार डेवलपमेंट कमेटी ने, बदकिस्मती से कहिये, श्री माधोपुर के लिये सिफारिश करदी कि श्री माधोपुर में डेवलपमेंट ब्लॉक खोला जाय। मन्त्री महोदय मना कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी ने सिफारिश की, राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी गई और मुझे भी कुछ पता लगा कि श्री माधोपुर में ब्लॉक खोला जा रहा है, तो मैं वहां गया और लोगों को कहा कि आपके यहां अब की बार डेवलपमेन्ट

(श्री भैरोंसिंह)

ब्लॉक खुल रहा है तो लोग खुश हुए। मैं वहां से जीत कर आया था और ब्लॉक खुलवा रहा हूं इस वजह से लोग खुश हुए पर जिस समय आॅर्डर निकला श्री-माधोपुर में ब्लॉक नहीं खोला गया, दूसरी किसी जगह खोला गया, मैं वहां नहीं गया। श्री माधोपुर में सिंचाई के आंकड़े ज्यादा हैं, रेवेन्यु मिनिस्टर साहब गवाही दें, टौंक और श्री-माधोपुर के सिंचाई के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि श्री माधोपुर के सिंचाई के आंकड़े ज्यादा हैं। तीन कलेक्टर्स ने समय समय पर श्री माधोपुर में डेवेलपमेंट ब्लॉक खोलने के लिये सिफारिश की है। सबसे पहले सुरेन्द्रसिंहजी श्री माधोपुर में ब्लॉक खोलने के लिये सिफारिश की, इसके बाद श्री रामेश्वरप्रसाद भार्गव ने सिफारिश की और तीसरी बार इन कलेक्टर साहब ने जो आज मौजूद हैं, लिखा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी को सिफारिश की जाय कि श्री माधोपुर में ब्लॉक खोला जाय; पर वहां नहीं खोला गया।

पिछली बार मैं दांता-रामगढ़ कोन्स्टीट्यु-एन्सी से सदस्य था तो वहां ब्लॉक नहीं खोला गया, अब श्री माधोपुर से हूं तो वहां नहीं खोला जाता, यह क्या अजीब तमाशा है, या तो मैं विधान सभा से त्याग पत्र दे दूं या इस प्रकार से ऐसे कार्य करूं जिनसे हमारे मन्त्री-गण खुश हों, ताके श्री माधोपुर में ब्लॉक खोला जाय। न्याय तो यह कहता है कि हमने जो आधार ब्लॉक्स खोलने के लिये निश्चित कर दिया है उसके अनुसार जहां भी ब्लॉक्स खुलते हैं तो खोले जायं। पर जो मेरा क्षेत्र है वहां ब्लॉक नहीं खोला जाता और कांग्रेस के एम० एल० ए० है वे अपने क्षेत्र में दौरा करने जाते हैं तो उनके लिये सरकार की ओर से इन्तजाम किया जाता है तो इससे मेरे मन में भी खयाल पैदा होता है।

रावतरामजी ने एक चिट्ठी चूरू तहसील-दार को लिख कर भेजी कि वे वहा दौरा करने आ रहे हैं; वह चिट्ठी मैं सुनाकर क्या करूं, आप उसे पढ सकते हैं। उस चिट्ठी को पढ़ कर चूरू तहसीलदार ने, जैसे कि कोई बड़े मिनिस्टर आ रहे हों, एक सर्कुलर निकाला। वह सर्कुलर छोटा ही है मैं पढ़ कर सुना देता हूं। "विषय टूर प्रोग्राम श्री रावतराम जी एम० एल० ए०।

आपको हुक्म दिया जाता है कि निम्न-लिखित गांवों में १७-१-५८ को आपके गांवों में दौरा करेंगे।

दिनांक ८-१-५८

तहसील की मोहर है, तहसीलदार के दस्तखत है और जिन जिन गांवों में सूचना गई है वहां के सम्बन्धित लोगों के दस्तखत हैं।

रावतरामजी पधार रहे हैं, तैयार हो जाओ.

अब उपाध्यक्ष महोदय, रावतरामजी की तुलना मेरे से करता हूं तो स्वाभाविक है कि खेद होगा कि मेरे क्षेत्र में तो ब्लॉक नहीं खोला जाता और दूसरे एम० एल० ए० दौरा करते हैं तो इन्तजाम होता है। इसलिये मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां पर भी ब्लॉक खोलने का इन्तजाम करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में जो मैंने अप्रिय बातें कहीं वे इसलिये नहीं कहीं कि किसी के दिल को चोट पहुंचाऊं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिये कहीं हैं, मुझे यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि मैं यहां ऐसी सूचनाएं दूं जनता द्वारा सौंपे हुए उस कर्त्तव्य को निबाहने के लिये ही मैंने यह बातें कही हैं, सदन के माननीय कुछ सदस्यों को वे अप्रिय लगें, पर मैं मानवता के नाते उनसे

(श्री भैरोंसिंह)

क्षमा चाहूंगा, राजस्थान के हित में, जो उनकी आदतें पड़ी हुई हैं, उनमें वे सुधार करें।

(करतल–ध्वनि)

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। इसके बाद अब राज्यपाल महोदय के उस भाषण में जो कुछ बातें हैं, उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं। राज्यपाल महोदय का भाषण है वह एक खास अहमियत रखता है, विशेष महत्व रखता है और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में इस भाषण का एक विशेष सिग्नीफिकेन्स है। राज्यपाल महोदय के भाषण से हमारी सरकार का एक नक्शा जनता के सामने और सदन के सामने हम पेश करते हैं, हम यह नक्शा पेश करते हैं कि हमने पिछले साल सरकार के जरिये क्या किया और आगे आने वाले साल में हम क्या करने वाले हैं, राज्यपाल महोदय के भाषण में इसकी रूप–रेखा होती है। वह एक नक्शा है, उसको हम पेश करते हैं इसलिए सभी जगह जहां पर भी विधान सभाएं हैं वहां राज्यपाल महोदय के भाषण की लोग इन्तजार करते हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि सरकार ने आज तक पिछले साल में क्या क्या काम किये हैं और आगे के लिए क्या करने जा रही है।

इस लिहाज से जो हम राज्यपाल महोदय के भाषण का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि वह भाषण निराशाजनक है, वेग है, उसमें कांकरीट बातें नहीं है, जो कांकरीट बातें हैं, वह मैं समझता हूँ, पूरी नहीं हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने शुरू के भाषण में कहा है और मैं सहमत हूं कि हम उनके साथ चल कर कामयाब हों, इस पर नजर डालते हैं और आगे क्या करना है, वह इस भाषण में दिया है। अगर जनता के किसी लेमेन को कहा जाय कि इस भाषण में बातें रखी हैं, उनसे कामयाबी का क्या नक्शा पेश होता है, तो इसका जवाब संतोषजनक नहीं होगा।

हम भी जब भाषण को देखते हैं तो हम भी एक ले मेन की दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करते हैं और अपने ढंग से भी उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब दोनों तरह से इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि यह भाषण निराशाजनक है और वेग है। वेग शब्द ज्यादा उपयुक्त लगता है। जो कॉन्क्रीट बात देनी चाहिए थी वह इसमें नहीं है।

एचीवमैन्ट्स का जहां तक सवाल है, एचीवमेन्ट्स की बात इस ढंग से रखी गई हैकि, वाकई अचीव किया हो, लेकिन कुछ नहीं किया गया। एक साल पहले जहां थे, वहीं रह गये या बीच में कुछ एचीव किया है। भाषण में एक भी ऐसा सेन्टेस नहीं मिलता कि जिससे मालूम हो सके कि वाकई हमने एचीव किया है। एचीवमेन्ट्स में यह बता दिया गया कि दो-तीन कॉलेज खोल दी गईं और ३०० प्राइमरी स्कूलें खोल दी हैं। इसका जो लोजिक है वह ठीक नहीं लगता है। इसका दोष मैं राज्यपाल महोदय का नहीं देखता हूं किन्तु जो इस भाषण का ड्राफ्टिंग हुआ है वह गलत हुआ है। इतनी डिस्पेन्सरियां खोल देंगे, ५० होस्पिटल्स खोल देंगे, इससे निर्माण हो जावेगा, यह केवल रिन्डरपेस्ट है, स्कूल खोल देने से या एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर खोल देने से क्या एग्रीकल्चर में प्रगति हो गई, किन्तु मैं कहूंगा कि केवल रिसर्च सेन्टर खोल देने से ही प्रगति नहीं होती है, लेकिन रिसर्च सेन्टर में जो एक्स्पेरीमेन्ट होकर उसका जो प्रैक्टिकल उपयोग करते हैं तो तरक्की होती है, इस दृष्टि से इसको हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें लोजिक भी कुछ गलत

(श्री पी० के० चौधरी)

है। इस भाषण में यह कहा गया है कि एडीशनल फूड प्रोडक्शन १,०४ हजार टन का हमने किया है। हमारा जो फाइव इयर प्लान का टारजेट था लगभग ७ लाख टन ज्यादा हमको एडीशनल फूड प्रोड्यूस करना था। पहले साल ४१ हजार टन किया, इस साल बताया गया कि १,०४ हजार टन एडीशनल प्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ इस अभिभाषण में यह भी बताया गया है कि हमारे यहां २५ प्रतिशत एरिया अभावग्रस्त है और उन १६ डिस्टिक्ट्स में ४२ लाख आदमी हैं। इस प्रकार २५ पर्सेंट आबादी है वह अभाव ग्रस्त है और जैसा कि मेरे पूर्व विरोधी दल के माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत से पटवारियों की वजह से अकालग्रस्त एरिया नहीं गिना है। सही माने में अकाल का हिसाब लगायें कि अमुक क्षेत्र में अकाल हुआ है और जो ये फिगर्स इकट्ठे करते हैं, जैसा कि फिगर्स इसमें नहीं दिया गया है तो २५ पर्सेंट जो बताया गया है मैं समझता हूं कि इससे अधिक होगा और ३०.३५ पर्सेंट राजस्थान की आबादी पर असर हुआ मिलेगा। साथ ही साथ अनाज की कमी बताते हैं, अकाल बताते हैं, दूसरी तरफ बताते हैं कि १,०४ हजार टन एडीशनल होगा, ज्यादा अनाज प्रोड्यूस किया है और मेरा ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा है कि सरकारी अधिकारी या स्वयम् मुख्य मंत्री जी ने कहा, राजस्थान सरकार अनाज एक्सपोर्ट भी करती है, इसलिए यह लोजिक समझ में नहीं आता है कि एक तरफ देखते हैं कि राजस्थान के एक तिहाई हिस्से में अकाल है और साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि हर साल से एक लाख ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया। मुख्य मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया है कि बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, यह मेल एडमिनिस्ट्रेशन है या तो ये बातें बतायी गई हैं वे गलत हैं। तीनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती हैं। पिछली दफा गवर्नर के एड्रेस के वक्त मैंने अर्ज किया था कि राजस्थान से एक्सपोर्ट हो रहा हो, हारवेस्टिंग के समय एक्सपोर्ट हो रहा है तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जांच करके बताया था कि अनाज एक्सपोर्ट हो रहा है, हम लाचार हैं क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रखने देती है। उस समय यह भी मैंने सदन में कहा था कि इस तरह से अनाज का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं है और उससे जो बिजनेस कम्युनिटी है जिनको एक्सपोर्ट करने में फायदा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए है। इस भाषण में जो बातें हैं उनसे कॉन्टाडिक्टरी हैं, यह एक गलत लोजिक है ऐसा नजर आता है।

उसके बाद दो चार पोइन्टस हैं उनको लेना चाहूंगा। एक तो मैं करप्शन के बारे में कहना चाहूंगा। पिछली दफा जब करप्शन का सवाल आया तो राज्यपाल ने और मुख्य मंत्रीजी ने काफी जोर दिया था और सदन में हमने भी काफी जोर दिया था। लेकिन एक साल में क्या किया गया यह हमें इसमें नहीं बताया है। पिछले सेशन में बता दिया था कि बोम्बावाला साहब आवेगा। अब यह बताया गया है कि एन्टीकरप्शन बोर्ड को रिओर्गेनाइज किया है। हकीकत में क्या हुआ है कि एन्टीकरप्शन बोर्ड को खत्म कर दिया। पहले मेन्डेटरी था तो अब उसको एडवाइजरी बना दिया गया है। एन्टीकरप्शन बोर्ड में चीफ मिनिस्टर खुद जाते हैं। हो सकता है कि एन्टीकरप्शन बोर्ड ज्यादा चलेगा और अथोरिटी से काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ उसको एक एडवाइज़री बना दिया गया है।

(श्री पी० के० चौधरी)

जब एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं, उसका चेयरमेन चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं तो दोनों बातें मेरे गले नहीं उतरती हैं। पहले था वैसा बन जावेगा और उसको रिश्रोर्गेनाइज़ करके तो प्योरली एडवाइज़री बना दिया गया है और विशेष प्रयत्न यह किया गया है कि करप्शन को रोकने के लिए, तो यह गलत है। इसको रिश्रोर्गेनाइज़ करने से जनता में चहल पहल तो मची, तारीफ भी हुई, लेकिन तारीफ तो असल में तब हो सकती है जब कोई ठोस कदम उठाये, जो करप्ट आदमी हैं उनको सजा मिले, तब तो तारीफ है। जब तक ऐसा नहीं होता है कैसे ही ओर्गेनाइज़ करिये, मान नहीं सकते। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एन्टी-करप्शन बोर्ड बनाया, रिश्रोर्गेनाइज़ किया, लेकिन बोम्बावाला साहब ने क्या क्या सिफारिशें की हैं वे हमारे सामने आनी चाहिये। इन्क्वायरी कमिश्नर है उन्होंने क्या २ इन्क्वायरी की हैं वह भी हमारे सामने आनी चाहिए। इन्क्वायरी कमिश्नर है उसने डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स के विषय में इन्क्वायरी की है, उसने डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स पर इल्जाम लगाया है ऐसा मुझे पता चला है, यदि यह गलत है तो चीफ मिनिस्टर उस इन्क्वायरी रिपोर्ट को पेश कर दें। सही हो तो उस पर एक्शन लिया जाय। डाइरेक्टर को उसने रिपोर्ट में रेस्पोन्सिबल बताया है आप उस पर कोई कार्यवाही करिये। चाहे आप उस बोर्ड को रिश्रोर्गेनाइज़ करिये, रिकॉन्स्टिट्युट करिये। एन्टी-करप्शन बोर्ड का स्पेशल एन्टीकरप्शन बोर्ड कर दीजिये, कितने ही बना दीजिये, लेकिन उससे जनता को न तो संतोष होगा और न हमको संतोष होगा; न ही काम होगा। इस को राज्यपाल महोदय के भाषण में रखने की आवश्यकता नहीं थी जिसका दूसरा असर हमारे ऊपर होवे।

दूसरी बात जो माइनर और मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में कही गई और संतोष प्रकट किया गया कि तरक्की की है। कोटा बेराज के बारे में कहा गया कि निश्चित समय में काम सम्पन्न हो जावेगा। लेकिन मैं चैलेन्ज के साथ पूछना चाहता हूं कि निश्चित समय में कोटा बेराज का काम पूरा नहीं हो सकता। मैंने कोटा बेराज के बारे में सदन में सवाल किये थे, इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन भी हुआ था, पूरी तरह इस पर जवाब नहीं दिया गया था, फ्रेन्च इन्जीनियर की रिपोर्ट पेश करने से भी इन्कार कर दिया गया। अतः मेरी जानकारी है वह सही है कि कोटा बेराज का काम टारगेट डेट में पूरा नहीं होगा और न हो सकता है।

तो मैं समझता हूं कि यह जो बात यहां लिखी गई है या कही गई है कि यह समय पर सम्पन्न हो जायगा यह चीज ठीक नहीं है और इसकी मुझे पूरी तौर से जानकारी है कि यह समय पर कभी भी, चेलेन्ज के साथ, सम्पन्न नहीं हो सकती। इतना ही नहीं मैं साथ ही साथ दूसरी बात यहां कहना चाहता हूं कि कोटा बेराज के हाफ एन आवर डिस्कशन के समय यह कहा था कि फ्रेंच इन्जिनीयर की रिपोर्ट में जो बात कही गई है वह कोई महत्व नहीं रखती और वह तो एक चलते हुए आदमी का सुझाव है और फिर बाद में उसी फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट को डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स १८ जनवरी के ब्लिट्ज़ में निकलवाते हैं और उसमें कहा जाता है कि फ्रेंच इन्जीनियर ने जो बात कही है वह कोई खराब बात नहीं कही है। मैं तो कहूंगा कि यह हाउस के प्रिविलेज का सवाल है कि मिनिस्टर साहब हाउस में तो कहते हैं

(श्री पी० के० चौधरी)

कि फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं है और वह तो चलते हुए आदमी का एक सुझाव है। यह तो माननीय मिनिस्टर साहब सदन में कहते हैं और उसके दो महीने बाद डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की तरफ से १८ जनवरी को 'ब्लिट्ज़' में पब्लिश होता है कि फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट में कोई खराब बात नहीं है। वहां फ्रेंच इन्जीनियर की दुहाई देते हैं कि उसने जो कहा वह ठीक कहा है। तो मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो यह कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कही जाती है यह ठीक नहीं है। या तो माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में यह कहें कि फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट को हम मानते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं कही गई है या फिर यह कहें कि फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं है और एक चलते हुए आदमी का सुझाव है। लेकिन कभी तो उसकी दुहाई देते हैं और कभी कहते हैं कि वह एक चलते हुए आदमी का सुझाव है। जब सवाल पूछा जाता हैं तो इन्कार करते हैं और फिर हाफ एन आवर के डिसकशन के समय यह कहते हैं कि वह तो एक सुझाव है और फिर दो महीने बाद स्टेटमेन्ट निकालते हैं कि फ्रेंच इन्जीनियर ने जो बताया वह सही है। मैं तो कहता हूं कि यह तो हाउस के प्रिविलेज का भी क्वेश्चन है। जब सरकार की तरफ से ऐसी कॉन्ट्रॉडिक्टरी बातें होती हैं तो फिर हम किसका कहना मानें ? मिनिस्टर साहब कहें उसको सही मानें या फिर डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स कहें उसको सही मानें ? यह सचमुच समझ में नहीं आता। ऐसे कॉन्ट्रॉडिक्टरी स्टेटमेन्ट से तो फिर यही नतीजा निकलता है कि हम जो पब्लिक के सामने बातें कहते हैं उनका वह विश्वास नहीं करती है। मिनिस्टर साहब तो मौका देखकर बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात माइनर इर्रिगेशन के बारे में कही गई है कि पिछली साल काफी तरक्की हुई है। मेरी इसमें जहां तक जानकारी है उससे मैं बता सकता हूं कि इसमें बहुत कम तरक्की हुई है। पिछली साल अखबारों में हमने यही पढ़ा कि भीमरा, उड़ा डैम बह गया और वह तो दो तीन दफा बह गया। बड़ा डैम थर्ड टाइम टूट गया और उदयपुर में कम से कम एक डज़न जो माईनर इर्रीगेशन हैं वह टूट गये। इसके सिवाय जिनको हम एम्बेकमेन्ट्स कहते हैं, रिज़र्वायर कहते हैं और जहां बरसात का पानी रोक कर बांध बना कर रखते हैं उसके सात तालाब टूटे, उससे कॉफी पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है। फिर कहते हैं कि काफी तरक्की हमारी हुई है और नुकसान कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। जो बात सही है उसको स्वीकार करना चाहिए और जो बात सही नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय के भाषण में सारी बातें आनी चाहिए। सारी बातें उसमें रखने से तो हमारे दिमागों पर अच्छा असर पड़ता है और न जनता के दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है।

इसके बाद में कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि इसमें काफी तरक्की हुई है। इसके बारे में मैं खास कुछ राय रखता हूं और मैं समझता हूं कि कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्टस जो हैं वे फेल्योर रहे हैं और इस बात को पण्डित नेहरू को भी पार्लियामेन्ट में एक सवाल के उत्तर में कुबुल करना पड़ा है कि कॉम्युनिटी

(श्री पी० के० चौधरी)

डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम ठीक नहीं चला है। उन्होंने अपने जवाब में ही कहा है कि कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट इज़ सक्सीडिंग इन पार्ट्स। उसके बाद में जब हम कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के बारे में इवेल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो यही मालूम होता है कि यह कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट है वह बिलकुल सक्सेसफुल नहीं हुआ है, यानी आल इन्डिया के अन्दर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो इवेलुएशन कमेटी की रिपोर्ट है उससे साफ जाहिर होता है कि कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट का काम बिलकुल सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसमें कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। इवेलुएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में १० आइटम्स दिये हैं, उसके तीन के लिए लिखा है कि "Certain items are Comparatively Successful" और फिर तीन के लिए है कि "Certain items are particularly successful" और दो के लिए यह बताया कि "Not particularly successful" और एक के लिए यह बताया कि "Not equally successful" और एक के लिए है कि "Not Comparatively successful" लेकिन उनके इस तरह के कन्क्लुज़न के बाद यह जाहिर हो गया कि कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट बिलकुल सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और इसमें जितना पैसा खर्च हुआ उसका प्रोपर रिटर्न हमें नहीं मिला है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह कहता हूं कि कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट से हम लोगों को फायदा नहीं हुआ है। इससे लोगों को जरूर फायदा पहुंचा है लेकिन प्रोपोर्शनेटली जितना पैसा खर्च किया है और जितना परिश्रम किया है और जितना शोरगुल मचाया है उसके हिसाब से हमारी इस दिशा में सक्सेस ३० पर्सेन्ट है और ७० पर्सेन्ट वेस्टेज है। ये जो १० आइटम्स हैं इनमें से हम तीन पर सक्सेस मानते है और सात को अनसक्सेसफुल मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के अन्दर काम कम हुआ है। खैर, अब तक तो इसका खास फायदा हम लोगों को नहीं मिला है। इससे फायदा तो अब होगा। लेकिन वाकइ में डेवलपमेन्ट कम हुआ है। सबसे पहली साल तो इसमें रुपया काफी कम खर्च किया था लेकिन इस साल जितना पैसा बाकी रह गया था वह सब खत्म कर रहे हैं। इसमें पहली साल तो पैसा खर्च नहीं किया, दूसरी साल कुछ किया और बाकी जो इस साल बचा वह इस साल सारा खत्म कर दिया। अब यह रुपया सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं, यह तो जिन ब्लॉक्स में वर्क्स हुए है उन ब्लॉक्स में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। इसमें १२ लाख रु० लगा और इसमें से जो फायदा मिला होगा वह ज्यादा से ज्यादा तीन-चार लाख रुपये का मिला होगा, बाकी सब वेस्ट गया। हमारा काम्युनिटी डेवलपमेंट का जो आइडिया था वह यह नहीं था कि हम सिर्फ वहां पर पैसा दें। कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का जो काम है वह कन्सट्रक्शन वर्क है। कुछ सड़कें बनालीं, लेकिन वे ऐसी सड़कें बनाई कि जो बरसात आते ही बह जाती हैं। लेकिन दरअसल में जो कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का आइडिया था उसका मतलब यह नहीं था कि हम लोन देंगे या सड़कें बना देंगे, लेकिन हम चाहते थे कि लोगों का जो एटीट्यूड है उसमें सुधार हो और लोग स्वावलम्बी बनें। कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का मोटो था कि हम लोगों में सेल्फ रिलायेन्स पैदा करें। तो लोगों में सेल्फ रिलायेन्स पैदा हुआ या नहीं इसको हम इससे नहीं देख सकते कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। आज लोगों में सेल्फ रिलायेन्स

(श्री पी० के० चौधरी)

लाना है, उस दिशा में हमने क्या प्रगति की है, मैं आपको कह सकता हूं इस दिशा में हमारी प्रगति जारी है। आज हम यह देखते है कि ब्लॉक डेवलपमेन्ट के लिये जो पैसा दिया वह भी जबरदस्ती दिया गया, मकान बनाने के लिये जबरदस्ती ही दिया गया। जिस पैसे से मकान भी पूरा नहीं हुआ, दो हजार रुपये सरकार की तरफ से मिले, दो हजार रुपये घर के लगा देने पर भी मकान पूरे नहीं हो सके। जहां तक हरिजन कोलोनी का सवाल है, दो हजार रुपया उनको लोन दिया गया, दो हजार घर के भी उन्होंने लगा दिये, इस चार हजार पर भी मकान नहीं बन पाया, क्योंकि मकान तो नक्शे के माफिक बनने चाहिये और जो सरकार ने स्पेसिफिकेशन मन्जूर किया वह छः हजार से कम में हरगिज नहीं बनता।

ब्लॉक डेवलपमेन्ट का जो खास मकसद था कि जनता में खुद काम करने की प्रवृत्ति जाग्रत करना, गांव वालों के अन्दर सेल्फ रिलायेन्स की भावना पैदा करना, ताकि आगे भी गाड़ी चलती रहे, ऐसी कोई चीज आज नजर नहीं आ रही है। जहां तक मकान बनाने के लिये लोन देने का मकसद था उसके लिये ब्लॉक डेवलपमेन्ट के ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं थी, उसको तो किसी एस० डी० ओ० के अन्तर्गत दे दिया जाता, वह उसी लेवल पर चलता। मैं समझता हूं कि इसके लिये जो अलग ओर्गेनाइजेशन बनाया गया वह गलत था, इसका सिर्फ यह काम था लोन देने का। यह तो एस० डी० ओ० भी लोन देने का काम कर सकता था।

फन्डामेन्टल कॉज़ जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट था, कॉम्युनिटी ब्लॉक्स का था, वह था सेल्फ रिलायेन्स की भावना पैदा हो, जहां तक इस भावना का सम्बन्ध है कुछ भी काम नहीं हुआ।

इसके अलावा दूसरी बात यह भी देखनी है कि इससे फायदा किसको पहुंचा ? जहां तक फायदा पहुंचने का सवाल है ज्यादा फायदा जहाँ इनके हैडक्वार्टर हैं वहां की जनता को मिला है या विलेज लेवल वर्कर्स जहां रहते हैं उनको ज्यादा पहुँचा है। जिस गांव में कभी विलेज वर्कर गया नहीं, वहाँ किसी प्रकार का भी फायदा नहीं हुआ। जिनको फायदा हुआ है वहां भी डिफरेन्स है, फायदा काश्तकारों को पहुंचा है, गैर-काश्तकार जो भी उस एरिया में रहते हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार कलटीवेटर्स में भी डिफरेन्सियेशन है उसमें भी फायदा जिनको पहुंचा है जिनके पास जमीन ज्यादा है या फाइनेन्सियल रिसोर्सेज़ जिनके पास ज्यादा हैं, उनको ही फायदा पहुंचा है, जिसके पास पैसा नहीं उनको किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचा, यह मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं, आप इस बारे में जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट द्वारा एक प्रकार से हार्ड बर्निंग हुआ। इस बारे में एक अप्रिय बात है उसे भी मैं कहे बिना नहीं रह सकता, सरपंच जो हैं वे भी गांव के लोग नहीं हैं, दूसरे ही लोग होते हैं, गांव के गरीब तबके से वे नहीं आते हैं, They are not the true representatives of the villages. सरपंच लोग जो भी आये हैं वे मालदार लोग माने जाते हैं उन्होंने ही इसका फायदा उठाया है। जिस गांवके किसान को हम फायदा पहुँचाना चाहते हैं वह पहुंच नहीं पाया है। मेरा ऐसा मानना है कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के जरिये लोगों में स्पिलिट ड़ाल रहे हैं, आप एक क्लास से दूसरे क्लास में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका रिओर्गेनाइजेशन होना चाहिये।

(श्री पी० के० चौधरी)

हम इसके जरिये सेफ रिएलायेन्स पैदा नहीं कर पाये हैं इसका एक कारण यह भी था कि हमारे यहां जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे वे अनट्रेन्ड थे. उन्होंने तो यही ध्यान रखा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कन्स्ट्रक्शन वर्क में लगाया जाय, लेकिन असल मकसद हमारा यह था कि एक्सटेन्शन वर्क जो भी हो उसको को-आपरेटिव बेसिस पर कराना है। जहां तक एग्रीकलचर का सम्बन्ध है हमें एडवान्स्ड मेथड अपनाने चाहिये, केवल दो चार स्कूलों के भवन बना देने, पंचायत के मकान बना देने और मिनिस्टर साहब का दौरा हो गया और एस० के० डे साहब आ गये उनको बता दिया यह काम हुआ लेकिन इसे बुनियादी काम हम नहीं कह सकते । बुनियादी काम कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट ब्लॉक की तरफ से नहीं हो पाया है इसलिये मैं समझता हूं कि इन ब्लॉक्स को रिओर्गेनाइज़ करना चाहिये। इसके अलावा यह भी है कि इसमें जो रुपया हमें मिलता है उसका तीस प्रतिशत रुपया तनख्वाह में ही चला जाता है, इसलिये लोन आदि के लिये तो एक असिस्टेन्ट एस० डी० ओ० की नियुक्ति कर देनी चाहिये जो लोन आदि दे सके।

आज यह भी चाहिये कि किसानों को एडवान्स्ड एग्रीकलचरिस्ट के सिस्टम को सिखाना चाहिये । इसके लिये हमारे पास आदमी नहीं हैं अगर किसी को इसके लिये राय लेनी पड़ती है तो या तो उसको जयपुर आना पडता है या सांभर में जहां ब्लॉक का हैड क्वार्टर है वहां इस चीज के विशेषज्ञ रहते हैं उसके पास जाना पडता है। आप जगह-जगह ऐसे विशेषज्ञ रखिये जिससे किसानों को समय समय पर एडवाइज़ मिलती रहे, इसके लिये हमें यह करना चाहिये कि पांच मील की दूरी पर या दो मील की दूरी पर ऐसे सेन्टर्स रखे जांय जहां पर सोइल टेस्टिंग का इन्तजाम हो ताकि काश्तकारों को यह बता दिया जाय कि इस जमीन पर फलां-फलां बीज लग सकता है, इस जमीन पर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल जो खाद होता है वह सब जमीनों पर एक सा फायदा नहीं देती । जमीनों के नम्बरों में भी फर्क होता है, एक ही नम्बर की जमीन एक प्रकार के खाद से ठीक पैदावार देसकती है उसी प्रकार की जमीन उसी खाद से पैदावार नहीं दे सकती । पंडित जवाहरलालजी ने भी यह माना है और ऑल इन्डिया कॉंग्रेस कमेटी ने भी यह माना है कि हमें प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाना है। इस मामले में ए. आइ.सी. सी. ने प्रस्ताव भी पास किया है । हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हमारे ये डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स जनता में सेल्फ रिलायेन्स पैदा करने में असमर्थ रहे हैं, जिस ध्येय को लेकर हमने इनका निर्माण किया उसमें हम शत-प्रतिशत नाकामयाब रहे हैं । मेटीरियली हमने कुछ अचीव किया है, वे रास्ते, मकान और कूओं के सिवाय कुछ नहीं किया है, लेकिन जहां तक एडवान्स्ड एग्रीकलचर प्रोडक्शन के मोल्ड का सवाल है, नये-नये तरीके सीखने की बात है वहां पर हमारी सरकार फेल रही है इसका खास कारण यह रहा है, कि हमने विशेषज्ञ जिनको एडवान्स्ड एग्रीकलचर का नोलेज हो उनको अवेलेबल नहीं कर पाये । ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर हम देखते हैं या तो तहसीलदार को बना दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी को ज्यादातर रखा गया है या जो एग्रीकलचर के दो एक एक्सपर्ट भी अगर कहीं दिये गये हैं तो वे भी जोबनेर या उदयपुर कॉलेज से निकले हुए

Page No.105

(श्री पी० के० चौधरी)

छात्र जिनको प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स किसी प्रकार होता ही नहीं, केवल किताबी ज्ञान जिनको होता है, उनको बना दिया जाता है। मैं समझता हूं, हमारा इसमें फेल होने का यही कारण है, इसी वजह से हम कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट में काफी काम नहीं कर पाये। इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट के वर्क को रिआर्गेनाइज़ करना चाहिये अभी जो वर्तमान में है उसको एबोलिश करके नये सिरे से शुरू करना चाहिये। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरी यह निश्चित राय है कि हम धन का ज्यादा सदुपयोग कर पायेंगे, यह मेरी कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट के बारे में राय है।

श्री उपाध्यक्ष : We adjourn to meet tomorrow.

श्री पी० के० चौधरी : I hope, I will continue tommorrow.

श्री उपाध्यक्ष : I hope you have concluded. So we adjourn to meet tomorrow at 11 a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक १२ फरवरी, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

विकास–खण्ड

अम्बर परिश्रमालय एवं अम्बर चरखों से आय ।

तहसील हैड क्वार्टर दूनी का स्थानान्तरण ।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम ।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर ।

सन् १९५६ में भूतपूर्व अजमेर द्वारा समाज कल्याण योजना पर किया गया व्यय ।

पशु–गणना

जयपुर शहर में थड़ियों को हटाया जाना ।

जयपुर स्थित ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण ।

टिड्डियों द्वारा पहुंचाई गई हानि ।

हाईस्कूल, केकड़ी [अजमेर] ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले के लिए स्वीकृत छात्र–वृत्ति ।

बीघोड़ी की वसूली ।

कुटीर उद्योग विकास ।

पचवारा [रामगढ़] की जनता को परचे वितरण ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थायें ।

अध्यापक–प्राईमरी व मिडिल स्कूल जोधपुर डिवीजन ।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स ।

ग्राम नीमाज में हाईस्कूल का खोला जाना ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरदार हाई-स्कूल, कोटपुतली ।

गर्ल्स मिडिल स्कूल, कोटपुतली ।

लालसोट तहसील में बेसिक स्कूल का खोलना ।

गालड़ ग्राम [चूरू] स्थित कोठडी ।

हाईस्कूल लालसोट के भवन का ठेका ।

जमीन का लगान ।

सरकार द्वारा नियुक्त डाईरेक्टर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड ।

लम्बरदारों की नियुक्ति ।

गवर्नमेन्ट होस्टल, जयपुर ।

विलेज़ सर्वेन्ट्स की नियुक्ति ।

अकाल सहायता ।

राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा ।

सेवाओं का एकीकरण ।

अफीम के ठेकों का नीलाम ।

फर्स्टग्रेड नाकेदारन कस्टम विभाग ।

अस्थाई कर्मचारी बीमा विभाग ।

बाडमेर सरकारी अस्पताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री जगदीशप्रसाद माथुर के बाडमेर नगर हास्पिटल की दुर्व्यवस्था से संबंधित स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति माननीय अध्यक्ष द्वारा नहीं दी गई। इस संबंध में एक वक्तव्य सरकार की ओर से कल दिया जायगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियों का राजकीय दीर्घा में पूर्व वितरण सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की पूर्व उनके अभिभाषण की प्रतियां राजकीय दीर्घा में बैठे अधिकारियों के पास थीं उस संबंध में श्री श्रीभानसिंह तथा श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा दी गई विशेषाधिकार प्रश्न की सूचनाओं पर अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय कल तक के लिये स्थगित रखा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

१. सभा के सचिव ने सदन की मेज पर विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखा:—

राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Laws (Extension) Bill, 1957.

2. The Rajasthan Revenue Laws(Extension) Bill, 1957.

3. The Rajasthan General Clauses (Amendment) Bill, 1957.

4. The Rajasthan Jagir Land Resumption (Validating) Bill, 1957.

5. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amending and Extending Bill, 1957.

6. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Sixth Amendment) Bill, 1957.

7. The Rajasthan Jagirs Decisions and Proceedings(Validation) Amendment Bill, 1957.

8. The Rajasthan Jagirdars Debt Reduction (Amendment) Bill, 1957.

9. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill, 1957.

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Secondary Education Bill, 1957.

2. The Bombay Local Boards and Primary Education (Repealing) Bill, 1957

3. The Fraser Bridge Toll Tax Validation Bill, 1957.

4. The Rajasthan Statutory Rules and Orders (Extension) Bill, 1957.

5. The Rajasthan Civil ourts (Amendment) Bill, 1957.

स्कम्भ

6. The Rajasthan Sales of Motor Spirit :Taxation (Amendment) Bill, 1957.

7. The Marwar Jagirdars Encumbered Estates (Repeal) Bill, 1957.

8. The Rajasthan Sales Tax (Amending and Extending) Amendment Bill, 1957.

9. The Rajasthan Epidemic Diseases Bill, 1957.

10. The Rajasthan Excise (Amending and Extending) Bill, 1957.

11. The Rajasthan Review and Validation of Rent-Rates (Revival) Repeal Bill, 1957.

12. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1957.

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे :—

(क) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने का) (सातवां संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश संख्या १ सन् १९५८), इस अध्यादेश के प्रवर्तन के कारणों सहित ।

(ख) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश १९५८ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९५८) ।

(ग) राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) अध्यादेश, १९५८

स्कम्भ

(अध्यादेश संख्या ३ सन् १९५८) ।

सदन की मेज पर रखे गये लेखे तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने निम्नांकित लेखे तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे :—

(क) नियोजन लेखा १९५५-५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५७, भाग २ ।

(ख) वित्तलेखा १९५४-५५ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५५ ।

विधेयकों की पुरःस्थापना

निम्नलिखित विधेयक, जिन्हें नियम ९६ के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करने की आज्ञा दी जा चुकी थी, पुरःस्थापित किये गये :—

१. राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

२. मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७ ।

३. राजस्थान हके—मालिकाना समापन विधेयक, १९५८ ।

४. राजस्थात पेन्शन विधेयके, १९५८ ।

५. राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेन्टेशन) संशोधन विधेयक, १९५८ ।

६. राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १९५८ ।

७. मोटर विहिकल्स (बोम्बे अमेन्डमेन्ट्स) निरसन विधेयक, १९५८ ।

८. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८।

९. राजस्थान जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १९५८।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री भोलानाथ ने निम्नलिखित धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

'इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।'

श्री ज्वालाप्रसाद ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री मुरलीधर व्यास ने संशोधन प्रस्तुत किया कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जावें :—

'परन्तु खेद है कि दिनों दिन, बढ़ती जा रही बेकारी को रोकने के बारे में इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।'

उपरोक्त धन्यवाद के प्रस्ताव पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. राजा श्री मानसिंह।

२. श्री रघुबीरसिंह

३. श्री भैरोंसिंह (१४)।

श्री पी. के. चौधरी का भाषण जारी था कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक १२ फरवरी, १९५८ की कार्य सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में खोले गये विकास खण्डों की सूची

सामुदायिक विकास खण्ड

१. किशनगढ़वास
२. हिन्डौन
३. सुमेरपुर
४. डूंगरपुर
५. बारां
६. राजसमंद
७. रायसिंहनगर
८. डीग
९. डीडवाना
१०. अंता
११. आमेट
१२. वाली
१३. बस्सी
१४. जोबनेर
१५. सीमलवाड़ा

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

१. सागवाड़ा
२. लाडपुरा
३. महुवा
४. देसूरी
५. कुम्भलगढ़
६. बिलारा
७. गढ़ी
८. गिरवा
९. सांगानेर
१०. करौली
११. मालपुरा
१२. सिवाना
१३. टोडाभीम
१४. शाहबाद
१५. बसेरी
१६. सवाई-माधोपुर
१७. सांकड़ा
१८. श्रीकरनपुर
१९. गोविन्दगढ़
२०. आहोर
२१. पिंडवाड़ा
२२. जयपुर
२३. झालरापाटन
२४. नोखा
२५. चिड़ावा
२६. नीमकाथाना
२७. मांडलगढ़
२८. बेगुन
२९. बूंदी
३०. प्रतापगढ़
३१. कोटरा

अजमेर राज्य

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

१. पिंसागन
२. मसूदा

सामुदायिक विकास खण्ड

१. जवाजा
२. कैकड़ी

कुल संख्या (राजस्थान) — ४६
कुल संख्या (अजमेर) — ४

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोले गये विकास खण्डों की सूची

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

माह अप्रेल, १९५६

१. लाडनू
२. सरदारशहर
३. खामनोर
४. कपासिन

५. आसपुर
६. उदयपुरवाटी
७. तिजारा
८. टोंक
६. सांचोर
१०. बांदीकुई

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

माह अक्टूबर, १६५६

११. लछमनगढ़
१२. ओसियां
१३. शिव
१४. खारची
१५. हिन्डोली
१६. खानपुर
१७. बागीडोरा
१८. कुशलगढ़
१६. राजाखेड़ा
२०. हनुमानगढ़
२१. मांडल
२२. दारियावाद
२३. किशनगढ़
२४. गंगापुर
२५. आबू

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

माह मई, १६५७

२६. चित्तौड़
२७. शाहपुरा
२८. कुचामन
२६. मंडावर
३०. नदवई
३१. सूरतगढ़
३२. उदयपुर (हैडक्वाटर बड़गांव)
३३. फागी
३४. सूरजगढ़
३५. सोजत

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

माह अक्टूबर, १६५७

३६. रेलमग्रा
३७. अटरू
३८. डूंगरपुर वैस्ट (बीचीवाड़ा)
३६. भोपालगढ़
४०. नवलगढ़
४१. राश्मी
४२. जहाजपुर
४३. मकराना
४४. कोटकाशिम
४५. पदमपुर
४६. इटावा
४७. घाटोल
४८. रूपवास
४६. टोडारायसिंह
५०. दांतारामगढ़

अजमेर राज्य

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

माह अप्रेल, १६५६

१. श्रीनगर
२. भीनाय (माह अप्रेल, १६५७)

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिए)

LIST OF HIGHER SECONDARY SCHOOLS IN RAJASTHAN.

1956—57

		Place	District
	Raised from High Schools.		
1.	Government Higher Secondary School,	Gangapur	Jaipur
2.	„ „ „ „	Chittor	Udaipur
3.	„ „ „ „	Phalodi	Jodhpur
4.	„ „ „ „	Rajgarh	Bikaner
5.	„ „ „ „	Rajgarh	Alwar.
	Raised from Middle Schools.		
6.	Government Higher Secondary School,	Bijawar Chohan	Alwar
7.	„ „ „ „	Bankora.	Dungarpur.
8.	„ „ „ „	Suratgarh	Ganganagar
9.	„ „ „ „	Bichun	Jaipur
10.	„ „ „ „	Ajitgarh	Jaipur
11.	„ „ „ „	Gangapur	Bhilwara
12.	„ „ „ „	Jamuaramgarh	Jaipur
13.	„ „ „ „	Khandar	Swaimadhopur
14.	„ „ „ „	Kalu	Bikaner
15.	„ „ „ „	Amet	Udaipur
16.	„ „ „ „	Pindwara	Sirohi
17.	„ „ „ „	Chotikhatu	Nagaur
18.	„ „ „ „	Gorir	Jhunjhunu
19.	„ „ „ „	Roopnagar	Jaipur
20.	„ „ „ „	Nokha	Bikaner
21.	„ „ „ „	Lamba Harisingh	Tonk
22.	„ „ „ „	Jaitaran	Pali
23.	„ „ „ „	Bijainagar	Ganganagar
24.	„ „ „ „	Chipabarrod	Dungarpur
25.	„ „ „ „	Baran	Kotah
26.	„ „ „ „	Pratapgarh	Chittorgarh
27.	„ „ „ „	Daboke,	Udaipur

28, Government Higher Secondary School, Ajmer

29. Govt. Higher Secondary School, Pushkar

30. Jain Gurukul Higher Secondary School, Beawar

31. Govt. Narain Higher Secondary School, Bijainagar.

List of Higher Secondry Schools 1957- 58

1.	Government	Higher	Secondary	School	Gandhinagar	Jaipur.
2.	,,	,,	,,	,,	Bhaislana	Jaipur
3.	,,	,,	,,	,,	Manoharpur	Jaipur
4.	,,	,,	,,	,,	Khairthal	Alwar
5.	,,	,,	,,	,,	Itawa,	Kotah
6.	,,	,,	,,	,,	Luni	Jodhpur
7.	,,	,,	,,	,,	Mandar	Sirohi
8.	,,	,,	,,	,,	Relmagra	Udaipur
9.	,,	,,	,,	,,	Valabbhnagar	Udaipur
10.	,,	,,	,,	,,	Gogunda	Udaipur
11.	,,	,,	,,	,,	Asind	Bhilwara
12.	,,	,,	,,	,,	Mandawar	Sawaimadhopur
13.	,,	,,	,,	,,	Jolana	Banswara
14.	,,	,,	,,	,,	Muklawa	Ganganagar
15.	,,	,,	,,	,,	Purani Basti	Jaipur

16. Govt. Girls Higher Secondary School, Ghatgate, Jaipur
17. Lady Elgein Higher Secondary School Bikaner.
18. Government Girls' H. S. School Sardarpura Jodhpur
19. Govt. Higher Secondary School Rupwas Bharatpur
20. Govt. Higher Secondary School Bakani Jhalawar
21. Govt Higher Secondary School Degana Nagaur
22. Govt. Higher Secondary School Amarsar Jaipur
23. Govt. Higher Secondary School Chepoli Jhunjhunu
24. Govt Higher Secondary School Harsoli Alwar
25. Govt. Higher Secondary School Gajsinghpur Ganganagar

By conversion.

26 Sadul Public School (Higher Secondary) Bikaner
27. S. K. N. Higher Secondary School Jobner (Jaipur).

परिशिष्ट ३

(अ)

(कृपया प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING PROGRSS OF EXPENDITURE AND TARGETS ACHIEVED DURING 1956-57 IN RESPECT OF SCHEDULED CASTE SCHEME (AJMER DISTRICT).

S. No.	Name of Scheme	Amount sanctioned	Amount Spent	Targets achieved.
1.	EDUCATION.			
(a)	Award of Scholarships	18000	18000	402 Students
(b)	Aid for Boarding House	3000	—	Nil
	TOTAL	21000	18000	—
2.	COTTAGE INDUSTRY.			
(a)	Aid to Cottage Industry	12000	1700	1 Society
(b)	Technical Education	16600	15472	1 Centre
	TOTAL	28600	17172	
3.	AGRICULTURE.			
	Subsidy for sinking of wells.	2500	2500	10 Wells
4.	MEDICAL.			
	Reservation of T. B. Beds	5000	5775	4 Beds
5.	PROPAGANDA.			
	Propoganda & Publicity	5000	4975	-
6.	AID TO VOLL. AGENCIES.	5000	3000	4 Agencies
7.	MISCELLANEAOUS.			
(I)	Aid for sewing machines to widows.	3000	3000	12 Widows.
(II)	Administration	7150	4219	
	GRAND TOTAL	79250	58641	

परिशिष्ट

(ञ)

STATEMENT SHOWING PROGRESS OF EXPENDITURE & TARGETS ACHIEVED DURING 1956-57 IN RESPECT OF SCHEDULED TRIBES SCHEME (AJMER DISTRICT).

S. No.	Name of Scheme	Amount Sanctioned	Amount Spent	Targets achieved.
I.	EDUACTION.			
(a)	Award of Scholarship	10155	10155	396 Students
(b)	Aid for Books	2565	2500	384 Students
(c)	Aid for Boarding House	1540	1380	105 Students.
	TOTAL	14060	14035	
II.	COTTAGE INDUSTRY.			
(a)	Aid for Cottage Industries.	3625	2276	29 Trainees
(b)	Technical Education.	17490	17139	1 Centre
	TOTAL	21115	19415	
III.	AGRICULTURE.			
(a)	Subsidy-for Bullocks	12500	12500	50 Families
(b)	Sinking of Wells	10000	10000	20 Families
(c)	Subsidy for bullock-carts	8125	-	-
	TOTAL	30625	22500	
IV.	ANIMAL HUSBANDRY.			
	Subsidy for Pens Fowls	3500	72	1 Family
	Sheeps & rams	10000	-	-
	TOTAL	13500	72	
V.	HOUSING.	25000	25000	93 Families
VI.	COOP. DEVELOPMENT.	3000	-	-
VII.	PROPAGANDA.	5000	5000	-
VIII.	ADMINISTRATION.	10000	30851	-
IX.	MEDICAL & PUBLIC HEALTH.			
	Anti-Malaria aid special medicines	500	-	-
	TOTAL	123000	115123	

परिशिष्ट
(स)

STATEMENT SHOWING PROGRESS OF EXPENDITURE AND TARGETS ACHIEVED DURING 1956-57 IN RESPECT OF EX-CRIMINAL TRIBES SCHEME (AJMER DISTRICT).

S. No.	Name of Scheme	Amount Sanctioned	Amount Spent	Target achieved.
1.	EDUCATION.			
	Award of Scholarships	5000	4840	125 Students
	Opening of Nursery Schools.	6100	7583	5 Schools
	TOTAL	11100	12423	
2.	COTTAGE INDUSTRIES.			
	Aid to Cottage Industry	2000	1987	20 Trainees
	Technical Education	6690	6220	2 Centres.
	TOTAL	8690	8207	
3.	AGRICULTURE.			
	Subsidy for Bullocks	1500	1500	12 Grantees.
4.	ANIMAL HUSBANDRY.			
	Pens & Fowls	1000	976	8 Grantees.
	Sheep & Rams	1875	-	-
	TOTAL	2875	976	-
5.	AID TO VOL. AGENCIES	1000	-	-
6.	BETTER HOUSING.	10000	10000	20 Grantees
7.	Propoganda	1000	1000	
	Administration	2000	4336	
	GRAND TOTAL	38165	38441	

परिशिष्ट

(द)

STATEMENT SHOWING PROGRESS OF EXPENDITURE AND TARGETS ACHIEVED DURING 1956-57 IN RESPECT OF OTHER BACKWARD CLASSES SCHEME (AJMER DISTRICT).

S No.	Name of Scheme	Amount Sanctioned	Amount Spent	Targets achieved.
1.	EDUCATION.			
	Award of Scholarship	5000	4908	125 Students
2.	BETTER HOUSING.	23000	13400	92 Families
3.	PROPOGANDA.	1000	950	-
4.	COTTAGE INDUSTRIES.	3000	-	-
	TOTAL	32000	19258	-

परिशिष्ट
(द)

STATEMENT SHOWING PROGRESS OF EXPENDITURE AND TARGETS ACHIEVED DURING 1956-57 IN RESPECT OF OTHER BACKWARD CLASSES SCHEME (AJMER DISTRICT).

S No.	Name of Scheme	Amount Sanctioned	Amount Spent	Targets achieved.
1.	EDUCATION.			
	Award of Scholarship	5000	4908	125 Students
2.	BETTER HOUSING.	23000	13400	92 Families
3.	PROPOGANDA.	1000	950	-
4.	COTTAGE INDUSTRIES.	3000	-	-
	TOTAL	32000	19258	-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिये)

पशुगणना सन् १९५६ के अंक

	बैल	गाय	भैंसे (नर)	भैंस (मादा)	भेड़	बकरियां	घोड़े	ऊंट	गधे	खच्चर	स्थायी चरागाह व गोचर भूमि (एकड़ों में)
१ अजमेर	२०३८५६	२६०५७७	२४५८७	९७४८७	५३७३५१	३००७७६	२३०५	२९५४	६२६३	२६	२७२६१२
२ अलवर	२२०६५४	२७६६०४	४६४७७	२०९८०७	९८६९८	४२६७१०	३५३९	१२७७५	११७०४	१६	३२०३७
३ भरतपुर	२४०४२२	२३२००५	७०५७४	२३६९१४	६१७१४	८२३६१७	१०४७४	४१२०	११०३५	१६०	२०९२०
४ जयपुर	४१९९१७	४७७८९२	४५६२३	२६१७४३	३३६६८६	५३१३९७	३१९८	१०२५९	१६१०१	१०७	२४१६३३
५ झुंनझूनू	७१९७१	१४२२७३	११०५९	४९०११	१६९३२७	२९५१०६	५२३	३८०१३	४९३३	—	११३६४५
६ सवाई माधोपुर	२६६६६२	३०१९५७	३२४६६	१९९४६५	६५०९५	३४१५६७	३८४१	४३४०	१२९९९	८९	२२११०९
७ सीकर	१३४३१०	१६८६६३	१४३३४	६७३३९	२३२४७७	३४८०६२	७४७	२३६०५	७०१०	१४	१२३८०५
८ टोंक	१९८१२०	२५३१९९	२१६५३	९१५१४	१६२४५६	२३०९३९	२८१६	५६८	२९६२	१५	१४२०८९
९ बीकानेर	७६३३४	१७०८३८	८४२९	३२१०४	४९९८४०	१४८४९४	४७२	२९८०५	६७०६	२	१८९४५
१० चूरू	८०८२०	१९२४६५	२२१२७	७४१६७	३३९८५८	२२६७१५	५१४	५३८६३	२५५०	४	२८८५९
११ गंगानगर	१३५७६४	१७८६१५	२११७४	१००८३९	३२३३७७	१७८१८२	३४७५	७४५१८	६८८२	२८	४४३०३
१२ बाड़मेर	१६०६८८	३१३०००	५३६३	२०९०४	४७१०७४	६८७९९४	२०१४	५१२२७	१८५४०	१९	२०९२९४
१३ जैसलमेर	६१८४२	१७१४८०	६५६	७२१	३९४७३४	१८८६४५	६६४	२०४३९	१०६३७	—	१२८०००
१४ जालोर	१६७२३६	१५३९४२	७६९६	६४३५४	४३६५६३	३५१५१९	२९०२	१२१६४	६६४८	—	११६१३१
१५ जोधपुर	२०२५६६	२६४३४७	११४२९	४४५३८	५७७९७३	३०६५१८	१२९९	२६५४५	४२४४	४२	१०९४१९
१६ नागोर	२३८६८२	३५४१४७	२५६१५	८१४५१	६७१६५२	३३१३७१	१५४७	२३५४९	५४२७	८	१२७५२३
१७ पाली	२४८५६४	२३३५७७	२८९१५	७८७३९	६५३१९३	४३००१०	२६४७	७७१३	११२३१	२१	१२७२४१
१८ सिरोही	१०४१३३	११६२७६	१४७	५५७२८	१४७२६८	२५३८४३	१४७१	३७१०	३४७४	१९	३४५६०
१९ बूंदी	१४८५९९	१६२२९१	१३४५२	५२६३४	७००४३	२५४५३३	३८२०	१७७०	२२०७	३	७७०८
२० झालावाड़	१९५७२२	२२१५५८	२७६६९	१११३५	१७४९३	१८८२१६	९३६४	२२७४	२५८२	३	१००९९१
२१ कोटा	३४३५०६	३०१७२५	३११२२	१२४३७१	५३४६८	२८९२५४	११६१३	५०३१	४७३०	२२	१०१५०८
२२ बांसवाड़ा	२०५३२२	१७५८५३	१४५८१	८५८३७	२५२४२	१९५७१९	४१२६	२०९०	८९३०	—	५६१६१
२३ भीलवाड़ा	३३६८०७	३८४६१९	३६५१४	१४३९०१	५८८०४४	५२८९३५	९४७८	८५४०	७०२७	१	१८२२६१
२४ चित्तौड़गढ़	३४००२३	३४०१९८	३०२१७	१२७५९६	१३६६०२	३६६३४०	१२९३६	३१६०	५०९७	१	१८२६९८
२५ डूंगरपुर	१६७०८९	१४६१०९	१३२४८	९८३९४	७५१४१	२५९९४६	२७४०	२०१४	४२८६	—	१५८७४७
२६ उदयपुर	५४३०८८	५६५८०४	५५६२६	३०८६६३	३४७४४०	८४५७६५	१४१११	१११९१	१०१३२	१६	५०१२५८
योग राजस्थान	५५१२६९७	६५६८०१६	६३००५३	२८०९३९६	७३७२८०५	८७३०१६३	११२६३६	४३६२३७	१९०३२७	६१६	३४०३४५७

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

तहसीलों के नामों की सूची जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा उद्योगिक कक्षाएं चलाई जाती हैं।

क्रमांक	तहसील	गांव का नाम	जिला	उद्योग कक्षा
१	सागवारा	सागवारा	डूंगरपुर	सिलाई कक्षा
२	बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा	"
३	बाली	सेवाडी	जोधपुर	"
४	सिरोही	आबूरोड	जोधपुर	"
५	सलूम्बर	आबूरोड	उदयपुर	"
६	खेरवाडा	रिखबदेव	उदयपुर	"
७	बारां	किशनगंज	भरतपुर	"
८	जयपुर	जयपुर	जयपुर	"
९	सीकर	सीकर	सीकर	"
१०	टोंक	राजमहल	टोंक	"
११	सीकर	खन्डेला	सीकर	"
१२	चाकसू	चाकसू	जयपुर	"
१३	झुंझुनू	महरामपुर	झुंझुनू	"
१४	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	"
१५	पाली	पाली	पाली	"
१६	सिरोही	सिरोही	सिरोही	"
१७	बाड़मेर	बाडमेर	बाड़मेर	"
१८	जालोर	जालोर	जालोर	"
१९	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	"
२०	भीलवाडा	भीलवाडा	भीलवाडा	"
२१	राजसमन्द	राजसमन्द	उदयपुर	"
२२	चित्तौडगढ़	गोमुन्डा	चित्तौडगढ़	"
२३	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	"
२४	सरदारशहर	सरदारशहर	चूरू	"
२५	चूरू	चूरू	चूरू	"
२६	कोटा	कोटा	कोटा	"
२७	सवाई माधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	"
२८	डीग	डीग	भरतपुर	"
२९	गंगापुर	वजीरपुर	सवाई माधोपुर	"
३०	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर रींगस	सीकर	"

३१	नीमकाथाना	नयावास	सीकर	सिलाई कक्षा
३२	सोजत	सोजत	पाली	"
३३	बडी सादडी	नदवई	चित्तौडगढ	"
३४	भरतपुर	बलाचतपुर	भरतपुर	"
३५	बागीडोरा	नांवगांव	बांसवाडा	कारपेन्ट्री कक्षा
३६	डूंगरपुर	फलोंज	डूंगरपुर	"
३७	वांरापाल	कोटरा	उदयपुर	"
३८	जावरा	जावरा	उदयपुर	"
३९	अलवर	अलवर	अलवर	"
४०	रामगढ़	रामगढ़	अलवर	"
४१	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	"
४२	मांडल	रायला	भीलवाडा	"
४३	सुजानगढ़	सुजानगढ़	चूरू	"
४४	नैनवा	नैनवा	बूंदी	"
४५	बिलारा	कोलाना	जोधपुर	"
४६	बागीडोरा	नोवगांव	बांसवाडा	स्मीथी कक्षा
४७	डूंगरपुर	फलोंज	डूंगरपुर	"
४८	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	"
४९	फलासिया	अम्बाविदिया	उदयपुर	कथा कक्षा
५०	धरियावद	धरियावद	उदयपुर	बांस कक्षा
५१	गंगधार	गंगधार	झालावाड	"
५२	घाढ	घाढ	जयपुर	चर्मउद्योग कक्षा
५३	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	"
५४	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	"
५५	नागौर	नागौर	नागौर	कारपेन्ट्री कक्षा

छात्रों की माहवारी उपस्थिति संख्या

माह	छात्र संख्या
दिसम्बर/१९५६	१०
जनवरी/१९५७	१२
फरवरी/१९५७	११
मार्च/१९५७	९
अप्रेल/१९५७	९
मई/१९५७	८

जून/जोलाई/अगस्त व सितम्बर माह में प्रशिक्षण के न होने के कारण कक्षा बन्द रही।

अक्टूबर/१९५७	१४
नवम्बर/१९५७	१९
दिसम्बर/१९५७	२६
जनवरी/१९५८	२७

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देखिए)

LIST OF TEACHERS OF OTHER DISTRICT WHO ARE WORKING IN

DISTRICT SIROHI :

1.	Shri	Kundanlal Kalani.	Sarupganj.
2.	,,	Om Prakash.	Las.
3.	,,	Sakuntla B. Singh	Sirohi.
4.	,,	Ganeshiram.	Mandwaria.
5.	,,	Kundanlal.	Sarupganj.
6.	,,	Chattarpati.	Sirohi.
7.	Smt.	Saraswati.	Rohera.
8.	Smt.	Lilawati Gupta.	Narsinghgarh.
9.	Smt.	Umrao Kunwar.	,,
10.	,,	Jay Kanwar.	,,
11.	,,	Mohan Kunwar.	,,
12.	,,	Kamla Devi.	,,
13.	,,	Heera Bai Pathak.	,,
14.	Shri	Umrao Mal.	Sarupganj.
15.	,,	Mithalal.	Kalandri.

DISTRICT JALORE.

1.	Shri	Umrao Chand.	Thalwad.
2.	,,	Bhopal Singh.	Sanchore.
3.	,,	Yugraj.	Harji.
4.	,,	Babulal.	Godan.
5.	,,	Trilok Chand.	Pawta.
6.	,,	Nanmal.	Sanchore.
7.	,,	Purshotam.	Umedbad.
8.	,,	Kalu Ram.	Rundmal.
9.	,,	S. Dass.	Jalore.
10.	,,	Rameswar Prasad	Bawrani.
11.	,,	Roop Kishore.	Vadanwari.
12.	,,	Sesheal Bhati.	Akoli.
13.	,,	Himmat Ram.	Padanly.
14.	,,	Jagdish Singh	Tawav.
15.	,,	Snawer Mal.	Akoli.
16.	,,	Teja Ram.	Mudtra Sily.
17.	,,	Bhoor Mal.	Bithoon
18.	,,	Jetha Ram.	Halivav.
19.	,,	Gisoo Lal.	Sanchore.
20.	,,	Shambhodhan.	Bhradajun.
21.	,,	Mangal Singh.	Choarsi.

22.	Shri	Nannu Ram.	Goda Wallon Tan.
23.	„	Birdh Singh.	Bhoti.
24.	„	Shri Lal	Bhoti.
25.	„	Mohan Puri.	Sakand.
26.	„	Madho Lal.	Harji.
27.	„	Gulab Singh.	Harji.
28.	„	Badri Lal.	Ajodhar.
29.	„	Ram Niwas.	Bhagal.
30.	„	Nand Kishore.	Khara.
31.	„	Ramdeen.	Rab-dari.
32.	„	Som Dutt.	Sewara.
33.	„	Mag Lal.	Jhaw.
34.	„	Ravi Shanker.	Badanwari.
35.	„	Mohan Lal.	Bagra.
36.	„	Bagwandas.	Jaswantpur.
37.	„	Gopal Lal.	Dayalpura.
38.	„	Saran Das.	Santhu.
39.	„	Banshi Lal.	Padarli.
40.	„	Mati Raj,	Bhinmal.
41.	„	Chan Singh.	Arnai.
42.	„	Pun Mohan Chand.	Jalore.
43.	„	Ghanshyam.	Umedabad.
44.	„	Rikhab Chand.	Harji.
45.	„	Nand Lal.	Jaswantpura.
46.	„	Phaloja Ram.	Bhadra June.
47.	„	Babu Lal.	Ghansa.
48.	„	Nand Kishore.	Ghansa.
49.	„	Chand Behari Lal.	Umedabad.
50.	„	Poonam Singh.	Bhuti.
51.	„	Budh Lal.	Bargaun.
52.	„	Baldeo,	-Do-
53.	„	Siya Ram Das.	Jaswantpura.
54.	„	Govind Lal.	Sanchore.
55.	„	Vijai Shanker	Phagotara.

DISRTICT JAISALMER.

1.	Shri	Piryag Dutt	Pokaran.
2.	„	S. N. Singh	Do
3.	„	Girdhari Lal	Phalsoond.
4.	„	Moolsingh.	„
5.	„	Gulabsingh.	Sankda.
6.	„	Sitaram.	„

7.	Shri Babbu Lal	Ramdeowra.
8.	Smt. Nirmala Sharma.	Jaisalmer.
9.	Shri Moola Ram.	Askandra.
10.	„ Gopal Dan	Satyaya.
11.	„ Mohan Lal.	Sanwda.
12.	„ Kishan Lal.	Tejlamlot.
13.	„ Vishwa Nath.	Phalsood.
14.	„ Nathu Lal.	Badadagaon.
15.	„ Pepsingh.	Jhinjhinyali.
16.	„ Kishan Singh.	Chayan.
17.	„ Murari Dan.	Nokh.
18.	„ Pannalal	Sankda.
19.	„ Badan Singh.	Balana.

DISSTT. BHILWARA.

———

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या २० का उत्तर देखिये)

सात कर्मचारियों का व्योरा उनकी नियुक्ति तिथि सहित इस प्रकार है :

नाम कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद
श्री फूसा राम	२८––६–५०	चपरासी
श्री मातादीन	१२––४–५४	चपरासी
श्री घासीलाल	१६–११–५०	पानी वाला
श्री रामचन्द्र	१५–११–५५	फर्राश
श्री अर्जुन	१––६–४४	मेहतर
श्री हनुमान	१––५–५४	चोकीदार
श्री छोटेलाल	सम्वत् १९८६	लैब व्याय

परिशिष्ट ८

(कृपया प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

माध्यमिक कन्या पाठशाला, कोटपुतली सन् १९५८, समय-विभाग १०·३० से ४ बजे तक

क्रम सं०	कर्मचारियों के नाम	घन्टी १	२	३	४	५	६	७	८
१	गेंदी देवी शर्मा प्र० अ०	कक्षा ३ गणित	कक्षा ७ व ८ हिन्दी	कक्षा ६ की हिन्दी	कक्षा ५ हिन्दी	ग्राफिस वर्क ३ दिन तक ३ दिन कक्षाओं की देख भाल करना	३ दिन कक्षा ५ हि० और कक्षा २ का उद्योग वर्क	ऑफिस वर्क	ऑफिस वर्क तथा पेड़ पौधों की देखभाल
२	राम कंवर शर्मा स० अ०	कक्षा ६ इंगलिश	कक्षा ५ इंगलिश भूगोल	कक्षा ४ का गणित	कक्षा १ अ गणित	कक्षा ४, ड्राइङ्ग गणित	३ दिन कक्षा ६ की संस्कृत और ३ दिन कक्षा ४ को गणित	कक्षा, ८ व ७ का गृह-विज्ञान	कक्षा ७ व ८ का खेल
३	आदर्श कुमारी स० अ०	कक्षा ५ का गणित	कक्षा ४ का स्वास्थ्य	कक्षा ५ का ड्राइङ्ग	कक्षा ६ का ई० भूगोल	कक्षा ६ साईंस	३ दिन कक्षा ५ का ग. तथा ३ दि. कक्षा १ अ व ब का उद्योग	कक्षा ४ की सिलाई व बुनाई	कक्षा ४ को खेल
४	भगवानी देवी नागर	कक्षा २ का गणित	कक्षा ३ हिन्दी	कक्षा ३ हि० ३ दिन, कक्षा २ का गणित ३ दिन	कक्षा ४ ई० भूगोल	कक्षा ५ का स्वास्थ्य	कक्षा ३ का ड्राइङ्ग संगीत	कक्षा ५ की सिलाई व बुनाई	कक्षा ३ को खेल
५	माया देवी स० अ०	कक्षा ४ हिन्दी	कक्षा ६ गणित	कक्षा ३ को ३ दिन हि० तथा ३ दिन कक्षा २ को गणित	कक्षा ७ ब सिलाई व धुलाई	कक्षा ३ का ई० भूगोल	कक्षा ४ को हिन्दी ३ दिन तक	कक्षा ६ को सिलाई व बुनाई	कक्षा ५ व २ का खेल
६	गोविन्द कुंवर स० अ०	कक्षा ७ व ८ को इंगलिश	कक्षा २ ब को गणित	कक्षा ७ व ८ को गणित	कक्षा १ ब का गणित	कक्षा १ अ, ब, का स्वास्थ्य	३ दिन कक्षा ६ को गृह-विज्ञान	कक्षा ३ को सिलाई व बुनाई	कक्षा ७, ८ को इंगलिश व गणित

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF RELIFE WORKS.

Name of District	Name of Tehsil	Name of Work.
Bikaner	Bikaner	1. Lalamdesar
		2. Sujasar
		3. Kanwani
		4. Kalasar
		5. Kakrala
		6. Humatasar
	Magra	1. Jhanju
		2. Sri Kolayatji
		3. Gajner
		4. Khariwatan
		5. Girrajsar
		6. Withnoke.
	Nokha	1. Roda
		2. Kucho Athuni
		3. Desalpurohitan
		4. Kedali
		5. Kudsu
		6. Janglu
		7. Desalsar
	Loonkaransar	1. Khiaren
		2. Hathusar
		3. Karinsar
		4. Dulchsar
		5. Mahadeowali
Jalore	Jaswantpura	1. Dumeria
	Sanchor	1. Sanchore (Hudia)
		2. Pindputra
Nagour	Nagour	1. Guda Bhagwandass
		2. Taniwas
Barmer	Chohtan	1. Lilsar
		2. Chohtan
	Pachpadra	1. Gopdi
Banswara	Kushalgarh	1. Kushalgarh to Ghatola
	Bagidora	1. Verth-Chhota Road

Churu	Dungargarh	1. Lakhasar
		2. Sudsar
		3. Abhaisinghpura
		4. Surajnagar
	Taranagar	1. Kailash
Dungarpur	Dungarpur	1. Tijwad Tank
		2. Sarkal Goji Tank
	Sagwara	1. Dudi Tank
		2. Limbod Tank
		3. Nokhli Tank
		4. Devdi Badi Tank
		5. Sukha Padar
	Aspur	1. Vorodia
Udaipur	Amet	1. Sakhumala Road
		2. Heekwas Tank
		3. Amet to Munkdsia Road
	Kherwara	1. Makodia Tank
		2. Tapan to Masoru ki ovri Road
		3. Rikhav Dev to Vilsala Road
		4. Khalia to Khuntwada
	Girwa	1. Kurbid to Bambora Road
	Sarada	1. Semari to Tokar
		2. Sepur Tank
		3. Dali Tank
	Bhim	1. Chatka Ghada to Kaila Badi
	Devgarh	1. Kuathal to Pardi Road
		2. Anoppura Tank
		3. Gomla Tank
	Rajsamnd	1. Bani Talai
		2. Depuria Talai
	Salumber	1. Salumber Bamboria Road
		2. Matasula to Makrana Road
		3. Baliseria Road.

STATFMENT SHOWING THE UPTO DATE ALLOTMENT.

Name of Distc.	Relief works	Watersupply	Gratuitous Relief	C.Relief	Cattle conservation	Taccavi	P. W. D.	Stationery.
1. Jodhpur	18 170	6,000	2,700	-	-	60,000	40,000 Chief	25/-
2. Barmer	75,000	12,000	4,590	800	-	40,000	- Engineer	100/-
3. Jaisalmer	38,000	3,000	2,700	-	-	45,000	-	50/-
4. Jalore	33,000	2,000	3,000	-	-	15,000	-	50/-
5. Nagour	40,000	5,000	1,355	800	-	19,017	-	50/-
6. Pali	40,000	-	1,500	-	-	12,000	-	50/-
7. Sirohi	10,000	-	900	-	-	6,000	-	-/-
8. Udaipur	1,57,125	2,000	5,250	2,000	-	1,24,415	38,000 C. E.	100/-
9. Dungapur	50,250	2,500	3,000	1,000	-	20,000	-	50/-
10. Banswara	56,250	3,000	5,000	-	-	52,500	-	50/-
11. Bikaner	1,50,000	4,000		-	-	15,000	-	50/-
		25,000 with Commissioner	2,500 11,000 Comr. Bknr.	-	5,000 Commr. Bikaner		-	
12. Churu	65,000	2,000	2,500	-	-	40,000	-	50/-
•13. Sikar	10,000	-	-	-	1,000	20,000	-	-
14. Jhunjhunu	-	-	-	-	-	25,000 Commr. Ajmer.	20,000 C. E.	-
15. C. C. F.	-	-	-	-	2,00,000	-	-	-
16. Ganganagar	-	1,000	250	-	-	25,000	-	-
Total :	7,42,795	57,500	46,245	4,600	20,6,000	3,18,932	98,000	625/-

परिशिष्ट १०

(कृपया प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

LIST OF OPIUM LICENSES OF JALORE DISTRICT SHOWING LICENSE FEE FOR THE YEAR 1956-57.

Sl. No.	Name of shop.	Name of licensee.	License fee
1.	Jalore.	Kalal Mohan lal	2,905/
2.	Badarajun.	Sunga Premraj	200/-
3.	Siyana	Kalal Mangilal	160/-
4.	Bakra.	Khatik Chogalal	670/-
5.	Guda Balotan	Sunga Dhanraj	150/-
6.	Sayla	Sunga Bhabhootmal	400/-
7.	Chandrai	Gangaram.	385/-
8.	Ahore	Kalal Fata.	1,100/-
9.	Chunda.	Sunga Premraj.	85/-
10.	Detan.	Sunga Bhabhootmal	601/-
11.	Mandwla.	" Gangaram.	1,345/-
12.	Godan.	" Babulal	245/-
13.	Balwara.	Must. Jamna.	350/-
14.	Bagra Santhu	Kalal Gordhan.	930/-
15.	Bhanwrani	Sunga Chimniram	350/-
16.	Raithal	Khatik Moolchand.	220/-
17.	Harji	Kalal Lalchand	155/-
18.	Chorau	Purohit Birdhichand	750/-
19.	Balarama	Sunga Kesa.	151/-
20.	Mosra.	Sah Tej Raj .	151/-
21.	Bhuti	Sunga Dola.	301/-
22.	Jasuantpura	" Chelaram	1,005/-
23.	Malwaro.	" Phoolchand	500/-
24.	Silasan.	" Phoolchand	305/-
25.	Bar udi Khanpur	Surajmal	425/-
26.	Bhinmal	Kalal Tarachand	1,826/-
27.	Raniwara	" Biharilal	1,516/-
28.	Bagora.	Sugna Hansraj	261/-
29.	Jakheri.	Bhanwarlal	860/-
30.	Daspan.	Lalchand	601/-
31.	Modran.	Kalal Ganeshmal	735/-
32.	Ramseen.	" Kanmal	1,005/-
33.	Morseem	Sunga Nath Mal	1,065/-
34.	Dhumarda	Sardarkhan	735/-
35.	Kardan.	Sunga Tilok Chand	230/-
36.	Sewara	Sah Hemchand	550/-

S. No	Name of shop. 1	Name of licensee. 2	License fee 3
37.	Punasa.	Sunga Punamchand	355/-
38.	Chitrodi.	Sardarkhan.	265/-.
39.	Junjani.	Sunga Babhootmal	641/-
40.	Sanchore.	Kalal Mangalchand	1,600/-
41.	Hariyali.	Sah Mishrilal	430/-
42.	Hadocha	" Hemchand	1,300/-
43.	Keria	" Pukh Raj	315/-
44.	Chitalwana.	Sunga Kesrimal	800/-
45.	Zab.	Shri Ram Kishore.	1,010/-
46.	Bhawatrā.	Gopalsingh	875/-
47.	Virole.	Kalal Pannalal	1,905/-
48.	Dhanta.	Sunga Nathmal	851/-
49.	Karola.	Shah Mishrilal	530/-
50.	Panchala.	Sunga Chelaram	850/-
51.	Bichwari.	Sah Ujamal	190/-
52.	Kode.	Shah Harakchand	850/-
53.	Tetop.	Kalal Kesulal	1,830/-
54.	Sarwan.	Shree Mishrilal	625/-
55.	Duthwa.	Sah Mayachand	725/-
56.	Surachand.	Kalal Pannalal	2100/-
57.	Gundau.	Sunga Partapchand	1,400/-
58.	Gangasra.	" Chelaram	1,000/-
59.	Golasan.	Sah Bhagraj	750/-
60.	Arnai.	Sah Chunilal	791/-
61.	Partappura.	Kalal Pannalal	2,105/-
		Total	47,315/-

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार ११ फरवरी, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३८	३	११ साल लगगें ?	११ साल लगेंगे ?
३६	२६	६. श्री हजारीलाल (केकरो) :	६. श्री हजारीलाल (केकड़ी) :
५१	१४-१५	उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिशनोई)	उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
५३	अन्तिम पंक्ति	योजना के अन्त र्ग	योजना के अन्तर्गत
५६	१६-१७	पर वह सूची न मेरे पास आई न है।	वह सूची मेरे पास आई नहीं है।
५६	२२	सूची सदन की मेज पर रख दी	सूची सदन की मेज पर रख दी
६०	२१	तालिका सदन को मेज पर रख दी	तालिका सदन की मेज पर रख दी
६६	अन्तिम से २री	करता है, वह कैसे ?	कराती है, वह कैसे ?
६८	,,	कॉलिज में परिणित करने	कॉलिज में परिणत करने
७०	अन्तिम पंक्ति	क ताल्लुक नहीं है।	से कोई ताल्लुक नहीं है।
७८	१६	मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :	मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :
८०	१	इसकी....	इसकी आवश्-
८०	२	दरख्वास्तें मांगी जायं— ो	दरख्वास्तें मांगी जाएं। जो
८३	३	Chief Minister he pleas d	Chief Minister be pleased
८४	१८, २६ व २८	Integration	Integretion
६३-६४	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्नोत्तर-११ फरवरी, ५८-तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन प्रस्ताव -११ फरवरी, ५७-अनुमति प्राप्त विधेयक
६४	३	the officiol gallary	the official gallary
६५-६६	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्नोत्तर-११ फरवरी ५८-तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुमति प्राप्त विधेयक-११ फरवरी, ५८- अध्यादेश एवं विज्ञप्ति
६५	२५	(Amendment Bill, 1957.	(Amendment) Bill, 1957.
६६	अन्तिम से २री	मैं गृह विगाग ।त्री।	मैं गृह विभाग। त्री।
६७-६८	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्नोत्तर-११ फरवरी ५८-तारांकित प्रश्नोत्तर	मोटर विहिकल्स-विज्ञप्ति-११ फरवरी, ५८ मोटर विहिकल्स-विज्ञप्ति
११६	१६	सम्पत्ति से पास करें।	सम्मति से पास करें।
१२०	अन्तिम पंक्ति	आदि के उद्योग परी तरह से पूरे	आदि के उद्योग पूरी तरह से पूरे
१३३	७	लिए अगर सकरार प्रयत्न करेगी	लिए अगर सरकार प्रयत्न करेगी

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१४२	३१	Forced on tne farmers	Forced on the farmers
१४४	५	Conld easily	Could easily
१४७	३२	Dnreel	Dwell
१४६	१५	I would lik' to	I would like to
१६०	६	कि जहां चिकित्सा का	कि जहां तक चिकित्सा का
१८०	८	Only a coincidena that	Only a coincidence that
१८८	२१	इस मालले की जांच	इस मामले की जांच
१६१	७	श्री उपाध्यत्र :	श्री उपाध्यक्ष :
२१६	११	समय पर श्रा माधोपुर में	समय पर श्री माधोपुर में
२१६	१३	सुरेन्द्रसिंहजी श्री माधोपुर	सुरेन्द्रसिंहजी ने श्री माधोपुर
२३१	अन्तिम से ३ री	जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट	जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का
२३३	२	हम इसके जरिये सेफ रिएलायेन्स	हम इसके जरिये सेल्फ रिलायेन्स
२३६	१४	की पूर्ण उनके	के पूर्व उनके
२६३	शीर्ष पंक्ति	STATFMENT SHOWING THE	STATEMENT SHOWING THE